महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 10 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीएए पर सुनवाई का यह उचित समय नहीं

बहुत अधिक हिंसा, देश कठिन दौर में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को संवैधानिक घोषित करने के लिए दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार करते हुए गुरुवार को कहा कि इस समय देश कठिन दौर से गुजर रहा है और बहुत अधिक हिंसा हो रही है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने याचिका पर अचरज व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार कोई किसी कानून को संवैधानिक घोषित करने का अनुरोध कर रहा है।

पीठ ने कहा कि वह हिंसा थमने के बाद नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इस समय इतनी अधिक हिंसा हो रही है और देश कठिन दौर से गुजर रहा है। लिहाजा हमारा प्रयास शांति के लिए होना चाहिए। इस अदालत का काम कानून की वैधता निर्धारित करना है न कि उसे संवैधानिक घोषित करना। अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब वकील विनीत ढांडा ने नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक घोषित करने और सभी राज्यों को इस कानून पर अमल करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

इस याचिका में अफवाहें फैलाने के लिए कार्यकर्ताओं, छात्रों और मीडिया घरानों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है। शीर्ष अदालत 18 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता की विवेचना के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन उसने इसके अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। नागरिकता संशोधन कानून, 2019 में 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का बाकी पेज 8 पर

याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बार कोई किसी कानून को संवैधानिक घोषित करने का अनुरोध कर रहा है।

"*इस* समय इतनी अधिक हिंसा हो रही है और देश कठिन दौर से गुजर रहा है। लिहाजा हमारा प्रयास शांति के लिए होना चाहिए।
-एसए बोबडे, प्रधान न्यायाधीश

राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते विद्यार्थियों पर हल्का बल प्रयोग

जनसत्ता संवाददाता/एजंसी
नई दिल्ली, 9 जनवरी (भाषा)।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक मार्च निकाला और जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो उन्हें रोक दिया गया। जेएनयू परिसर में हमले को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार को हटाने की मांग के साथ बढ़ते प्रदर्शन के तहत निकाले जा रहे मार्च में कुछ छात्रों के साथ पुलिस की धक्कामुक्की हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। कुछ छात्रों के पुलिस के साथ धक्कामुक्की में चोटिल होने की खबरें हैं। पुलिस ने जनपथ पर यातायात रोकने की कोशिश कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग भी किया। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया और इस दौरान 11 लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया।

दिल्ली पुलिस जेएनयू में छात्रों तथा शिक्षकों पर नकाबपोश हमलों के चार दिन बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी कुमार को हटाने की मांग की। कुमार को हटाने की मांग करते हुए जोशी ने ट्विटर पर कहा कि चौंकाने वाली बात है कि कुलपति विश्वविद्यालय में शुल्क वृद्धि के संकट के समाधान बाकी पेज 8 पर

जेएनयू छात्रों ने एचआरडी मंत्रालय तक मार्च निकाला

कुछ प्रदर्शनकारियों को आईं चोटें

11 छात्रों को हिरासत में लिया, फिर छोड़ा

विद्यार्थियों ने कहा, कुलपति को हटाया जाए

मंत्रालय ने कहा कि कुलपति को हटाना कोई समस्या का हल नहीं

छात्रा को हिरासत में लेने की मशक्कत करतीं महिला पुलिसकर्मी

सेवा नियमों का उल्लंघन

गौतमबुद्धनगर एसएसपी वैभव कृष्ण निलंबित

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 जनवरी।

उत्तर प्रदेश शासन ने महिला से चैट के वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आए गौतमबुद्धनगर के एसएसपी वैभव कृष्ण को निलंबित कर दिया है। साथ ही गाजियाबाद एसएसपी समेत 14 अन्य आइपीएस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया है। इनमें वे पांच आइपीएस अफसर शामिल हैं, जिनके खिलाफ वैभव कृष्ण ने मुख्यमंत्री कार्यालय, डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को एक महीने पहले गोपनीय जांच रिपोर्ट भेजी थी। लखनऊ के एसएसपी बाकी पेज 8 पर

फोरेंसिक जांच में वीडियो और चैट सही मिले

गोपनीय पत्र में शामिल पांच आइपीएस अधिकारियों का भी हुआ तबादला

वृद्धि दर 2019-20 में पांच फीसद रहने का अनुमान : विश्व बैंक

वाशिंगटन, 9 जनवरी (भाषा)।

विश्व बैंक ने 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कम होकर पांच फीसद रहने का अनुमान जताया है। हालांकि, उसने कहा है कि अगले साल 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर सुधर कर 5.8 फीसद पर पहुंच सकती है।

विश्व बैंक की बुधवार को जारी हालिया 'वैश्विक आर्थिक संभावनाएं' रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत में गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के ऋण वितरण में नरमी जारी रहने का अनुमान है, इसके चलते भारत की वृद्धि दर 2019-20 में पांच फीसद तथा 2020-21 में सुधरकर 5.8 फीसद रह सकती है।' उसने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के ऋण वितरण में नरमी से भारत में घरेलू मांग पर पर काफी असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, 'भारत में ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता तथा निजी उपभोग में नरमी से गतिविधियां संकुचित हुई हैं।' बताते चलें कि सरकार ने बाकी पेज 8 पर

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के ऋण वितरण में नरमी से भारत में घरेलू मांग पर काफी असर पड़ रहा है। भारत में ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता तथा निजी उपभोग में नरमी से गतिविधियां संकुचित हुई हैं।

निर्भया कांड में एक दोषी ने सुधारात्मक याचिका दायर की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों में से एक विनय कुमार शर्मा ने फांसी के फंदे से बचने के अंतिम प्रयास में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर की। शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद दोषी के पास यही अंतिम कानूनी विकल्प बचा है। इस सुधारात्मक बाकी पेज 8 पर

भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि दर के पिछले 11 साल में सबसे निचले स्तर तक पहुंच जाने के अनुमान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और इसमें फिर से तेज वृद्धि की राह पर लौटने की पूरी क्षमता है। बाकी पेज 8 पर

बजट से पूर्व विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों व उद्यमियों के साथ बैठक में वृद्धि दर तेज करने के उपायों पर चर्चा

सोनिया गांधी की बैठक का बहिष्कार करेंगी ममता बनर्जी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लेकर सरकार के खिलाफ एकजुट विपक्ष में दरार पड़ती दिख रही है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लारा बुलाई गई बैठक के बहिष्कार का फैसला किया है। 13 जनवरी को यह बैठक बुलाई गई है। ममता बनर्जी या उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि दिल्ली में होने वाली 13 विपक्षी दलों की इस बैठक में शामिल बाकी पेज 8 पर

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध पर विपक्ष में दरार

वाममोर्चा और कांग्रेस से जताई नाराजगी

विदेशी राजनयिकों के सामने

पाकिस्तान के दुष्प्रचार की खुली पोल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

जम्मू-कश्मीर का जायजा लेने के लिए 15 देशों के राजनयिकों का एक दल गुरुवार को वहां पहुंचा। पहले दिन इन सभी ने स्थानीय लोगों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, स्थानीय मीडिया और नेताओं से मुलाकात बाकी पेज 8 पर

पीडीपी ने आठ नेताओं को पार्टी से निकाला

श्रीनगर, 9 जनवरी (भाषा)।

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने सरकार के साथ बातचीत करके लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने के आरोप में आठ नेताओं को गुरुवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पीडीपी के आधिकारिक ट्विटर पेज पर पोस्ट की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई। पीडीपी नेताओं ने 15 देशों के राजयनिकों से भी मुलाकात की थी। ये राजनयिक गुरुवार से जम्मू कश्मीर की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। बाकी पेज 8 पर

इस साल दो सूर्यग्रहण व चार चंद्रग्रहण के नजारे दिखेंगे

इंदौर, 9 जनवरी (भाषा)।

सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की चाल इस साल दुनिया भर के खगोलप्रेमियों को दो सूर्यग्रहणों और चार चंद्रग्रहणों समेत ग्रहण के छह रोमांचक दृश्य दिखाएगी। हालांकि, भारत में इनमें से केवल तीन खगोलीय घटनाओं के नजर आने की उम्मीद है।

उज्जैन की प्रतिष्ठित शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्रप्रकाश गुप्त ने गुरुवार को बताया कि इस वर्ष ग्रहणों की खगोलीय घटनाओं का सिलसिला बाकी पेज 8 पर

उपच्छाया चंद्रग्रहण से हो रही शुरुआत

बांग्लादेशी समूह का भारतीय सीमा चौकियों पर हमला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों ने मेघालय में दो सीमा चौकियों पर हमला कर दो जवानों से हथियार छीन लिए। उनके रुपए, मोबाइल फोन भी छीन लिए। इस वारदात में एक जवान घायल हो गया।

बांग्लादेशी नागरिकों का अन्य एक समूह मेघालय के एक व्यक्ति के घर में घुस गया और रुपए, मोबाइल फोन और बंदूक लूट कर फरार हो गया। घर के मुखिया बाकी पेज 8 पर

दो जवानों से हथियार भी छीन लिए

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Gireesh Kumar S/o Sh.Harish Chandra R/o-23/225, Trilokpuri, Delhi-110091. inform that name of mine has been wrongly written as Gireesh Mishra in my minor son Shivang Mishra aged about 17-years in 10th-class marksheet and certificate. The actual name of mine is Gireesh Kumar respectively which may be amended accordingly. 0040527078-3

I,Suman Phukan S/o Nanda Phukan R/o-G.B.C.,H/No-55, Nepali Basti,Ward-09,Dimapur MC,Dimapur, Nagaland-797112,have changed my name to Shubhan Phukan for all purposes. 0040527062-3

I,Rashmi W/o-Veerendra Sharma R/o-P-506,Amrapali Zodiac, GH-003,Sector-120,Noida, Distt-G.B.Nagar,UP-201301,have changed my name to Rashmi Sharma with immediate effect,for all future purposes. 0040527062-2

I,Nisar Ahmed S/o-Lt. Abdul Jabbar R/o-H.No.329A, Street. No.6/3, Zakir Nagar, P.O:-Jamia Nagar,Delhi-110025, Near Islah masjid,have changed my name to Nisar Ahmad. 0040527062-1

I,Mansi Singal D/o-Sh.Gian Chand Singal W/o-Sh.Puran Singh Paul,R/o-House.No.D-11/2,2nd Floor,DLF Exclusive Floors,DLF-5,Gurugram, Haryana-122009,have changed my name to Mansi Goyal Singh for all future purpose. 0040527048-2

I,Mansi Goyal Singh R/o-House.No.D-11/2,2nd Floor,DLF Exclusive Floors,DLF-5,Gurugram, Haryana-122009,have changed my minor son's name from Pushp to Pushp Singh for all,future purpose. 0040527062-5

I, Yegesh Kumar S/o Shyam Lal R/o D-17 Mohan Garden Uttam Nagar Delhi-110059 changed my name to Yogesh Kumar. 0040527099-1

I, Vinod Kumar S/o Ded Prakash Sharma R/o-653, Main-Mkt, Jhandapur, Ghaziabad, UP-201010 have changed my name to Vinod Kumar Sharma. 0040527049-3

I, Vineeta W/o Neeraj Jain, R/o Flat No-807, 8th-Floor, Railway Line Staff CGHS Ltd, Plot No-11, Sector-19B, Dwarka, Delhi 110075 have changed my name to Vineeta Arora. 0040527038-1

I, Vikram S/o Sandeep Kumar R/o-H.No.216, Tikri-Kalan, N.Delhi-41, that my father's name has been wrongly written as Sandeep in my OBC-Certificate and Non-Creamy Layer Certificate. but my father's actual name is Sandeep Kumar. 0040527049-9

I, NAIMABANU ABDULSATTAR TUKADI alias NAIMA alias NAEEMA alias NAIMA BANU, W/o Mohd Imran Chamadiya R/o 8876, Naya Mohalla Pul Bangash, Azad Market, Delhi-110006 have changed my name to NAEEMA IMRAN CHAMADIYA for all future purposes. 0040527002-1

I, Veir Ji Pandita S/o Late Sh. Shyam Lal Pandita R/o 107, Block-G-7, Sector-15, Rohini, Delhi-110089 have changed my name to Veer Ji Pandita for all purposes. Also inform that my father name wrongly mentioned in my office records as Sham Lal Pandita. But my father correct name is Shyam Lal Pandita. 0040526997-1

I, Veenu Gupta W/O Mukesh Garg R/O Flatno.535, Veer Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Meenu Garg. 0040527036-9

I, Tanya D/o Sh.Ganga Ram, R/o-GH-6/363, Prachin-Apartment, Paschim-Vihar, New Delhi-110087. have Changed my name to Tanya Gautam For All Purposes. 0040527049-7

I, Tajinder Kumar S/o Late Sh. Jagdish Chander R/o A/290, Pandav Nagar, New Delhi-110008 have changed my name from Tajinder Kumar Sharma to Tajinder Kumar for all future purposes. Both name are one and the same person. 0040526998-1

I, Syed Ishtiaq Ali S/O Ashiq Ali H.No-629, First-Floor Gali-Fakhar Ullah-Frash Khana G.B.Road Delhi-110006. Changed My Name To Ishtiaq Ali. 0040527059-5

I, Suraj Prakash Madaan S/O Atam Prakash Madaan H.No.50 Model Apartment Near-Ranibagh M2k Pitampura Delhi-110034. Changed My Name To Suraj Prakash. 0040527041-8

I Dharm Deo Kumar Yadav S/o Lakhan Yadav R/o-10/221, Dakshinpuri-Extension, New Delhi-110062. have changed my name to Dharam Dev Yadav. 0040527059-2

I Dolly@Pooja Mehendiratta W/O Sanjay Mehndiratta R/o-B-96 Jeewan-Park Uttam-Nagar New Delhi-110059. have changed my name to Pooja Mehndiratta. 0040527084-3

व्यक्तिगत

I, Suprbha Kumari Gupta/Suprabha W/O Prem Kumar R/O 146/16, Onkar Nagar-B, Trinagar, Delhi-110035. Changed My Name To Suprabha Kumari. 0040527036-5

I, Sunita Kumari W/o Rajinder Kumar Arora residing H.No. D-1, 2nd Floor, Bali Nagar Delhi 110015, have changed my name to Sunita Arora for all purposes. 0040527009-1

I, Sunil Kumar Srivastava, aged 50 years S/o Shri S.C. Srivastava, R/o D403, Indian Oil Apts, Plot C/58/23, Sec-62, Noida U.P. 201309 have changed my minor son's name from Ameya / Ameya Vikram, Aged 13 years to Swamy Ameya 0070691901-1

I, Shakila W/o Jamil R/o Village Ramjanpura, Saharanpur-247001, UP have changed my name to Shakila Begum for all purposes. 0040527078-5

I, Shahroza Parveen, W/o-Mohd.Mudassir, R/o-E-27, Hari Kothi, Abdul-Fazal Enclave-Part-I, Jamia Nagar, Okhla, ND-25,have changed to my name Amreen for all purpose. 0040527084-8

I, Sandeep S/o-Sh.Bihari Lal R/o-House.No.C-177, Dr.Ambedkar Nagar, Sec-2,Khanpur, New Delhi-110080,have changed my name to Sandeep Kumar for all future purpose. 0040527062-6

I, Sandeep Agrawal R/o-Z-31, Top Floor, Hauzkhas, N.Delhi-110016 have changed my daughter's name Aadya Sandeep Agrawal to Aadya Agrawal. 0040527049-2

I, Sanawwer Ali S/O Bashir Ahmad R/O C-74, Street No-8. Brahampuri Delhi-110053. Changed My Name To Sanawer Ali. 0040527059-8

I, Rekha Rani Gupta W/O Hemder Goyal R/O D-12/84, Sector-8, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Rekha Goyal. 0040527036-10

I, Ratica Jain D/o Ravi Shanker Jain R/o-E-1/8/26 Sector-15, Rohini Delhi-110085, changed my minor son's name Chirush Kaswa to Aarav Jain. 0040527049-8

I, Ratica Jain D/o Ravi Shanker Jain R/o-E-1/8/26 Sector-15, Rohini Delhi-110085, changed my minor son's name Chirush Kaswa to Aarav Jain. 0040527049-5

I, Sunaina D/O Om Prakash Pahwa R/O 2108, Outram Line Gtb Nagar Delhi-110009. Changed My Name To Sunaina Pahwa. 0040527059-7

I, Ranjit Kaur W/o Joginder Singh R/o Village-Basti Daulatpur, PO-Ibrahimwal, Tehsil Bholath, Distt. Kapurthala, Punjab have changed my name to Rajni Bala for all future purposes. 0040527084-5

I, Rajeev Gupta S/o Late Sh. Ashok Kumar Gupta R/o 3/113, Upper Ground Floor, Rachna Vaishali A, Sector-3A, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010 have changed my name from Rajeev Gupta to Rajeev Kumar Gupta for all future purposes. 0040527019-1

I, Radhe Shyam S/o Sabai Singh, R/o 338/1, Kheri(51), Mahendragarh-123027, have changed my name to Radheshyam Singh for all purposes. 0040527041-9

I, Prem Kumar Gupta S/O Madan Prasad Gupta R/O 146/16, Onkar Nagar-B, Trinagar, Delhi-110035. Changed My Name To Prem Kumar. 0040527036-6

I, Pooja Anand d/o Vipin Anand and w/o Mayank Verma r/o M-53, Second Floor, Vikas Puri, Delhi-110018 have changed my name to PRISHA VERMA permanently. Pooja Anand and PRISHA VERMA both are same and one person. 0040527027-1

I, Pinki Jain D/o Salek Chand Jain W/o Anurag Jain R/o-172-A 1st-Floor, RamNagar Delhi-110051, inform that Pinki Jain@Payal Jain is one and the same person 0040527033-1

I, Pankaj Add Shri Nagar Colony House No.274/11 Rohtak Haryana 124001 Changed My Minor Son Name Ekansh To Ekansh Saini 0040527041-6

I, Om Prakash S/o Lakhmi Chand R/o C-9/217 Sector-7 Rohini Delhi-110085 have changed my name to Om Prakash Bansal. 0040527078-4

I, Mukesh Devi W/O Ved Parkash R/O Village- Nangal Kalan, Sonipat-131023. Have Changed My Name To Mukesh Rani. 0040527036-7

I, Moninder Dhingra S/o Gobind Ram Dhingra R/o S-419, Ist-Floor, Greater Kailash-I, Delhi-110048, have changed my name to Maninder Singh Dhingra. 0040527049-1

I Abhishek S/O Shri Chand Add-187C Pkt- A Mayur Vihar-II Delhi-110091. Changed My Name To Abhishek Chauhan. 0040527041-5

I Jay Pal Singh S/o B.P.S. Chauhan R/o Plot No.75-A, Arya Nagar, Gopal Nagar-2, Najafgarh Road, Delhi-43, have changed my name to Jay Pal Singh Chauhan & Correct DOB is-02/08/1977 0040527059-1

Abhishek janardan Singh S/o janardan Singh R/o H no 1234 sec 37, Faridabad Changed my name as Abhishek Singh, 05/11/2019. 0050160657-1

I Rajinder Singh Sandhu S/O Sh Bakshish Singh R/O-A-25, Sham Nagar Delhi-110018 Have Changed My Name To Rajinder Singh In Future For All Purposes. 0040527084-1

I, Mohd. Zahid S/o Gul Mohd. R/o 804-805, S/F, Back Side Guru Ramdas Nagar Extn., Laxmi Nagar, Delhi-92 affirm that Zahid Ali, Mohd. Zahid & Mohd. Zahid Ali all are my names. 0040527035-1

I, Mohd. Salman Malik S/o Tanveer Malik R/o-4928B/28 Gali No.4D, Old-Seelampur, GandhiNagar Delhi-110031, have changed my name to Salman Malik for all purposes. 0040527033-3

I, Mohammad Amjad S/O Anwar Husain R/O-J-35A, 3rd-Floor, Abul-Fazal-Enclave Part-1, Jamia-Nagar, New Delhi-110025 Have Changed My Minor Daughter Name From Maryam Khan To Maryam Fatima. For All Future Purpose. 0040527078-8

I, Mohammad Amjad S/O Anwar Husain R/O-J-35A, 3rd-Floor, Abul-Fazal-Enclave Part-1, Jamia-Nagar, New Delhi-110025 Have Changed My Minor Daughter Name From Shanib Khan To Shanib Fatima For All Future Purpose. 0040527078-7

I, Meena Pandey D/o Brig. C.B. Khanduri R/o-1685, Sector-29,Noida(U.P.) have changed my name to Meena Khanduri for all future purposes. 0040527048-1

I, Manshi Tushir D/O Ved Parkash R/O Village- Nangal Kalan, Sonipat-131023. Changed My Name To Mansi Tushir. 0040527036-4

I, Manmohan Kaur W/O Rehan Khan R/O-198/29a, Lane No-2, Ramesh Market Near Sapna Cinema East Of Kalish South Delhi East Of Kalish Phase-I Delhi-1101065. Changed My Name To Zenab Khan. 0040527059-3

I, Rajinder Kumar/ Rajender Arora S/o Des Raj residing H.No. D-1, 2nd Floor, Bali Nagar Delhi 110015, have changed my name to Rajinder Kumar Arora for all purposes. 0040527009-2

I, Manju Kumari W/o Ajay Mahto R/o-G-236, Gali No.12, Sita-Puri Part-2, Dabri, Delhi-110045 have changed my name to Manju Mahto. 0040527041-2

I, Manjeet S/o Ramashrey R/o:Plot No-108, Bajaj Enclave, Dwarka Mod, New Delhi-78, Have Changed My Name to Manjeet Rajput for all Purposes 0040527078-2

I, Maninder Kaur W/O Gurdeep Singh Virk R/O-Plotno.366, Chand Nagar, Tilak Nagar, Delhi-110018. Changed my Name To Maninder Kaur Virk. 0040527036-8

I, Majara Begam W/O Ahmed Ali Khan R/O D-2/242, Sector-20, Rohini, Delhi-110086. Have Changed My Name To Majrun Nisha. 0040527036-2

I, Mahemdra Parakh, S/O Hanuman Mal Parakh R/O, 127, Old Gupta Colony, Dr.Mukherjee Nagar Delhi-110009 That Mahender Kumar Parakh And Mahendra Parakh Are One And Same Person Vide Affidavit No.-In-Dl06787721094127s Dated 08.01.2020 0050160729-1

I, Lalit Kumar S/o Sh. Virendra Kumar Garg R/o J-65, Upper G.F., Gautam Nagar, New-Delhi-110049, have changed my name to Lalit Garg for all future purposes. 0040527034-1

I, Kapil Kumar Sahni S/O Dalip Sahni R/O C-5/7a, Onkar Nagar, Keshav Puram, Delhi-110035. Changed My Name To Kapil Sahni. 0040527036-3

I, Jujhar Singh S/o Satinder Pal Singh, J-12/31 First-Floor, Rajouri Garden Delhi-110027, have changed my name to Jujhar Singh Kalra for all purposes. 0040527033-4

I, Jitender Dalal S/o Sh. Dalbir Singh R/o VPO Naya Gaon (Birbarktabad), Tehsil Bahadurgarh, Distt. Jhajjar Haryana-124507 inform that Jitender Dalal and Jitender both name same and one person. 0040527007-1

I, Inder Mohan S/O Rattan Singh R/O C-23, Gali No-1/2, Bhajanpura North/East Delhi-110053. Changed My Name To Inder Mohan Singh. 0040527059-4

I, Harjeet Kaur W/o Shamsher Singh R/o III-B-60C, Vishnu Garden, New Delhi-110018 have changed my name to Radhana Kaur. 0040527041-1

I, Harish Kumari Dagar W/O Rambir Dagar R/O Hno.404, Village-Shamaspur Khalsa, P.O Ujwa, Delhi-110073. Changed my Name To Harish Dagar. 0040527036-1

I Sanjay Mehendiratta S/O Hari Chand Mehndiratta R/o-B-96 Jeewan-Park Uttam Nagar New Delhi-110059. have changed my name to Sanjay Mehndiratta. 0040527084-2

I Sakshi W/o Sh.Deepak R/o 72, Vasant Apartment, Vasant Vihar, New Delhi-110057 have changed my name to Kavita Wadhwa for all purposes. 0040526999-1

I Seema Makker r/o of H-351, Jal Vayu Vihar, Sector 30, Gurgaon, HR-I122001 have changed my name to Preeti Vohra 0070691872-1

I Niharika D/O Pankaj Add Shri Nagar Colony H.No-274/11 Rohtak Haryana 124001. Changed My Name To Niharika Saini. 0040527041-7

व्यक्तिगत

I, Chandra Prakash Pathri S/o Sita Ram Panthari R/o-RZG-691, Ganesh-Marg, Rajnagar, Part-2, Palam-Colony, Delhi-110045. changed my name to Chander Prakash Panthari. 0040527041-4

I, Chanchal D/o Vinod Kumar Sharma R/o 653, Main-Mkt, Jhandapur, Ghaziabad, UP-201010 have changed my name to Chanchal Sharma. 0040527049-4

I, Brajesh Kumar Mishra S/o Bhawani Shankar Mishra R/o-A-211-212, 3rd-Floor Front-Side, Jhilmil Colony, Delhi-110095. changed my name to Brajesh Mishra. 0040527041-3

I, Bhawna Tyagi W/o Ravi Tripathi and D/o Bhagwant Singh Tyagi R/o House No-95, Sec-29, Faridabad, Haryana-121008, have changed my minor daughter's name from Bhavya Tripathi aged 4 years to Meera Tripathi forever 0070691920-1

I, Ashee D/o Rahim tula, W/o Shafiq Ahmed R/o. 52, Narmada Apartment, Schedule-B, President's Estate, Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004 have changed my name from Ashee to Asiya Ahmed For all future Purposes. 0040527010-1

I, Kavita Raj D/O Shri.Hari Shankar, R/O.H.No.Ka-268/A, Sector-12, Pratap-Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001. Have Changed My Name From Kavita Raj To SARA For All Purposes. 0040527049-10

I, Anterpreet Kaur W/o Harinder Jit Singh R/o-RZ-I-5, Ganpati-Apartment, Flat No.101, First Floor, Nanda-Block, Mahavir-Enclave, Palam-Village, Delhi-110045. have changed my name to Antarpreet Kaur. 0040527041-10

I, Annaline Kheiyandzuzu D/O Jomu Kheiyandzuzu R/O-B-93, FF Gali No.5, Krishna Nagar, Delhi-110029 Have Changed My Name To Annalene Kheiyandzuzu. 0040527049-6

I, Anil S/O Balbir Singh R/O C-7, Mitra Deep Apartment Patpar Ganj, I.P Extenshion Laxmi Nagar Gandhi Nagar Delhi-110092. Changed My Name To Anil Singh. 0040527059-6

I, Anil Kumar Jain S/o Raj Kumar Jain R/o-B-30, Gali-No.02, East Azad Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051,inform that Anil Kumar Jain and Anil Jain both are one and the same person. 0040527014-1

I, Alam shaikh S/O Mustakim shaikh R/O-Vill-Gopalpur Post-Nalhati Ps-Nalhati Dist-Birbhum State-West bengal Tehsil-Rampurhat Pin-731220. Inform That My service Record My Wife Name Is Worngly Mentioned as syeada Aliva(Tumpa)bibi Is Correct Name Syeda Tumpa khatun. 0040527078-6

I, Ajay Wali S/o Girdhari Lal Wali R/o Plot No-2048, Gali No-5, Kashmiri Block Jain Nagar, Karala, Delhi-110081, have changed my name to Ajay Kumar Wali. 0040526863-1

I, Aidh Muassir Syed S/o Muassir Husain Syed R/o 2/104, East End Apartment, Mayur Vihar phase 1 extn, Delhi-96 has changed my name Aidh Muassir Syed to Aidh Syed for all future purposes 0040527058-1

I Vimal Kumar S/o Sham Lal Goel R/o E-10, Gurunanak Road, Adarsh Nagar, Delhi-110033, have changed my name to Vimal Goel for all purposes and records 0070691873-1

I Trilochan S/O, Rajiv Kumar Sharma R/o H.no-592, Bijwasan, New, Delhi -110061 have changed my name to Trilochan Sharma for all purposes. 0040527040-1

I Surender Singh S/o Late Sh.Devi Singh R/o D-130, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, Delhi-110092 is also known as Surendra Singh. Both names are of one and the same person. 0040526999-2

I Surekha Singh Chauhan W/O, Satyendra Singh R/o Highland Apartments Plot No.22, Sector-12, Dwarka, New Delhi-110078 have changed my name to Surekha Singh for all purposes. 0040526102-1

I Shamma Aggarwal D/o Ram Avtar Aggareal and W/o Manish Gupta R/o AG-327, Shalimar Bagh, Delhi-110088, have changed my name to Kshama Gupta for all purposes and records 0070691871-1

I Sanjay Mehendiratta@Sanjay Mehndiratta S/O Hari Chand Mehndiratta R/o-B-96 Jeewan Park Uttam-Nagar NewDelhi-110059. have changed the name of my minor son Jatin Mehendiratta aged 17years and he shall hereafter be known as Jatin Mehndiratta. 0040527084-4

I Dolly D/O Bankey Lal H.NO-5, Block-D-1, Third-Floor, Om-Vihar Phase-5, UttamNagar, N.Delhi-110059 Have Changed my Name to Dolly Rani. 0040527078-1

I, Divya D/o-Rakesh Kumar, R/o-H.No.1004,Ravidass. Mandir-Marg,Pana-Paposian,Narela,Delhi-110040,have inform-that name of, my father and,mother has,been wrongly-written as,Rakesh Gupta,and Geeta in my 10-class marksheet.The actual name of my father and mother is,Rakesh Kumar and Geeta Rani. 0040526921-3

I Maneesha Garg R/O. 180-C, Lig Flat, Pocket 12, Jasola Vihar, New Delhi-110025 Have Changed My Name ToMansa Patnaha As Per Affidavit Dated 8 Jan.2020 0070691875-1

I Kumar Lucky S/O, Raj Kumar Jha R/o C-2, 104, Srs Pearl Heights, Sector 87, Faridabad, 121002 have changed my name to Lakshya Kumar for all purposes. 0040527008-1

I, Nafees Khan S/o Ali Jaan R/o A-357 1st Flr Gali No.9 Village Wazirabad Delhi-84. I Inform that my brother Anis Khan daughter' (Layba) school record father's name is Anis Khan but my brother has dead and after his death i got married his wife. So I want to change Layba's father's name in school record and other relevant documents of Layba from Anis Khan to Nafees khan. 0040526597-2

खोया+पाया

मेरे मकान आवास विकास सेक्टर 19/1052 इन्दिरा नगर, लखनऊ का आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। किसी अन्य के द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा। श्रीमती बीबी पत्नी अब्दुल सत्तार, सेक्टर 19/1052, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Lost Original Sale deed of (Plot)H.No.45/5C Gali No.14, East Azad Nagar, Delhi-110051 Regd. from Office Sub-Registrar Seelampur Delhi on-12/04/1971 S.No.5143 Khand.No.343, Book No.1, Pages-78 to 79 founder may inform-Brij Lal Gupta S/o Late Ram Gopal Gupta #8178502118 0040527033-2

I Harvinder Singh S/o S. Jagmohan Singh have lost Original Document of Property No. G-i-20, Lawrance Road,Industrial Area, Delhi .35. Area Measuring -400 Sq. yds, Form-C,Form-D, Allotment letter andrelated Documents of Property No. G-i-20 NCR LR No. 12075/2020Dt. 4.01.2020 , Contact: 9560602225 0040527061-1

I Sunaina Madan D/o Shyam Sunder Madan H.No.35-B, Lajpat-Nagar-2, New Delhi-110024. have lost original sale Deed of B-147-A, Kalkaji, New Delhi-110019. Finder may contact-9810594964, 9810594925. 0040527078-9

I, Ayush Yadav S/o Ravindra Singh Yadav R/o C-46, Police Residential Complex, Vasant Vihar, New Delhi-57 have lost my 12th Class Passing Certificate of CBSE-Delhi, Roll No.9164837, Year 2011, Passout from Delhi Public School. Finder Contact: 9711581893. 0040527001-1

I, RADHIKA D/o Jeet lal R/o 28/4 st.no-16 vishwash nagar Delhi-96. have lost my original certificate class-10th year-2019 Rollno-8160665 CBSE-Delhi 0040527078-10

I, have lost my original Marksheet & Certificate of Class 10th Roll No.8767762 Year 2012 issued by CBSE Board. Contact: Mahesh S/o Karan Singh R/o Vashisht Park, Pankha Road, New Delhi-110046 Mob. 9213196314 0040527018-1

It is notified for the information that my Original Qualification Examination Certificate of Main Secondary Examination of Year 2012 and Roll No.8679978 issued by CBSE has been actually lost. Tara Devi D/o Swami Nath Yadav, R/o N-62/234, Patrachar Timarpur, Delhi-110054, Tel. 9718607032. 0040527004-1

Lost My All-Original Property Documents Deed Of Will,Demand-Letter, Allotment-Letter Lr,Will Deed,Finder Pls Contact-Manoj Kumar Solanki,S/O Tara Chand Solanki R/O-G-30/136, Sector-3, Rohini,Delhi-110085. 0040527099-2

I, JASKARAN S/o Pushpinder R/o-1485 h.b.c sector-14, sonipat haryana have lost my original passing/certificate class-10th year-2010 Rollno-2155856 CBSE- Panchkula. 0040527078-11

I, Kamlesh Rani owner of Apartment CGN 186, DLF, Capital Greens, Shivaji Marg, New Delhi-15 have lost my original Possession Letter of above said apartment on the way from Sector-13 Rohini to Moti Nagar, Delhi on 07/01/2020. If anyone found this above document, Please return it or inform on contact No. 9643630432 & DLF, Capital Green, Shivaji Marg

Lost

Lost Original G.P.A. & Agreement to sell executed by Mr. Mohan Lal on dated 08.02.1973 in favour of Mr. Ram Prakash Gulati in respect of the Property, receipt & etc. and Original Sale Deed executed on 23.02.1973 executed by Shri Ram Prakash Gulati as General Attorney of Mr. Mohan Lal in favour of Mr. Kanhayia Lal in respect of Plot No.4 (now known as G-1/4) having land area measuring 250 Sq. Yards Out of Mustatil No. 83, Killa No. 5, in Block G-1, situated in the area of village Hastsal, colony known as Uttam Nagar, New Delhi.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलगण राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. सुजान सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती जोगिन्द्री देवी दोनों निवासी मकान सं. 28–A, गली नं. 44, बदरपुर, नई दिल्ली ने बखूबी अपने होशो हवास में रहकर अपनी पुत्रवधू सपना चौधरी व उसके बेटे निशान्त को उनके गलत चाल–चलन, आचरण आदि हरकतों से परेशान होकर अपनी चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हैं और सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में उनके किसी भी प्रकार के लेन–देन एवं कार्य के लिये मेरे मुवक्किलगण की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

KARAMVEER SINGH (Adv.)
Ch. No. 469, Saket District Court, N.D.- 17

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला श्रीमती गीता पति का नाम स्वर्गीय रामदास निवासी एन 39, डी 258, झुग्गी सराय पीपल थला, दिल्ली 110033 ने अपने पुत्र आकाश को अपनी सभी चल एवं अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है। आज के बाद मेरी मुवक्किला उनके किसी भी कार्य के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे।

–नीतू सेठी, एडवोकेट
सैट नं. 36 कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुव्वकिलों (1) सोबरन लाल सुपुत्र स्व. श्री बचन लाल व (2) श्रीमति मिथलेश पत्नी श्री सोबरन लाल, निवासी म. नं. एस–284ए, एस–ब्लॉक, गली नं. 10, प्रेम नगर–2, किराडी सुलेमान नगर, नांगलोई, दिल्ली–110086 ने अपने पुत्र प्रदीप कुमार व इसकी पत्नी नेहा से इनके गलत कृत्यों/ दुर्व्यवहार के कारण अपने सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं तथा इनको अपनी समस्त चल–अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति इनसे कोई भी सम्बन्ध रखता/बनाता है या कोई लेन–देन करता है या इन पर कोई पुलिस केस/कोर्ट केस होता है तो मेरे मुव्वकिलों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

O.P. SHARMA
Advocate
NOTARY PUBLIC

PUBLIC NOTICE

I, **SANDEEP SAINI** (Advocate) on behalf of my clients SMT. BALJIT KAUR W/O LATE SH. BAKSHISH SINGH R/O 3049/1, GALI NO. 5A, RANJEET NAGAR, NEW DELHI-110008, caused this notice to the General Public that my I have not made any documents Agreements, GPA, Affidavits etc. with respect to sale of my property bearing no. 3049/1, GALI NO. 5A, RANJIT NAGAR, NEW DELHI-110008 measuring 90 Sq. Yard Approx till date. That I am absolute owner of the abovesaid property and if anyone shows any kind of forged documents that may be considered invalid / Null and void.
If any person deals with such forged papers then he/she would be doing so at his/her own risk.

Sd/-
SANDEEP SAINI (Advocate)
Chamber NO. 235, Second Floor,
Saket Court, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Shri Jai Kishan** son of Shri Siyaram, **& Smt. Geeta**; wife, of Shri Jai Kishan, both residents of House No.A-12, A-Block, Vikas Nagar Extn., Hastsal, Uttam Nagar, New Delhi 110059, have disowned their son namely **Mr. Sanjay and his wife Mrs. Shalu** from their all movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and they have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect, My clients and their family members will not be liable for their acts,whatsoever done by them to anybody in future.

Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road,
Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

Be it Known that my clients **(1) VIRENDER S/o LALA JIYA LAL & (2) SMT. SUNITA W/o VIRENDER both R/o 487, X-Block Mangol Puri Delhi-110083**, have disowned and Severed all their relation with their son namely **RAHUL KUMAR** S/o VIRENDER and debarred them from their movable and immovable properties/ assets due to their misbehavior. Anybody dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.

SURENDER KUMAR (Advocate)
Off. No. 6 RU-Block
Pitampura, Delhi-34

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client SH. MAHABIR SINGH S/O SH. LATE RAM CHANDER R/O H.NO. 9 SIRASPUR, DELHI, PRESENTLY RESIDING AT: D-4/54, SECTOR-15, ROHINI, DELHI, have disowned his son namely ANIL KUMAR from his entire movable and immovable properties as he has gone out of control and my client and his entire family has severed all the relations from him. My client shall not hold any responsibility of his deed and misdeed by any manner whatsoever.

Sd/-
(AVDHESH KUMAR) ADVOCATE
Enrl. No. D-1182/03
Ch. No.-803, 8th Floor, Lawyer's
Chamber Complex Rohini Courts,
Delhi-110085
Mob.-9350433043

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that my client, Sh. Madan Jiwal S/o Late Atar Singh R/o C-140, Chander Vihar, Mandawali, New Delhi-110092 has disowned his son namely Mr. Jogender Jiwal and his wife Seema Jiwal and our grandsons Sahil Jiwal & Viral Jiwal out of his free will and consent from all his movable and immovable properties due to their misbehavior, unfamiliar activities & intolerable act & misconduct. In future they are not entitled for any claim for movable and immoveable of my client. If any cause or action arise between them my client's family shall not be liable for their any act.

Shreshth Jain (Advocate)
H.No. 3 LGF, Vikram Vihar Extn.,
Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Sh. Swaraj Singh S/o Sh. Mahru Lal, R/o H.No.193, Gali No.5, Shakti Vihar, Meethapur Extension, Badarpur, Jaitpur, New Delhi-110044 has severed his relation with his son Saurabh Kumar and his wife Preeti. My client has no control over his son and his wife due to adamant and cruel behaviour of Smt. Preeti as such my client has disowned and debarred them from the movable or immovable properties and assets, cash, FDs of my client. Anybody deals with them shall be doing so at his own risk and consequences.

Nizamuddin (Advocate)
Ch. No. 457, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

This is to certify that my client Madan Mohan Tuteja S/o Late Shri Ram Lal Tuteja R/o 9/8A, Nehru Enclave, New Delhi-110019, is disconting/ disassociate and debarred his son Kartun Tuteja, aged 40 years, from all rights, liens, titles and interest in his all properties, fixed assets, liquidate, bank accounts, LIC, Pension, Share, Jewellery etc. from today. He has no rights, interest, liens and titles in respect of all movable and immovable properties & assets and he will never make any claim, dispute, court case etc. in respect of properties and assets.
Place: New Delhi (SANYOGITA)
Date : 09.01.2020 Advocate

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that my client Smt. Sunita Sethi W/o Sh. Vijay Kumar Sethi & her daughter namely Ms. Jyoti Sethi both R/o H-1178, First Floor, Chittranjan Park, New Delhi also at: Village & Post Hansali (Ghagwal) Tehsil Hira Nagar, Distt. Kathua, Jammu & Kashmir and Sh. Sunil Kumar Sharma have never consented to Sh. Vijay Kumar Sethi to implead or include my clients be the partners / directors / co-owners / proprietor of any of the firm / company/ proprietorship concern / Pvt. Ltd. Co. namely M/s Exquire Medtech Pvt. Ltd., Define Finsorp, Define Healthcare Ltd., Medico Imaging Services, Define Medical System Inc., Medico Imaging System Pvt. Ltd., Exquire Studios Pvt. Ltd., Seagale Medical Systems & had never consented authorized, empowered Sh. Vijay Kumar Sethi to open account of the abovesaid companies/firm by including my clients name to anyone in ICICI Bank, HDFC Bank, SBI Bank & Yes Bank anywhere in India & my clients have no concern of any kind & Nature.
Delivered with the consent of my aforesaid clients.

Sanjay Rathi (Advocate)
Ch. No. 194, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

सेना प्रमुख का सियाचिन में अग्रिम चौकियों का दौरा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुरुवार को महत्त्वपूर्ण उत्तरी कमान के तहत सियाचिन सेक्टर में अग्रिम चौकियों का दौरा किया। पद संभालने के बाद यह उनकी यहां की पहली यात्रा थी।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, सेना प्रमुख के साथ उत्तरी कमान और अन्य कोर के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। सियाचिन ब्रिगेड के कमांडर ने सेक्टर में की जा रही तैयारियों से जनरल नरवणे को अवगत कराया। सेना प्रमुख ने अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की। उन्होंने खराब मौसम तथा दुर्गम भूभाग के बावजूद उनके हौसलों और मनोबल की सराहना की।

जनरल नरवणे ने कहा कि पूरा देश सियाचिन में तैनात सैनिकों पर गौरवान्वित है जो देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर रहे हैं। सियाचिन बेस कैंप में, जनरल नरवणे ने सियाचिन युद्ध स्मारक में उन सभी बहादुर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।

वहां जवानों से जनरल नरवणे ने कहा, उनकी हमेशा से यह इच्छा थी कि वे सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद सियाचिन आएं, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में मौसम का हाल बहुत खराब था, इस वजह से वे आ नहीं सके।

उन्होंने सियाचिन में बहाल सेना के जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हम इस बात को समझते हैं कि सियाचिन के हालात बहुत ही मुश्किल भरे हैं। मौसम से लेकर यहां की भौगौलिक संरचना तक हमारे पक्ष में नहीं है। हम फिर भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही छोड़ेंगे।

PUBLIC NOTICE

This is to bring to your kind notice on legal that, on behalf of my client Sh. Vijay Sharma S/o Sh. Jwala Prasad Sharma, R/o B-197, Saraswati Vihar, Delhi, that an Original Conveyance Deed executed by DDA Vide Registration No. 10216 Volume No. 1142, Book No. 1, Page 152 to 153 dated 02.08.2001 before Sub Registrar II, Delhi in favour of my client in respect of the Plot No. 190, Block-B, Saraswati Vihar, Delhi measuring area 200 Sq.Yds is determined. If anyone having any objection may contact the undersigned or with my client within one week from the publication of this Public notice.

P.K. DASH (Advocate)
Ch. No. 321, Lawyers Chambers
Block, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that My

मौसम

तापमान **नई दिल्ली**

अधिकतम–16.0 डि.से. सूर्योदय– 7:15

न्यूनतम– 6.0 डि.से. सूर्यास्त– 17:41

कारखाने में लगी आग, एक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार रात एक कारखाने में भीषण आग लग गई। इस हादसे में दम घुटने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार निवासी फूल देव सिंह (35) के तौर पर हुई है। स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को रात करीब ढाई बजे आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर 30 दमकलों ने कड़ी मशक्कत कर गुरुवार सुबह करीब साढ़े सात बजे आग पर काबू पाया।

आग लगने के वक्त कुछ मजदूर कारखाने के अंदर सो रहे थे। हादसे में फूल देव को छोड़ सभी मजदूर बाहर निकलने में कामयाब रहे। आग पर काबू पाने के बाद फूल देव को पुलिस गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कारखाने के मालिक सुखदेव विहार निवासी अतुल और अनुज गोयल का है। फिलहाल पुलिस ने मामल दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बताया कि पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर 114 में कावेरी प्रिंटिंग प्रेस नाम से एक कारखाना था। इसमें किताबें, डायरी के अलावा अन्य सामानों की छपाई का काम होता था। फूल देव सिंह मालिक अनुज के घर पर सहायक का काम करता था। वह मंगलवार को काम से कारखाना आया था। देर होने की वजह वह कारखाने की दूसरी मंजिल पर ही सो गया। आग लगने के बाद कुछ मजदूर कारखाना से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन फूल देव सोते रह गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम : पता चला कि फूल देव की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। पुलिस ने उसके शव को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया है। उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

प्रिंटिंग का सामान होने से फैली आग : दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कारखाने में पेपर, स्याही और अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखे थे। इस कारण आग कुछ ही मिनटों में फैल गई। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट-सर्किट की वजह से लगी।

ज्ञानकोश की चाबी होती है भाषा : प्रो. सराफ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

हिंदी सिर्फ एक राष्ट्रभाषा बनकर रह गई है। इसकी लोकप्रियता, इसके अकादमिक विकास, हिंदी में अनुवाद और अन्य देशों में क्या काम हो रहा है, इसके विस्तार करने पर भी चर्चा करना भी जरूरी है। तभी हिंदी को केंद्र में लाया जा सकेगा। ये बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की प्राचार्य बाबली मोइत्रा सराफ ने 'हिंदी : वैश्विक परिप्रेक्ष्य–भाषा, साहित्य और अनुवाद' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में ये बातें कहीं। यह सम्मेलन न्यूयॉर्क और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

प्रो. बाबली मोइत्रा सराफ ने हिंदी भाषा में अनुवाद के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है। वह ज्ञानकोश की चाबी होती है। सभी भाषाएं हमें नहीं आतीं ऐसे में अनुवाद जरिया बनता है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से विद्यार्थी हिंदी के प्रति और प्रेरित होंगे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी का स्वागत किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रधान निदेशक अखिलेश मिश्रा ने कहा कि हिंदी का संबंध हमारी आत्मा से है। हम इससे प्रेम करते हैं और यही प्रेम हम सभी को सूत्र में बांधे हुए है। हिंदी के वैश्विक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी के संबंध को चार भागों में देखा जा सकता है। पहला वे लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी है। दूसरा अहिंदी भाषी क्षेत्रों के भारतीयों का हिंदी से संबंध। तीसरा प्रवासी भारतीयों के साथ हिंदी का संबंध और चौथा अभारतीय मूल के विदेशी हिंदी के साथ कैसा संवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना घर, धर्म, नागरिकता, चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन मां नहीं बदल सकते और यही स्थिति हमारी मातृभूमि की और हमारी भाषा की भी है। उन्होंने कहा कि हिंदी को गर्व का विषय बनाएं।

स्वीडन के उपसाला विश्वविद्यालय से आए प्रो. हाइंस वर्नर वेसलर ने जनसत्ता से बात करते हुए कहा कि विदेशों में हिंदी का कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जिससे यहां से जाने वाले लोगों को हिंदी पढ़ाने में दिक्कत होती है। तो ऐसा पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा जिससे वहां पढ़ाने में समस्या न आए। तभी हिंदुस्तानी वहां हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ा पाएंगे। तब वो विश्व भाषा बनाने में और संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक भाषा बनाने में महत्त्वपूर्ण कदम होगा। कार्यक्रम के पहले दिन कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रो. राकेश रंजन, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष डॉ कमल किशोर गोयनका, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्य प्रो. मोहन और रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलाधिपति संतोष चौबे ने भी अपने विचार रखे।

उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड
(पूर्व में उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड)

असाधारण आम बैठक के लिए ई-वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता हैं कि उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ई.ओ.जी.एम.) का आयोजन 20 जनवरी 2020 को सायंकाल 05:00 बजे से पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय - एस -24/1-2, चौथा तल, महावीर नगर, अर्दली बाज़ार, महावीर मंदिर के निकट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002 में किया जाएगा, जिसमें ई.ओ.जी.एम. की सूचना में वर्णित विशेष व्यवसाय का विचार-विमर्श किया जाएगा। कम्पनी ने शुक्रवार 27 दिसम्बर 2019 तक स्वीकृत पद्धति में सदस्यों को ई.ओ.जी.एम. की सूचना का प्रेषण संपन्न कर लिया है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित समय समय पर यथा-संशोधित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम २० तथा साधारण आम बैठकों पर सचिवालयी मानकों के अनुपालन में यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना में सूचीबद्ध विषयों पर अपना मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने एन.एस.डी.एल. (**"ई-वोटिंग सेवा प्रदाता"**) की सेवाएँ ली है। सभा बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया हो, वह सभा में मत पत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है। जिन सदस्यों ने सभा बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो, वह सभी सदस्य भी सभा बैठक में उपस्थित हो सकते हैं।

ई-वोटिंग की अवधि 17 जनवरी, 2020 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगी तथा 19 जनवरी, 2020 को सायंकाल 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, भौतिक रूप में या विमुद्रीकृत रूप में 20 दिसबर, 2019 के कट-ऑफ की तारीख (मतदान के अधिकार प्राप्त करने के लिए) तक शेयर धारित करने वाले कम्पनी के सदस्य ई.ओ.जी.एम. सूचना में निर्दिष्ट तरीके एवं प्रक्रिया में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते है। उसके बाद मतदान के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी। यदि कोई सदस्य जो कट-ऑफ तारीख के अनुसार कम्पनी का सदस्य नही है, वह इस सूचना को केवल जानकारी के लिए देखे। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट ऑफ़ तिथि (मताधिकारों की गणना के लिए) जो 20 दिसम्बर 2019 हैं, कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी / सामान्य शेयर पूजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालन करने के लिए मे. सुमित सिंह एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, वाराणसी को सवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु सदस्यगण, ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर कॉल कर सकते है।

ई.ओ.जी.एम. का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.utkarshcoreinvest.com पर उपलब्ध है।

उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड के लिए
नीरज कुमार तिवारी
कम्पनी सचिव

स्थान: वाराणसी
तिथि: जनवरी 10, 2020

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: एस -24/1-2, चौथा तल, महावीर नगर, अर्दली बाज़ार, महावीर मंदिर के निकट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
ई.मेल आई. डी.: secretarial@utkarshcoreinvest.com संपर्क: +91 9598069737

ब्रोकर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्वतः डायलेक्टिक सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
पंजी. कार्यालय : 43/12, भू तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
सीआईएन : U72200DL2016PTC302861
ई–मेल आईडी : dialecticnotices@gmail.com
प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कार्पोरेट मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (5) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ख) के विषय में
तथा
ब्रोकर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः डायलेक्टिक सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) जिसका पंजी. कार्यालय 43/12 भू तल, ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली–110008 में स्थित है के विषय में ....याचिकादाता

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि **ब्रोकर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः डायलेक्टिक सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** (कम्पनी) द्वारा इसके पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"महाराष्ट्र राज्य (मुंबई)"** में स्थानान्तरित करने के लिए कम्पनी के स्थान बदलने के संबंध में 23 दिसम्बर, 2019 को आयोजित इसके असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निकेतन **शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर सुपुर्द कर सकता है अथवा माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट मंत्रालय, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के 14 दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उसपरिवर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।

कृते एवं लिये आवेदक
ब्रोकर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
ह्स्ता/–
(कर्ण नंदुप गूटिया)
निदेशक

तिथि : 10–01–2020
स्थान : नई दिल्ली

विक्रय सूचना
हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड
(परिसमापनाधीन)
परिसमापक : श्री काशी विश्वनाथन शिवरमन
परिसमापक का पता : ई–10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश–I, नई दिल्ली–110048
ई–मेल : assetsale1@aaainsolvency.in, assetsale2@aaainsolvency.in, haridwar.iron@aaainsolvency.com
ई–नीलामी
ऋण शोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 के तहत आस्तियों की बिक्री

ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 24 जनवरी, 2020 को 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)। माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ के आदेश दिनांक 17 सितम्बर, 2019 द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा निर्मित परिसमापन सम्पदा का भाग निर्मित करने वाला हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के स्वामित्व वाली आस्तियों तथा सम्पत्तियों का विक्रय। विक्रय अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफॉर्म https://aaa.auctiontiger.net के माध्यम से किया जायेगा।

आस्ति	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ज.ध.राशि	वर्धित मूल्य
शेड सहित भूमि तथा भवनः खसरा नं. 595, 596, 597, 602, 603, 608, 609 तथा 610, श्री सीमेंट के पीछे, ग्रामः अकबरपुर ऊद, तहसीलः लक्सर, जिला : हरिद्वार, क्षेत्रफल 62035 वर्ग मीटर तथा भवन 120464 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में उपर्युक्त स्थान पर स्थित तथा निर्मित।	A	8.03 करोड़	80.3 लाख	2 लाख
संयन्त्र एवं मशीनरीः एचआईआईआरएल, ग्रामः अकबरपुर ऊद, तहसीलः लक्सर, जिला : हरिद्वार, 247667 पर स्थित संयन्त्र एवं मशीनरी।	A	5.02 करोड़	50.2 लाख	2 लाख
संयन्त्र तथा मशीनरी सहित भूमि एवं भवन (समेकित): खसरा नं. 595, 596, 602, 603, 608, 609 तथा 610, श्री सीमेंट के पीछे, ग्रामः अकबरपुर ऊद, तहसील : लक्सर, जिलाः हरिद्वार पर स्थित	C	13.05 करोड़	1.3 करोड़	5 लाख

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं
1. ई–नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से संचालित की जायेगी।
2. आस्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई–नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा एवं शपथ प्रपत्र, ऑनलाइन ई–नीलामी विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तों सहित सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://aaa.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क व्यक्ति : श्री तिलक मराठा, +91-6351896834/079-68135416/417 तथा 8980690773 kushal@auctiontiger.net/rikin@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net, (लिंक https://aaa.auctiontiger.net पर जाने के बाद इच्छुक संविदाकार को दो विकल्पों (i) कम्पनी का नाम (हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड), अथवा (ii) राज्य तथा सम्पत्ति के प्रकार में से किसी एक विकल्प का उपयोग करके उल्लिखित कम्पनी को ढूँढना होगी।।
3. अपनी संविदा जमा करने से पूर्व इच्छुक संविदाकार को सम्पत्ति के स्वामित्व, स्थानीय बकाया कर, विद्युत एवं पानी के प्रभार, रखरखाव प्रभार, यदि कोई हो, के सम्बन्ध अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए तथा स्वयं के व्यय पर एवं सन्तुष्टि के लिए सम्पत्ति का निरीक्षण कर लेना चाहिए। साइट पर सम्भावित संविदाकारों द्वारा उपर्युक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण पूर्व सूचना देकर श्री पुनीत सचदेवा/श्री वसीम : 8800865284 से सम्पर्क करके किया जा सकता है।
4. इच्छुक संविदाकारों को जमा धरोहर राशि (ईएमडी) या तो डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से "हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड–इनएलआईक्यू", खाता सं. : 7413364385, कोटक महिन्द्रा बैंक, आईएफएससी कोड : KKBK0000195, जी–5–13, प्लॉट सं. 1 एवं 2, बेसमेंट बी–4, लोकल शॉपिंग सेंटर, पम्पोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश I, नई दिल्ली–110048 के खाते में या "हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड–इनएलआईक्यू" के नाम से किसी अनुसूचित बैंक से आहरित डीडी के माध्यम से जमा करनी अपेक्षित है अथवा सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में प्रदत्त प्रारूप ए अथवा प्रारूप बी के अनुसार ज.ध.रा. हेतु बैंक गारंटी देनी होगी।
5. इच्छुक संविदाकार को (1) पहचान प्रमाण–पत्र (2) वर्तमान निवास प्रमाण (3) पैन कार्ड (4) वैध ई–मेल आईडी (5) लैण्डलाइन तथा मोबाइल फोन नम्बर (6) संलग्नक 1 के अनुसार शपथपत्र तथा दायित्व–पत्र (7) संलग्नक II के अनुसार संविदा आवेदन प्रपत्र (8) संलग्नक III के अनुसार संविदाकार द्वारा घोषणा–पत्र, इन अनुलग्नों का प्रारूप सम्पूर्ण ई–नलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिये जा सकते हैं। ये दस्तावेज 22 जनवरी, 2020 को 5.00 बजे अपराह्न तक या इससे पूर्व ई–मेल द्वारा अथवा नीचे दिये गये कार्यालय परिसमापक के पते पर पहुँच जाने चाहिए। इच्छुक संविदाकारों को ईएमडी जमा के विवरण सहित अपने केवाईसी दस्तावेज 22 जनवरी, 2020 को 5.00 बजे अपराह्न से पूर्व https://aaa.auctiontiger.net पर अपलोड करने होंगे।
6. पोर्टल (https://aaa.auctiontiger.net) पर ई–नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र संविदाकारों के नाम परिसमापक द्वारा चिन्हित किये जायेंगे। ई–नीलामी सेवा प्रदाता (ऑक्शन टाइगर) पात्र संविदाकारों को ई–मेल द्वारा यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करायेगा।
7. यदि संविदा ई–नीलामी बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित आगे बढ़ जायेगा। जो संविदाकार ई–नीलामी प्रक्रिया बन्द होने पर उच्चतम संविदा राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) की बोली जमा करता है उसे सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा और उस प्रभार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्प्रेषण निर्गत किया जायेगा जो परिसमापक के अनुमोदन का विषय होगा।
8. सफल संविदाकार की ईएमडी विक्रय विचारार्थ विक्रय के अंश के रूप में रख ली जायेगी और असफल संविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। परिसमापक सफल संविदाकार को एक आशय–पत्र निर्गत (एलओआई) करेगा और सफल संविदाकार को शेष राशि (सफल संविदा राशि – ईएमडी राशि) एलओआई के निर्गमन के 30 दिनों के भीतर परिसमापक के पास जमा करनी होगी। एलओआई में उल्लिखित के अनुसार समय–सीमा के भीतर सफल संविदाकार द्वारा शेष राशि जमा करने में चूक करने पर सफल संविदाकार द्वारा सम्पूर्ण जमा राशि (ईएमडी + कोई अन्य राशि) जब्त कर ली जायेगी।
9. सफल संविदाकार नीलामी पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रयोज्य स्टैम्प शुल्क/अन्तरण प्रभार, शुल्क आदि तथा समस्त स्थानीय कर, शुल्क, दरें, अभिनिर्धारण प्रभार, शुल्क आदि सफल संविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा।
10. परिसमापक को किसी या समस्त प्रस्ताव(वों) को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई–नीलामी को स्थगित/विलम्बित/निरस्त करने अथवा नीलामी प्रक्रिया से सम्पत्ति या उसके अंश को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
11. सम्पूर्ण विक्रय प्रक्रिया के भुगतान के पश्चात विक्रय प्रमाणपत्र/अनुबन्ध केवल सफल संविदाकार के नाम से निर्गत किया जायेगा और किसी अन्य के नाम से नहीं निर्गत किया जायेगा।
12. परिसमापक को किसी या समस्त संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई–नीलामी को स्थगित/विलम्बित/निरस्त करने अथवा नीलामी प्रक्रिया से सम्पत्ति या उसके अंश को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
13. यह विक्रय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके तहत विनियमों के प्रावधानों का विषय होगा।
14. यदि एक से अधिक संविदाकार ईएमडी जमा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में परिसमापक को हितधारकों के साथ परामर्श के पश्चात नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 24 जनवरी, 2020 को 3.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न (5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)।
16. उस व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी जो उपर्युक्त ब्लॉक–सी में उल्लिखित समस्त आस्तियों (समेकित) के लिए संविदा करेगा।

श्री काशी विश्वनाथन शिवरमन
हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लिमिटेड के मामले में परिसमापक
आईबीबीआई (पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00900/2017-18/11497)
पता : ई–10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश–I, नई दिल्ली–110048
ई–मेल : assetsale1@aaainsolvency.in, assetsale2@aaainsolvency.in, sivarita68@yahoo.com
सम्पर्क नं. : 8800865284 (श्री पुनीत सचदेवा/श्री वसीम)

तिथि : 07.01.2020
स्थान : नई दिल्ली

केन फिन होम्स लि.
एससीओ–34 एवं 35, 1ला तल, केनरा बैंक के ऊपर, सेक्टर–10ए, गुड़गाँव
फोन: 0124–2370035, 2370760, CIN No. L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथियों को जारी कर अधोलिखित ऋणधारक(कों)/सह–ऋणधारकों/गारन्टरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे प्रत्येक ऋणधारक के समक्ष वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

सं.	ऋणधारकों तथा गारन्टरों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जा की तिथि
1	श्री बृजेश, पुत्र बिजेन्दर सिंह (ऋणधारक) श्रीमती बाबुली, पत्नी बिजेन्दर सिंह (सह-आवेदक)	मकान फ्लैट नं. 102, यूनाटेड होम्स, प्रथम तल, एलएचएस प्लॉट नं. 844, गली नं. 4, सीसीए स्कूल के सामने, खसरा नं. 10209/7314/2950/42, लक्ष्मण विहार, फेज II, गुड़गाँव, पिन 122001 के सभी भाग तथा हिस्से में आनुपातिक शेयर चौहद्दीः उत्तरः मकान सं. 845, दक्षिणः पैसेज तथा फ्लैट नं. 101, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः रोड	1.11.2019	रु. 2431825.00	10 जन. 2020
2	श्री अब्दुस्सलाम अहमद (ऋणधारक), पुत्र मोह. इस्माईल शाह, श्रीमती अमीना जाफरी, पत्नी अब्दुस्सलाम अहमद (सह-ऋणधारक)	मकान प्लॉट नं.-4336, भू तल, रीअर साइड, टी.पी. स्कीम-III, सैनिक कॉलोनी, सेक 49, फरीदाबाद-121001 के सभी भाग तथा हिस्से में आनुपातिक शेयर चौहद्दीः उत्तर-पूर्वः नं.-4307, दक्षिण-पश्चिमः फ्रान्ट साइड फ्लैट एव 23' चौड़ा रोड, दक्षिण-पूर्वः नं.-4335, उत्तर-पश्चिमः नं.-4337	1.9.2019	रु. 3238580/-	10 जन. 2020
3	श्री अमरदीप (ऋणधारक) पुत्र भारपुर सिंह जाखर, श्री भारपुर सिंह जाखर (सह-आवेदक) पुत्र छत्तर सिंह	मकान एच नं. 470/210 (पुराना नं. 1406) (कॉमर्सियल शॉप नं. 5) खसरा नं. 6422/3341/435/1, दौलताबाद फ्लाई ओवर के सामने, लक्ष्मण विहार गुरुग्राम 122001 के सभी भाग तथा हिस्से में आनुपातिक शेयर, चौहद्दीः उत्तरः ओम प्रकाश की सम्पत्ति, दक्षिणः पवन मेहरा की सम्पत्ति, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः रोड	1.9.2019	रु. 2029652.00/-	10 जन. 2020
4	श्री शैलेन्द्र प्रकाश (ऋणधारक), पुत्र स्व. रामदेव राम, श्रीमती बीना देवी (सह-आवेदक) पत्नी शैलेन्द्र प्रकाश	मकान एच. नं. 2211/40 सी डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद-121001, हरियाणा के सभी भाग तथा हिस्से में आनुपातिक शेयर, चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः सम्पत्ति का भाग पश्चिमः सम्पत्ति का भाग	1.9.2019	रु. 10,32,197.00	10 जन. 2020
5.	श्री दिनेश कुमार (ऋणधारक) पुत्र सिधेश्वर साह, श्री बॉबी कुमार (सह-ऋणधारक) पत्नी दिनेश कुमार	मकान सं. 62/211, गली नं. 10, किला नं. 32/21/6, धनवापुर रेलवे क्रॉसिंग, कृष्णा प्रॉपर्टीज के निकट, अपार्टमेन्ट लक्ष्मण विहार, गुरुग्राम-122001 (हरि.) के सभी भाग तथा हिस्से में आनुपातिक शेयर चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः पंडत जी का मकान	01.11.2019	रु. 5,82,468.00	10 जन. 2020
6.	श्रीमती ज्योत्सना शर्मा (ऋणधारक) पुत्री जगदेव प्रसाद जैसवाल	मकान प्लॉट नं. 4305 जीएफ-06, निकट राइट हैंड साइड टीपी स्कीम 3, सेक्टर 49, सैनिक कॉलोनी, फरीदाबाद-121001 के सभी भाग तथा हिस्से में आनुपातिक शेयर चौहद्दीः उत्तरः फ्लैट नं. जीएफ 5, दक्षिणः रोड, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः फ्लैट नं. जीएफ 1	01.09.2019	रु. 25,23,597/-	10 जन. 2020
7.	श्री राजीव सहनी (ऋणधारक) पुत्र स्व. एन सहनी, श्रीमती सोनिया सहनी (सह-आवेदक) पत्नी-राजीव सहनी	मकान फ्लैट नं. सी2/1271, भू तल वाय सराय लक्जरी पालम विहार, गुरुग्राम-122001,के सभी भाग तथा हिस्से में आनुपातिक शेयर चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 1272, दक्षिणः खाली भूमि, पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य भूमि	01.09.2019	रु. 13,87,809.00	10 जन. 2020
8.	श्रीमती रेणु बाला (ऋणधारक) पुत्र शितांशु शर्मा, श्री शितांशु शर्मा (सह-आवेदक) पुत्र अश्वनी कुमार शर्मा	मकान फ्लैट नं. 4307 टी पी 3, भू तल, रीअर पार्ट, आई.पी.एक्स्टें., सेक्टर-49, फरीदाबाद, हरियाणा के सभी भाग तथा हिस्से आनुपातिक शेयर चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः नं. 4336, पूर्वः नं. 4308, पश्चिमः नं. 4306	01.09.2019	रु. 3163715.00	10 जन. 2020

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधाकरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय वसूली की तिथि तक उस पर आगे का ब्याज के साथ प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित राशि के लिये सीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लि.

तिथिः 10.01.2020 स्थानः गुरुग्राम

ujjivan SMALL FINANCE BANK
दूसरा तल, जीएमटीटी भवन
डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण की धारा 13 (2) के अधीन मांग सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणियों ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के ब्याज एवं मूलधन राशि को अदायगी करने में चूक की है तथा कथित सुविध

कमजोर कड़ी तो नहीं चुनाव प्रभारी!

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव प्रभारी उसकी कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। श्याम जाजू और हरदीप सिंह पुरी के पास दिल्ली का प्रभार है। पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद इनका राष्ट्रीय राजधानी में जमीनी आधार नहीं है। इस वजह से निचले स्तर तक इन नेताओं की पहुंच नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि दिल्ली के लिए एक बड़ा चेहरा तैयार नहीं हो पा रहा है। अब जबकि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ मैदान में उतरती है तो इससे पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। यह फायदा हाल ही में निगम चुनाव व लोकसभा चुनाव में साफ नजर आया।

दिल्ली में 2015 के बाद से ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू के पास दिल्ली का प्रभार है। इस स्वतंत्र प्रभार के बाद यह माना जा रहा था कि दिल्ली भाजपा की गुटबाजी को खत्म करने में पार्टी को मदद मिलेगी। लेकिन इसके बेहतर परिणाम सामने नहीं आए। दिल्ली में एक साथ बहुत से चेहरे आना ही पार्टी में गुटबाजी की बड़ी वजह माना जा रहा है। पार्टी सूत्र इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि इस कार्यकाल में संगठन के समानांतर एक टीम सक्रिय नजर आई है। यह समानांतर सक्रियता नुकसान की एक बड़ी वजह है। अन्यथा दिल्ली लोकसभा में जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मतदान हुआ, पार्टी को रिकार्ड मतों पर जीत मिली। इस लहर में पार्टी नए चेहरों को भी रिकार्ड मतों से जिताकर लाने में कामयाब रही। लेकिन स्थानीय स्तर पर यह जादू नहीं चल पाता है। ऐसे ही किसी स्थानीय करिश्माई व्यक्तित्व की कमी के कारण 20 साल से भी अधिक समय से भाजपा सत्ता के गलियारे से दूर है।

बात चेहरे की

हरदीप सिंह पुरी

श्याम जाजू

श्याम जाजू और हरदीप सिंह पुरी के पास दिल्ली का प्रभार है। पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद इनका राष्ट्रीय राजधानी में जमीनी आधार नहीं है। इस वजह से निचले स्तर तक इन नेताओं की पहुंच नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि दिल्ली के लिए एक बड़ा चेहरा तैयार नहीं हो पा रहा है।

पार्टी को नुकसान केवल इस मोर्चे पर ही नहीं है। बल्कि केंद्रीय स्तर पर भाजपा नेताओं की रणनीति पर है। दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों को कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी ने प्रोविजनल प्रमाणपत्र दिया था और कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता की चाभी मिली थी। लेकिन भाजपा इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों के लिए कानून लाकर और वैध रजिस्ट्री देकर भी ऐसा माहौल बना पाने में सफल नहीं हुई है। इसका नुकसान पार्टी को भी साफ नजर आ रहा है। यह मंत्रालय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के तहत है। दिल्ली सरकार जब इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार से अधिक समय मांग रही थी। उस समय इन कॉलोनियों का काम मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया था। इसके लिए तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण की और कॉलोनियों में रजिस्ट्री भी शुरू की। हरदीप सिंह पुरी मामले में दिल्ली सरकार पर हमले तो बोलते रहे लेकिन दिल्ली की जनता को भाजपा यह नहीं समझा पाई कि नियमितिकरण भाजपा के प्रयासों की पहल है। इसका नुकसान पार्टी को अब नजर आ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम लोगों को इस मसले पर अपने पक्ष में नहीं कर सके।

इसके अलावा संबंधित कॉलोनियों में सीलिंग व मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सवारी भी पुरी के मंत्रालय से जुड़ा मामला है। पार्टी चाहती थी कि अमर कॉलोनी जैसी कॉलोनियों में सीलिंग की कार्रवाई रुके। लेकिन तय समयसीमा में यह काम नहीं हुआ। अब लोगों में यह संदेश सामने आ रहा है कि केवल चुनाव की वजह से ही दिल्ली में सीलिंग को रोका गया है।

'दिल्ली सरकार के शिक्षा में सुधार के दावे खोखले'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

पूर्व विधायक जयकिशन ने अरविंद केजरीवाल सरकार के शिक्षा में सुधार के दावे को खोखला बताया। उन्होंने झूठी घोषणाओं पर केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को घेरते हुए कहा कि शिक्षा मॉडल की बात करने वाले इन नेताओं को पता नहीं है कि आठ लाख से ज्यादा विद्यार्थी 10वीं और 12वीं कक्षा में फेल हुए हैं। और 30 फीसद 9 वीं कक्षा के छात्रों ने 10वीं कक्षा के लिए योग्य ही नहीं हो पाए। एक-एक कक्षा में 90-90 बच्चे पढ़ते हैं। 30 फीसद से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। दिल्ली सरकार के स्कूलों का स्तर काफी नीचे गिर चुका है।

उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूलों को गरीब बच्चों के लिए दिया जाने वाला पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि झूठी घोषणाएं करके कहते हैं कि हमने फीस नहीं बढ़ने दी। इनके चहेते स्कूलों ने हर वर्ष फीस बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि नए स्कूल खोलने का वादा करने वालों ने पुराने स्कूलों को तोड़कर खेल मैदान पर व खाली जमीन पर बिना भू उपयोग बदले भवन बना दिए। जिन पर पानी की तरह पैसा बहाया।

ऐ भाई...

पूर्व विधायक शोएब इकबाल 'आप' में शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

मटिया महल के पूर्व विधायक शोएब इकबाल गुरुवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के पूर्व नेता शोएब इकबाल मटिया महल से पांच बार विधायक रह चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस के मुख्या प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने इकबाल के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर कहा कि वह मौकापरस्त हैं। उन्हें अहसास हो गया था कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है। यही कारण है कि जो चंद घंटे तक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र की भाजपा सरकार को घेर रहे थे। उसी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं, शोएब इकबाल के पार्टी की सदस्या दिलाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोएब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी पिछले पांच साल से दिल्ली में गरीबों के लिए काम कर रही है। यही कारण है कि दूसरे दल के नेता भी पार्टी के प्रति विश्वास जता रहे हैं। शामिल होने के बाद शोएब इकबाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली के अंदर भाजपा को हराने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि शोएब इकबाल को 'आप' में शामिल कर परिवर्तन की राजनीति को आखिरी सलाम दिया है। उन्होंने इसे मुसलिम तुष्टिकरण और वोट की राजनीति बताया।

आम आदमी पार्टी में शुरू हुआ टिकट का बवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में टिकट को लेकर घमासान तेज हो गया है। गुरुवार को ऐसा ही घमासान आम आदमी पार्टी (आप) कार्यालय के बाहर भी देखने को मिला। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यालय में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। पार्टी कार्यालय में उनकी मौजूदगी में 'आप' के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ये कार्यकर्ता मॉडल टाउन इलाके से पहुंचे थे। इन्होंने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे, जिसमें मॉडल टाउन क्षेत्र को बचाने के लिए विधायक अखिलेश त्रिपाठी को हटाने की मांग की गई थी। इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े होकर विधायक के खिलाफ व पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।

मुख्यमंत्री से कोई विवाद नहीं : अनिल विज

फरीदाबाद, 9 जनवरी (जनसत्ता)।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा और मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से मेरे संबंध अच्छे हैं और हमारे बीच किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। सीआइडी हमेशा से गृह विभाग का हिस्सा रहा है और इसके अधिकारी आज भी मुझे ही रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पांच साल ना चलने की बात करने वाले लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और वह डिप्रेशन में रहे तो ही ठीक है। भाजपा और जेजेपी का ब्लड ग्रुप एक ही है। दोनों की लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है। पुलिस में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाई जा रही है। देश में जल्द नंबर वन होगी हरियाणा की पुलिस। अनिल विज फरीदाबाद शहीद भगत सिंह के प्रपौत्र यादवेंद्र सिंह के घर उन्हें शादी की बधाई देने पहुंचे थे।

बिजली बवाल : आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा से बोले, तुमसे ना हो पाएगा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

मुफ्त बिजली को लेकर मचे बवाल के बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने चुटकी ली है। 'आप' ने यह चुटकी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के उस दावे के बाद ली, जिसमें दिल्ली में 'आप' से भी अधिक बिजली मुफ्त देने का दावा किया गया है।

'तुमसे न हो पाएगा', फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (भाग 2) के मुख्य किरदारों में शुमार एक किरदार का लोकप्रिय संवाद है। फिल्म के इस किरदार को जब यह पता चलता है कि उसका बेटा रोमांटिक फिल्में देख रहा है और वह उसकी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए अब तक तैयार नहीं है, तो इससे निराश होकर वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुमसे न हो पाएगा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के गठबंधन सहयोगी दुष्यंत चौटाला के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए चुटकी ली। इस ट्वीट में वह अपने कार्यालय में बिजली के बगैर काम करते दिख रहे हैं।

'आप' नेता संजय सिंह ने तिवारी से कहा कि दिल्ली में 1,000 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने से पहले अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों को बिजली दें। उन्होंने ट्वीट में कहा कि भाई मनोज तिवारी जी हरियाणा में उपमुख्यमंत्री को बिना बिजली के काम करना पड़ता है। दिल्ली में आप हजार यूनिट फ्री देने की फेंक रहे हैं।

वार-पलटवार

'भाजपा ने पूरी दिल्ली को कूड़ा बना दिया है'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है तब तक मुफ्त बिजली, पानी, परिवहन समेत अन्य सेवाएं जारी रहेंगी। अगले पांच साल में भी ये सिस्टम लागू रहेगा और सिस्टम को ठीक करने के लिए 'आप' संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता इस बार काम पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पूरी दिल्ली को कूड़ा बना दिया है और यह गारबेज कैपिटल ऑफ इंडिया बन गई है।

अब हर दिन 'आप' से एक सवाल पूछेगी भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा अब हर दिन आम आदमी पार्टी के मुखिया से एक सवाल पूछेगी। ये सवाल 10 दिन तक पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया था कि 'आप' ने दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए क्या काम किया। इस सवाल का जवाब देने में मुख्यमंत्री को 24 घंटे का समय लग गया। इस प्रेसवार्ता में सांसद रमेश बिधूड़ी भी उपस्थित थे।

मनोज तिवारी ने कहा कि 24 घंटे बाद पार्टी ने दूसरे राज्यों की बात की। लेकिन दिल्ली की बात नहीं की। दूसरे राज्यों की बात करके 'आप' इन सवालों से बच नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री पर बोझ नहीं देना चाहते, इसलिए एक ही सवाल पूछने की तैयारी की है। पहले ही भाजपा ने दिल्ली नगर निगम का सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जवाब दें कि निगम के 20 हजार करोड़ रुपए चोरी हुए हैं।

'दिल्ली सरकार ने निगमों का बजट कम किया'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे पर भाजपा ने गुरुवार को पलटवार किया। भाजपा ने सभी निगमों को जारी की गई धनराशि की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप सरकार बनने के बाद से लगातार एमसीडी को दी जाने वाली खर्च की राशि में कमी की गई है। बीते सालों में यह धनराशि लगातार बढ़ती गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीते सालों में दक्षिणी एमसीडी का 7712.69 करोड़, पूर्वी एमसीडी 1938.12 करोड़ और उत्तरी एमसीडी 3763.73 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने कम किए हैं।

मुख्यमंत्री के आरोप उनकी हताशा का परिचायक : विजेंद्र गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से निगमों पर लगाए गए आधारहीन और भ्रामक आक्षेप उनकी हताशा के प्रतीक हैं। उनके द्वारा निगमों को आर्थिक रूप से पंगु बनाए जाने के बाद भी निगमों ने हर क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। निगमों ने अपनी सेवाओं को ऑनलाइन कर नागरिकों को घर बैठे नक्शे पास कराने की सुविधा, जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र और विभिन्न प्रकार के लाइसेंस बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई है।

हम तो पूछेंगे

'आप' के मॉडल को दिल्ली ने नकारा : गोयल

सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष दिल्ली भाजपा विजय गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को बहुत अफसोसजनक बताया। उन्होंने कहा कि एमसीडी पर आरोप लगाने से पहले मुख्यमंत्री भूल गए कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली को नरक बना दिया है। ये टिप्पणी खुद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आप पार्टी के मॉडल को बुरी तरह से नकार दिया।

सरकार का पक्ष

सीएए का भ्रम दूर करने के लिए भाजपा ने निकाली मोटरसाइकिल रैली

सत्ता में आए तो सभी झुग्गीवासियों को मिलेंगे फ्लैट : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

दिल्ली कांग्रेस विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद नई-नई घोषाणाएं कर रही है। कांग्रेस ने झुग्गी-झोपड़ीवासियों को लुभाने के लिए पहल तेज कर दी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने गुरुवार को घोषणा की कि कांग्रेस सत्ता में आई तो कालकाजी एक्सटेंशन की तर्ज पर दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ीवासियों को 25 स्वायर मीटर के फ्लैट देगी। पार्टी चुनाव घोषणापत्र का एक अहम हिस्सा करार देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कालकाजी मॉडल इसका प्रमाण है।

मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय न करने का नुकसान

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से अब लगभग तय सा लगने लगा है कि दिल्ली में भाजपा पहली बार बिना मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय किए चुनाव लड़ने वाली है। वैसे पिछली बार आखिरी समय में पूर्व आइपीएस अधिकारी किरण बेदी को बिना तैयारी और संगठन की स्वीकृति के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया गया कि वे अपना चुनाव तक नहीं जीत पाईं। अभी तक तो यही लग रहा है कि पांच बार मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ने के बावजूद दिल्ली की सत्ता से बाहर रही भाजपा इस बार दिल्ली में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे करके चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दिल्ली में भाजपा की समस्या है कि वह 1998 में दिल्ली सरकार से बाहर हुई, तब से वह कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। इसका एक बड़ा कारण भाजपा का वोट समीकरण भी है। भाजपा खास वर्ग की पार्टी मानी जाती है। गैर भाजपा मतों का ठीक से विभाजन होने पर ही भाजपा विधानसभा या नगर निगम चुनाव जीत पाती है। 1993 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उसे करीब 43 फीसद वोट मिले तब वह सत्ता में आई। उसके बाद उसका वोट औसत लोकसभा चुनावों के अलावा कभी भी 36-37 फीसद से बढ़ा ही नहीं।

1993 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोट यों ही नहीं बढ़े, भाजपा के नेता और उस चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनकर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना की सालों की तैयारी का भाजपा को लाभ मिला। उस चुनाव में जनता दल को अल्पसंख्यकों ने वोट दिए। वह चार सीटें जीतीं और दर्जन भर सीटों पर जनता दल उम्मीदवारों को बीस फीसद से ज्यादा वोट मिले। 1983 में 61 सदस्यों वाली महानगर परिषद के आखिरी चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेता मेवा राम आर्य बताते थे कि पार्टी की बैठक में हार की समीक्षा के बाद रणनीति बनी कि पार्टी का दायरा बढ़ाया जाएगा। पार्टी दिल्ली को राज्य बनाने के लिए अभियान चलाएगी और मदन लाल खुराना का झुग्गी-झोपड़ी और अनधिकृत कालोनियों में सभा या बैठक कराई जाएगी। पहली बार इन कालोनियों में भाजपा का झंडा लगा। चुनाव में भाजपा जीती और सरकार बनते ही मुख्यमंत्री खुराना ने तब तक की बनी 1071 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पास करवाया। फिर कांग्रेस सरकार बनने पर वह संख्या बढ़ती गई और दो महीने पहले भाजपा की केंद्र सरकार ने करीब 1800 कालोनियों में मालिकाना हक देने के लिए संसद से विधेयक पास करवा लिया।

उस चुनाव के बाद भाजपा ने हर विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो घोषित किए लेकिन न तो ठीक से पार्टी में चर्चा की और न ही वह नाम लोगों को उस चुनाव में सिरे चढ़ पाया। भाजपा की पहली सरकार भी नेताओं के झगड़ों के चलते चर्चा में ज्यादा रही। हवाला कांड में नाम आने पर खुराना ने फरवरी 1996 में इस्तीफा दिया और साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने। हवाला के आरोप से मुक्त होने के बाद 1997 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने में लग गए लेकिन साहिब सिंह मुख्यमंत्री पद से हटने को तैयार न हुए। विवाद इस कदर बढ़ा कि पार्टी नेतृत्व ने किसी तीसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली। पहली बार विधायक बन कर मंत्री बने साफ-सुथरी छवि वाले डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव आते ही दोनों नेता विरोध करने लगे और 1998 के विधानसभा चुनाव से दो महीने पहले केंद्रीय मंत्री रहीं सुषमा स्वराज्य को मुख्यमंत्री बनाया गया। प्याज की महंगाई और खराब कानून-व्यवस्था को ठीक करने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। स्वाभाविक रूप से उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर-के भाजपा 1998 का विधानसभा चुनाव लड़ीं। दोनों नेताओं ने चुनाव में उन्हें सहयोग नहीं किया। साहिब सिंह पार्टी उपाध्यक्ष और केंद्र में मंत्री बने, खुराना बागी हो गए। उन्हें मनाने के लिए 2003 के विधानसभा चुनाव के आखिर में उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया लेकिन कांग्रेस दोबारा चुनाव जीत गई। 2007 निगम चुनाव डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुआई में भाजपा जीती, लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 1967 में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद (तब के मुख्यमंत्री जैसा पद) रहे विजय कुमार मल्होत्रा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार जीती। 2013 के चुनाव के समय विजय गोयल प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बना कर डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन बहुमत से पांच सीटें दूर रही। बिना मांगे कांग्रेस के सहयोग से आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनी। बिना नियमों का पालन किए जनलोकपाल विधेयक पेश करने से रोकने के बहाने 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस्तीफा दे दिया।

कौन बनेगा नेता

कॉलोनियों में मालिकाना हक बन सकता है भाजपा की आस

इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को रिकार्ड 56.6 फीसद वोट आए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वह दिल्ली की सभी सातों सीटें जीती थी और उसे 46.4 फीसद वोट मिले थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे 32 फीसद वोट तो मिले लेकिन सीटें तीन ही मिल पाईं। आम आदमी पार्टी (आप) ने 54 फीसद वोट के साथ 67 सीटें जीतीं। उस चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। माना जाता है कि उस चुनाव में 'आप' के पानी माफ और बिजली बिल हाफ के नारे का भारी असर हुआ और कांग्रेस के माने जाने वाले मतदाताओं के साथ-साथ भाजपा का भी निम्न मध्यवर्ग समर्थक 'आप' के साथ चला गया। भाजपा ने वोट में विस्तार के लिए नवंबर 16 में बिहार मूल के लोकप्रिय कलाकार मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूर्वांचल(बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि के मूल निवासियों) के प्रवासियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और उसका असर दिखा। अनधिकृत कालोनियों में मालिकाना हक देने का भाजपा को इस वर्ग का समर्थन मिल सकता है लेकिन इस बार भाजपा ने किसी नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं बनाया। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव भी भाजपा प्रधानमंत्री के नाम और केंद्र सरकार के काम पर लड़ने जा रही है।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	15.0 डि.से.	15.0 डि.से.	18.0 डि.से.	18.0 डि.से.
न्यूनतम	7.0 डि.से.	7.0 डि.से.	7.0 डि.से.	7.0 डि.से.

भूमिका द्विवेदी के उपन्यास का लोकार्पण

यथार्थ, कल्पना और लरजती जबान से रची 'स्मैक' की दुनिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

कथा का यथार्थ और कथाकार की कल्पना जब नशे के संसार से लेकर प्रेम और वजूद की लड़ाई लड़ रहे कलाकारों के जीवन को अपनी लरजती जबान में आगे ले जाए तो 'स्मैक' जैसा उपन्यास सामने आता है।

सामयिक प्रकाशन से आए भूमिका द्विवेदी अश्क के उपन्यास 'स्मैक' में लेखिका अपनी कथा शैली से पाठकों को बांध लेती हैं। विश्व पुस्तक मेले में द्विवेदी के इस तीसरे उपन्यास के लोकार्पण के दौरान वक्ताओं ने उन्हें इस मानीखेज लेखन के लिए बधाई दी। भारतीय ज्ञानपीठ युवा (अनुशंसा) पुरस्कार प्राप्त लेखिका की यह पांचवीं पुस्तक है। त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी और त्रिकोणीय नशे को उजागर करती यह पुस्तक मुंबई में संघर्षरत कलाकारों के जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई है। रूबी दीक्षित, सुलेमान, आसिफ सिद्दीकी जैसे मुख्य किरदारों के जरिए

भूमिका द्विवेदी पाठकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर देती हैं जिससे निकलना कुछ समय के लिए मुश्किल हो जाता है।

कविता संग्रह 'जल' का लोकार्पण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

विश्व पुस्तक मेले में यश प्रकाशन के स्टॉल पर कवि उद्भ्रांत के नवीनतम कविता संग्रह 'जल' का लोकार्पण करते हुए आलोचक डॉ. द्वारिका प्रसाद चारुमित्र ने कहा कि इस संग्रह की कविताओं पर नामवर जी की इस टिप्पणी से सहमत हूं कि उद्भ्रांत आजादी के बाद देश के प्रमुख अहम कवि हैं। शोधार्थी रंजीत कुमार झा ने संग्रह की कविताओं की विवेचना करते हुए कहा कि इसमें जल की व्याप्ति और उसके महत्व को लेकर जो शीर्षक कविता है वह मनुष्य और प्रकृति पर पड़ते प्रभाव को अद्वितीय ढंग से व्यक्त करती है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के निदेशक नंदकिशोर पांडे, कथाकार अशोक मिश्र और कथाकार श्यामसुंदर चौधरी ने भी उद्भ्रांत की कविताओं पर विमर्श किया। यश प्रकाशन के निदेशक जतिन भारद्वाज ने कहा कि पिछले दिनों हमारे स्टॉल पर आए साहित्य अकादेमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक ने भी इस संग्रह की विशेष रूप से चर्चा करते हुए कहा था कि ऐसे समय जब यह कहा जा रहा है कि तीसरा विश्वयुद्ध पानी को लेकर होगा, 'जल' नामक उद्भ्रांत की नई कविताओं का यह संग्रह देश में और साहित्य जगत में नई चेतना का संचार करेगा। प्रकाशन के कार्यकारी निदेशक राहुल भारद्वाज ने कार्यक्रम में आए लोगों का धन्यवाद किया।

'नदियों को नए सिरे से देखने की जरूरत'

नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेले में वाणी प्रकाशन ग्रुप के स्टॉल पर अभय मिश्रा की पुस्तक 'माटी मानुष चून' का लोकार्पण और परिचर्चा की गई। वाणी प्रकाशन ग्रुप की निदेशक अदिति माहेश्वरी गोयल ने मंच का संचालन करते हुए सभी अतिथियों व श्रोताओं का स्वागत किया। अभय मिश्रा ने कहा कि इस उपन्यास की रचना करने से पहले उन्होंने तीन वर्ष गंगा की यात्रा की, बड़े करीब से उन्होंने प्रकृति का विश्लेषण किया। यह उपन्यास खतरे की आशंका से उपजा है। गंगा की विकट परिस्थिति के कारण पर उन्होंने कहा कि जहां से मनुष्य नदियों को अपना भगवान मानकर पूजने लगता है, समस्या वहीं से पैदा होती है, क्योंकि इस विचारधारा में वह यही मानता है कि उसे नदियों से केवल लेना ही है, नदियों का प्रबंधन, उनकी चिंता का क्षेत्र नहीं। सोपान जोशी ने कहा कि इतिहास नदियों का नहीं, बल्कि मनुष्यों का ही होता है। नदियों का अस्तित्व तो मनुष्यों से भी पहले है। वहीं नदियों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। अरुण तिवारी ने कहा कि यदि नदियों के प्रदूषण की यही स्थिति रही तो 2075 तक बांग्लादेश का दो तिहाई भाग, और पूर्वी भारत का भाग स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएगा। लोकार्पण में पंकज रामेंदु भी मौजूद थे। (जसं)

आज के कार्यक्रम

वाणी प्रकाशन

'शर्मिष्ठा कुरुवंश की आदि विद्रोहिणी' पर शाम साढ़े चार बजे से अणुशक्ति सिंह, अनामिका, मनीषा कुलश्रेष्ठ और रश्मि भारद्वाज चर्चा करेंगी। लेखक से मिलिए कार्यक्रम में शाम तीन बजे से संवाद करेंगी उषा किरण खान। स्टॉल संख्या 233-252, हॉल-12ए।

सामयिक प्रकाशन

चित्रा मुद्गल पाठकों से रचनात्मक संवाद करेंगी। जीतेंद्र श्रीवास्तव चित्रा जी के साहित्यिक अवदान पर आलोचनात्मक टिप्पणी करेंगे। महेश दर्पण चित्रा मुद्गल की रचना प्रक्रिया पर संवाद करेंगे। पांच बजे शाम से लेखक मंच हॉल नंबर 12-ए।

अमन प्रकाशन

स्टॉल संख्या 24-25 पर शाम पांच बजे उद्भ्रांत के महाकाव्य 'अभिनव पांडव' के चतुर्थ संस्करण का लोकार्पण।

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: L74899DL1974GOI007417
पंजीकृत कार्यालय: स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर-III
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट: http://www.nationalfertilizers.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 47 के अनुपालन में नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक **शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020** को नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिणामों की समीक्षा करने के बाद **31 दिसम्बर, 2019** को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उन्हें रिकॉर्ड में लिया जाएगा।

सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. द्वारा एनएसई/सीएमएल/2019/11 दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के माध्यम से जारी सर्कुलर के अनुसरण में कम्पनी के शेयरों के लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विन्डो 1 जनवरी, 2020 से 31.12.2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे अर्थात् 2 फरवरी, 2020 तक पदनामित व्यक्तियों, पदनामित कर्मचारियों एवं उनके नजदीकी सम्बंधियों के लिए बंद रहेगी।

कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.nationalfertilizers.com** और क्रमशः बीएसई/एनएसई की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर भी देखी जा सकती है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.01.2020

हस्ता./-
(राज कुमार)
कम्पनी सचिव

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

ग्लिस्टर हॉस्पिटैलिटी गुड़गांव प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ग्लिस्टर हॉस्पिटैलिटी गुड़गांव प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	05-04-2013
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999HR2014PTC052744
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	223, दूसरी मंजिल, गुड़गांव सिटी सेंटर, सेक्टर-47-50, गुड़गांव, हरियाणा-122001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	08 जनवरी 2020 (आदेश दिनांक 09 जनवरी 2020 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	06-07-2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम: अतुल मित्तल पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00439/2017-18/10762
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	पता: 174, बाल्को अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 58, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 ईमेल: a.mittalinc@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	पता: 183, बाल्को अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 58, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 ईमेल: ghgpl.ipamittal@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	23-01-2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-सारा (हेतु) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु योग्यित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेबसाइट: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता: लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **08 जनवरी 2020** को **ग्लिस्टर हॉस्पिटैलिटी गुड़गांव प्राइवेट लिमिटेड** के संबंध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (आदेश दिनांक 09 जनवरी 2020 को प्राप्त हुआ)

ग्लिस्टर हॉस्पिटैलिटी गुड़गांव प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **23 जनवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष फॉर्म 10 के समक्ष वर्णित पत्र पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता./-
दिनांक : 09 जनवरी 2020
स्थान : दिल्ली
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम व हस्ताक्षर : अतुल मित्तल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00439/2017-18/10762

इन्टरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 'ट्रैवल हाउस', टी-2, कम्युनिटी सेन्टर, शेख सराय,फेज-I, नई दिल्ली-110017
सीआईएन: L63040DL1981PLC011941
टेली.: +91 11 26017808 ई-मेल: investor_TH@ith.co.in
वेबसाईट: www.internationaltravelhouse.in

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ विनियम 29 के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 20 जनवरी 2020 को आमंत्रित की गई है, अन्य विषयों के साथ, 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किये जायेंगे।

उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाईट www.internationaltravelhouse.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

इन्टरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
तिथि: 9 जनवरी, 2020 — जानकी अग्रवाल
स्थान: नई दिल्ली — कम्पनी सचिव

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड
(पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (CIN:L36911RJ1996PLC011381)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाइनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड** के नाम से ज्ञात) का प्राधिकृत अधिकारी होने हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन [अधिनियम 2002 (2002 का 54)]'' और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना **21 जनवरी 2019 ऋण खाता संख्या: L9001060113781421 (नया लोन खाता संख्या: - L9001060113781421)** निर्गमित की जिसमें मांग करते हुए ऋणी **मनोज सिंह (ऋणी), श्रीमती चेता देवी (उर्फ चेतराम) (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)** से नोटिस में वर्णित **रुपये 1001678 (अक्षरे दस लाख एक हजार छः सौ अठहत्तर मात्र)** की राशि इस नोटिस कि प्राप्ति कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहागया था।

ऋणी/बन्धकर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बन्धकर्ता को तथा समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **06 माह जनवरी वर्ष 2020** को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणी/बन्धकर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार **रुपये 1001678 (अक्षरे दस लाख एक हजार छः सौ अठहत्तर मात्र)** की राशि **दिनांक 19 जनवरी 2019** तक तथा आगे का ब्याज एवं कूल भुगतान होने तक की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती चेता देवी (उर्फ चेतराम) की सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर स्थित सम्पत्ति **प्लॉट नं. 533, खसरा नं. 1342/2, खन्ना नगर, ग्राम-परगना लोनी, जिला-गाजियाबाद, उ.प्र. क्षेत्रफल 50 वर्ग गज** पर स्थित है। जिसकी चारो सीमाएं:-

पूर्व	: प्लॉट का भाग	पश्चिम	: प्लॉट का भाग
उत्तर	: प्लॉट का भाग	दक्षिण	: रोड़

दिनांक: 6 जनवरी, 2020
स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

दिल्ली अंचल कार्यालय, 15, एनबीसीसी टावर्स, 3रा तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, फोन: (011-) 26164817, 26197769, फैक्स (011) 26171554, ईमेल: legal-del@mahabank.co.in

प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक आफ महाराष्ट्र** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 19.9.2019 जारी कर 1. मै. श्री बालाजी फॉरफेट एंड कम्प्यूटर्स, प्रॉप. श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री नंद राम, 2. श्रीमती उषा रानी, पत्नी श्री सुरेश कुमार, 3. श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री नंद राम को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,04,352/- (रुपये चार लाख चार हजार तीन सौ बावन मात्र) + 19.9.2019 से 8.55% की दर से अ-प्रयुक्त ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। (यह सूचना स्पीड पोस्ट से भेजी गई)

ऋणधारक एवं गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 4 जनवरी. 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहां ऊपर वर्णित राशि के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बैंक के पास हाइपोथेकेट की गई तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई परिसम्पत्तियों का विवरण:

शॉप नं. 28, अग्रवाल धरमशाला के निकट, जेल रोड, रेवाड़ी, हरियाणा-123401 में स्थित वर्तमान में मै. श्री बालाजी फोटोस्टेट एंड कम्प्यूटर्स, प्रॉप. श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री नंद राम का प्लान्ट एवं मशीनरी।

तिथि: 4.2.2020
स्थान: दिल्ली

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
सहायक महा प्रबंधक एवं
प्राधिकृत अधिकारी (सरफैसी अधिनियम, 2002)

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Our Mission... Your Growth
CAMS

COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Our Company was incorporated as 'Computer Age Management Services Private Limited' on May 25, 1988 at Madras, Tamil Nadu as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai (**"RoC"**). Our Company became a deemed public limited company under section 43A of Companies Act, 1956 on April 15, 2000 and the name of our Company was changed to 'Computer Age Management Services Limited' and the certificate of incorporation of our Company was endorsed by the RoC to that effect. Our Company became a private limited company, pursuant to Section 43A(2A) of Companies Act, 1956 with effect from March 29, 2001 and the name of our Company was changed back to 'Computer Age Management Services Private Limited'. The certificate of incorporation of our Company was again endorsed by the RoC to that effect. Subsequently, our Company was converted from a private limited company to a public limited company, pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the EGM held on September 9, 2019 and the name of our Company was changed to 'Computer Age Management Services Limited'. Consequently, a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on September 27, 2019. For further details, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 113 of the Draft Red Herring Prospectus dated January 8, 2020 (**"DRHP"**).

Registered Office: New No. 10, Old No. 178, M.G.R. Salai, Nungambakkam, Chennai 600 034, Tamil Nadu, India; **Tel:** +91 44 2843 2770
Corporate Office: No 158, Rayala Towers, Tower - I, Anna Salai, Chennai 600 002, Tamil Nadu, India; **Tel:** +91 44 2843 2650; **Website:** www.camsonline.com; **Contact Person:** Manikandan Gopalakrishnan; **E-mail:** secretarial@camsonline.com
Corporate Identity Number: U65910TN1988PLC015757

OUR PROMOTER: GREAT TERRAIN INVESTMENT LTD

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 12,164,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE, THROUGH AN OFFER FOR SALE OF UP TO 12,164,400 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION ("OFFER") BY THE SELLING SHAREHOLDERS, INCLUDING UP TO 4,144,600 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹[•] MILLION BY GREAT TERRAIN INVESTMENT LTD ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER"), UP TO 6,099,876 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹[•] MILLION BY NSE INVESTMENTS LIMITED, UP TO 944,724 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION BY ACSYS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED, UP TO 487,600 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹[•] MILLION BY HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED, AND UP TO 487,600 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹[•] MILLION BY HDB EMPLOYEES WELFARE TRUST. THIS OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 182,500 EQUITY SHARES (CONSTITUTING UP TO 1.50% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL) FOR PURCHASE BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WOULD CONSTITUTE AT LEAST 24.95% AND 24.57%, RESPECTIVELY, OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (**"SCRR"**) read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**) (the **"QIB Portion"**), provided that Our Company (through the IPO Committee) in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis. One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to RIBs in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process providing details of their respective bank account (including UPI ID for RIBs using UPI Mechanism), in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see *"Offer Procedure"* on page 249 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed a DRHP with SEBI on January 9, 2020. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI, at www.sebi.gov.in and the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the websites of the BRLMs, i.e., www.investmentbank.kotak.com; www.hdfcbank.com; www.icicisecurities.com and www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html, respectively. Our Company invites members of the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI to SEBI and/or the Company Secretary and Compliance Officer of the Company and/or the BRLMs with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of the Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI, the BRLMs and/or Company Secretary and Compliance Officer of the Company on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the prospective investors is invited to "Risk Factors" on page 20 of the DRHP.

Any decision to invest in Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with ROC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

Kotak Mahindra Capital Company Limited
1st Floor, 27 BKC, Plot No. 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051 Maharashtra, India
Tel: +91 22 4336 0000
E-mail: cams.ipo@kotak.com
Investor grievance e-mail: kmccredressal@kotak.com
Website: www.investmentbank.kotak.com
Contact Person: Ganesh Rane
SEBI Registration No.: INM000008704

HDFC Bank Limited*
Investment Banking Group, Unit No. 401 & 402, 4th Floor, Tower B, Peninsula Business Park, Lower Parel, Mumbai 400 013 Maharashtra, India
Tel: +91 22 3395 8233
E-mail: cams.ipo@hdfcbank.com
Investor grievance e-mail: investor.redressal@hdfcbank.com
Website: www.hdfcbank.com
Contact Person: Ravi Sharma/ Harsh Thakkar
SEBI Registration No.: INM000011252

ICICI Securities Limited*
ICICI Centre, H. T. Parekh Marg Churchgate, Mumbai 400 020 Maharashtra, India
Tel: +91 22 2288 2460
E-mail: cams.ipo@icicisecurities.com
Investor grievance e-mail: customercare@icicisecurities.com
Website: www.icicisecurities.com
Contact Person: Shekher Asnani/ Nidhi Wangnoo
SEBI Registration No.: INM000011179

Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited
Ceejay House, Level 11 Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli Mumbai 400 018 Maharashtra, India
Tel: +91 22 4037 4037
E-mail: camsipo@nomura.com
Investor grievance e-mail: investorgrievances-in@nomura.com
Website: www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html
Contact Person: Vishal Kanjani/ Aneesha Chandra
SEBI Registration No.: INM000011419

REGISTRAR TO THE OFFER

Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bhadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Maharashtra, India
Tel: +91 22 4918 6200
E-mail: cams.ipo@linkintime.co.in
Investor grievance e-mail: cams.ipo@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan
SEBI Registration No.: INR000004058

In compliance with the proviso to Regulation 21A of the SEBI Merchant Banker Regulations and Regulation 23(3) of the SEBI ICDR Regulations, HDFC Bank and ICICI Securities will be involved only in marketing of the Offer. HDFC Bank and ICICI Securities have signed the due diligence certificate and have been disclosed as BRLMs for the Offer

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Tamil Nadu
Date : January 9, 2020

COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP shall be available on the websites of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of BSE at www.bseindia.com and on the websites of the BRLMs i.e., www.investmentbank.kotak.com; www.hdfcbank.com; www.icicisecurities.com and www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see *"Risk Factors"* on page 20 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with the SEBI for making any investment decision and such investment decision must be made solely on the basis of the Red Herring Prospectus (**"RHP"**) once filed with the RoC.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, such Equity Shares are being offered and sold (i) outside of the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable la

जनसत्ता

10 जनवरी, 2020

अमन की ओर

अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई तनातनी आखिरकार समाप्त हो गई लगती है। दोनों देशों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब इराक स्थित अपने सैन्य ठिकाने से गोला दाग कर अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया। फिर ईरान ने हुंकार भरी कि वह सुलेमानी की मौत का बदला लेगा और उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर गोले दाग कर उसके कई सैनिकों को हताहत कर दिया। उसका दावा है कि उसने बारह सैन्य ठिकानों पर हमला कर अस्सी अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान ने दो ठिकानों पर हमला किया है और उसमें हताहत लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अच्छी बात है कि दोनों देशों ने अब इस तनातनी को तूल न देने का फैसला किया है। नहीं तो अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया और विश्व बिरादरी की तरफ से जैसी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थीं, उससे आशंका जताई जाने लगी थी कि दुनिया एक बार फिर से विश्वयुद्ध में झोंक दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की तीन महाशक्तियों- रूस, चीन और फ्रांस ने अमेरिकी कदम की निंदा की थी। ईरान के पक्ष में भी लामबंदी शुरू हो गई थी।

ईरान के साथ अमेरिका के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। पिछली बार बराक ओबामा ने ईरान के साथ संबंध बेहतर बनाने के प्रयास किए थे। पर डोनाल्ड ट्रंप सदा से ईरान से चिढ़ते रहे हैं, सो सत्ता की कमान संभालने के साथ ही उन्होंने ओबामा सरकार के समय किए गए ईरान संबंधी फैसलों को पलट दिया। ईरान पर हमले के पीछे उन्होंने बहाना बनाया कि सुलेमानी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते रहे हैं। सुलेमानी उस वक्त बगदाद में थे, जब उन पर हमला हुआ। चूंकि अमेरिकी सैनिक आतंकवाद रोकने के तर्क पर ही इराक में तैनात हैं, वहां से ईरान पर हमला करना उसके लिए बहुत आसान था। मगर ईरान के तेवर और उसके समर्थन में विश्व बिरादरी को देखते हुए अमेरिका ने अपने कदम वापस खींचना ही उचित समझा। पूरी दुनिया में यह बात उठी कि चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मतदाताओं का ध्यान बंटाने के लिए यह हमला कराया था। पिछले अनुभवों में देखा गया है कि युद्ध के बाद अमेरिकी लोगों में सरकार के प्रति सकारात्मक भाव पैदा हुआ। बुश भी इराक पर हमले के बाद दुबारा सत्ता में लौटे थे। शायद यही गणित ट्रंप ने भी लगाई हो।

हालांकि इस समय दुनिया का कोई भी देश विश्वयुद्ध जैसी स्थिति नहीं चाहेगा। अब राष्ट्र अपनी आर्थिक ताकत के बल पर महाशक्ति बनने का प्रयास करते हैं। सैन्य ताकत के बल पर चौधरी बनने के दिन समाप्त हो गए। अब दुनिया के कई देश परमाणु हथियार संपन्न हैं, वे युद्ध के समय इसके इस्तेमाल की धमकी भी देते रहते हैं, पर हकीकत यही है कि वे परस्पर व्यापार, वाणिज्य के जरिए रिश्ते मजबूत बनाने में ही अपनी तरक्की देखते हैं। अमेरिकी हमले से पूरी दुनिया में इसीलिए खलबली मच गई कि बहुत सारे देशों के आपसी रिश्ते इससे प्रभावित होने लगे थे। सभी ने अपने-अपने मोर्चे चाक-चौबंद करने शुरू कर दिए थे। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर दिखने लगा था। ईरान से कच्चा तेल आयात करने वाले देशों की चिंता बढ़ गई थी। ऐसे में स्वाभाविक ही ट्रंप की बेवजह जिद की चौतरफा आलोचना हुई। अच्छी बात है कि ट्रंप ने इस तकाजे को समझा और अमन की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला किया।

तंग नजर

कोई भी फिल्म एक कहानी पर आधारित होती है, लोग उसी नजर से उसे देखते हैं और उसके अच्छे होने या न होने के बारे में राय बनाते हैं। इस बीच अगर सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर केंद्रित कोई फिल्म आती है तो वह लोगों का ध्यान खींचती है। मगर नई फिल्म 'छपाक' एक बेहद संवेदनशील विषय पर बनी होने के बावजूद दूसरी वजहों से सुर्खियों में आई। हालांकि कायदे से एक गंभीर मुद्दे पर बनी इस फिल्म पर उसके सरोकार की वजह से बात होनी चाहिए थी। दरअसल, इस फिल्म की नायिका बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हैं और हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमले के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान वे कुछ देर के लिए वहां चली गई थीं। सिर्फ इतने भर से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'छपाक' के विरोध में अभियान चला दिया और फिल्म प्रेमियों से इसे न देखने का आह्वान किया। सवाल है कि अगर किसी कलाकार की राय संयोग से एक समूह के अनुकूल नहीं है, तो क्या इसके लिए उससे जुड़ी फिल्म का बहिष्कार किया जाना उचित है? क्या यह आम लोगों के विवेक पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे किसी फिल्म को देख कर क्या राय बनाते हैं?

विडंबना यह है कि इस तरह का विरोध अभियान चलाने वाले लोग न लोकतांत्रिक मूल्यों का खयाल रखते हैं, न किसी मुद्दे के सरोकार पर सोचना जरूरी समझते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि लड़कियों के चेहरे और शरीर पर तेजाब से हमला एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने है। एकतरफा प्रेम से लेकर बदला लेने जैसी कई वजहों को बहाना बना कर कोई कुंठित लड़का किसी लड़की पर तेजाब फेंक देता है और उसे अपनी विजय के तौर पर देखता है। जबकि यह समझना मुश्किल नहीं है कि जिन लड़कियों के चेहरे या शरीर पर तेजाब फेंका जाता है, उनका बाद का जीवन कैसा हो जाता है। उनके शरीर में उत्पन्न अनेक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से वे कई निजी तकलीफों से तो गुजरती ही हैं, अपने पिछड़े नजरिए के चलते ज्यादातर लोग उन्हें सहज और सामान्य नजर से नहीं देखते। 'छपाक' दरअसल तेजाब के हमले से ही पीड़ित एक लड़की के जीवन पर आधारित कहानी पर बनाई गई फिल्म है, जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए एक जरूरी विषय होना चाहिए।

यह अफसोसनाक है कि कुछ लोग आक्रामक स्तर पर सिर्फ इसलिए इस फिल्म को नहीं देखने का अभियान चला रहे हैं कि इस फिल्म की नायिका ने जेएनयू के मामले में दुख जताया। पिछले कुछ सालों से कोई बहाना बना कर किसी फिल्म का विरोध करने का एक तरह से चलन बन गया है। हालत तो यह है कि कुछ समय पहले एक संगठन ने एक फिल्म के विरोध में बाकायदा हिंसक अभियान चलाया, सिनेमा हॉल तक में तोड़फोड़ की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कई फिल्मों पर पाबंदी लगाने की मांग से लेकर उनके हिंसक विरोध के मामले सामने आते रहे हैं। यह प्रवृत्ति निश्चित तौर पर किसी समाज या समूह की तंगनजरी की परिचायक है। फिल्में किसी विषय को दर्शाने का एक कला-माध्यम हैं और इन पर पाबंदी या उनका विरोध एक तरह से रचनात्मकता के खिलाफ है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि रचनात्मकता को उचित जगह न देने वाला समाज विचार और चेतना के स्तर पर ठहर जाता है और इससे पैदा संकीर्णता बाद में खुद उसे ही नुकसान पहुंचाने लगती है।

कल्पमेधा

गलती करने से डरना सबसे बड़ी गलती है।
-एल्बर्ट हब्बार्ड

हांफती मध्याह्न भोजन योजना

रिजवान अंसारी

कहने की जरूरत नहीं कि मिड-डे मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से ही यह योजना हांफती नजर आ रही है। एक तरफ स्कूल प्रशासन बच्चों के लिए निम्न स्तर के राशन और सब्जियां खरीदता है, तो दूसरी तरफ इस योजना के रुपए डकारने के लिए फर्जी दाखिलों के भी ढेरों मामले सामने आए हैं। बिहार के एक ही जिले के प्राइमरी स्कूलों में दो लाख फर्जी विद्यार्थियों के दाखिले का मामला चौंकाने वाला था।

पिछले दिनों मिड-डे मील को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, उससे इस योजना में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोनभद्र के सलाइबनवा स्कूल में एक लीटर दूध को एक बाल्टी गर्म में पानी मिला कर इक्यासी बच्चों को पिलाया गया। दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही आई। सूबे के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में मिड-डे मील की दाल में मरा हुआ चूहा पाया गया। उस दाल को खाने से नौ बच्चों और एक शिक्षक की तबियत इतनी बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इन घटनाओं ने मिड-डे मिल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और उससे जुड़े भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। यह भी संयोग ही है कि संसद के बीते शीतकालीन सत्र में एक सवाल के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिड-डे मील में भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर प्रदेश को अव्वल बताया था। मानव संसाधन मंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर जो आंकड़े पेश किए थे, उनसे पता चला कि मिड-डे मील में भ्रष्टाचार के बावन मामलों में से चौदह उत्तर प्रदेश के हैं। ग्यारह मामलों के साथ बिहार दूसरे नंबर पर और छह मामलों के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। जाहिर है, यह भ्रष्टाचार या तो मिड-डे मील में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को कम करता है या फिर बच्चों को भोजन से महरूम किए जाने की साजिश है।

बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापुर जिले के एक स्कूल में मिड-डे मील में बच्चों को नमक-रोटी खिलाने की खबर ने सबको सकते में डाल दिया था। तब भी प्रशासन ने इधर-उधर की बातें कर पल्ला झाड़ लिया था। इन घटनाओं से पता चलता है कि बच्चों में पोषण का स्तर सुधारने के मकसद से जिस भोजन को परोसा जा रहा है, उसका पोषण से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। भोजन या तो पोषण विहीन है या फिर जहरीला है। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश भर में इस योजना की हालत कमोबेश यही है।

अमूमन किसी भी योजना की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो उसमें बेहतरी के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि पिछले कई सालों से इस योजना की जर्जर स्थिति को लेकर मीडिया में खबरें आने के बाद भी स्थिति बेहतर होती नहीं दिख रही। एक ऐसी योजना जिससे स्कूलों में दाखिले का फीसद तो बढ़ा ही, साथ ही देश की साक्षरता दर में इजाफे का दावा भी किया गया, वह अनियमितता और भ्रष्टाचार का पर्याय बन कर रह गई है। कहने की जरूरत नहीं कि भ्रष्टाचार और भोजन की गुणवत्ता में कमी एक-दूसरे से जुड़े मामले हैं। लेकिन लगभग दो दशक बाद भी यह योजना भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकी है। अफसोस की ही बात है कि जिस योजना को अपनी उपलब्धियों के लिए चर्चा में होना चाहिए था, वह भ्रष्टाचार और दूषित खाना परोसे जाने के लिए चर्चा में होती है।

वर्ष 1995 में शुरू होने वाली जिस योजना को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली पहल के रूप में देखा गया था, उस योजना में भ्रष्टाचार की खबरों ने बच्चों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिसंबर, 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्रम मंजूरी बोर्ड के जरिए चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। तब मालूम चला कि बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग आधे बच्चों को तो मिड-डे मील मिलता ही नहीं है। बिहार में प्राथमिक स्तर पर उनतालीस फीसद और उच्च प्राथमिक स्कूलों में चवालीस फीसद बच्चे, जबकि उत्तर प्रदेश में क्रमशः इकतालीस और सैंतालीस फीसद बच्चे मिड-डे मील से वंचित रह जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी लगभग आधे बच्चों को मिड-डे मील नसीब नहीं होने की बात कही गई थी। कहने की जरूरत नहीं कि मिड-डे मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से ही यह योजना हांफती नजर आ रही है। एक तरफ स्कूल प्रशासन बच्चों के लिए निम्न स्तर के राशन और सब्जियां खरीदता है, तो दूसरी तरफ इस योजना के रुपए डकारने के लिए फर्जी दाखिलों के भी ढेरों मामले सामने आए हैं। बिहार के एक ही जिले के प्राइमरी स्कूलों में दो लाख फर्जी विद्यार्थियों के दाखिले का मामला चौंकाने वाला था।

लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस योजना को शुरू क्यों किया गया था? इसके पीछे

मकसद था कि स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाए। एक बड़ी आबादी के गरीबी रेखा से नीचे होने के कारण लोग अपने बच्चों को जरूरी पोषक तत्त्व युक्त भोजन नहीं दे पाते, जिस कारण बच्चों में कुपोषण और बौनापन जैसी समस्या आम बात है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें भारत में बच्चों में कुपोषण की तस्वीर समय-समय पर पेश करती रही हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक और यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में भुखमरी की गंभीर स्थिति है और बच्चों के विकास की गति बेहद धीमी है। इस सूचकांक में दुनिया के एक सौ सत्रह देशों की सूची में भारत को एक सौ दो वें पायदान पर रखा गया है। यानी कि हम दुनिया के शीर्ष अठारह ऐसे देशों में शामिल हैं जहां भुखमरी की स्थिति भयावह है। यूनिसेफ ने बताया है कि भारत के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।

यह भी जानने की जरूरत है कि भारत मानव अधिकार संधि 'कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड' का हिस्सा है और यह संधि बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है। इस संधि का सदस्य होने के कारण भारत की जिम्मेदारी है कि वह अपने देश के बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ मुहैया कराए। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारत सरकार ने मिड-डे मील योजना को शुरू किया था। लेकिन प्रशासनिक अमले के लचर रवैये के कारण मकसद को हासिल नहीं किया जा सका।

बच्चों के लिए पोषण युक्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए ही इस योजना में साप्ताहिक चार्ट भी बनाया गया है। इसके तहत पूरे हफ्ते बच्चों को मिलने वाले खाने की सारणी तैयार की जाती है। लेकिन विडंबना है कि इस सारणी का कहीं अनुपालन नहीं किया जाता है। फिर सवाल है कि इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो बच्चों की फर्जी हाजिरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर ईमानदारी और कड़ी निगरानी होनी चाहिए। स्कूलों का समय-समय पर औचक निरीक्षण हो। जहां संभव हो सके, वहां स्कूलों में डिजिटल इंडिया योजना के जरिए बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली शुरू की जाए। इससे मिड-डे मील सहित छात्रों की दूसरी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। तमिलनाडु की तरह ही देशभर के स्कूलों में मिड-डे मील की देखरेख करने के लिए अलग से प्रबंधक या निरीक्षक की तैनाती हो। इससे न केवल बच्चों के लिए बनने वाले खाने की गुणवत्ता का ख्याल रखा जा सकेगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होने से भी रोका जा सकेगा।

मिड-डे मिल में भ्रष्टाचार शिक्षकों और अधिकारियों की मिलीभगत से ही होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए सबसे पहली जरूरत सख्त निगरानी तंत्र की है। हमारी सरकार 'न्यू इंडिया' का सपना देख रही है। लेकिन सवाल है कि क्या इस न्यू इंडिया के लिए हम तैयार हैं? बच्चों को पौष्टिक खाना मुहैया कराने की मुहिम, जो सफल हो जाए तो न केवल देशभर से कुपोषण का सफाया हो जाएगा, बल्कि एक कुशल और प्रतिभाशाली भारत का निर्माण भी हो सकेगा।

बातों का अलाव

सरस्वती रमेश

दुनिया मेरे आगे

उतरता पूस और चढ़ता माघ बातों के अलाव का महीना होता है। घर-आंगन में बोरसी में जलती आग के इर्द-गिर्द बैठ कर जो बतकही होती है, वही तो जाड़ों से निचोड़ी गई गरमाहट होती है! गांवों में जलते अलाव के इर्द-गिर्द जमी 'पब्लिक कैबिनेट' का नजारा आम रहता है तो घर के बड़े-बुजुर्गों को भी आग की आंच में ही जिंदगी का लब्बोलुआब मिलता है। एक जगह ही बैठ कर पूरे गांव की खबर मिल जाती है। अपने आप बने समूह में एक ओर से संदेश भेजे जाते हैं और दूसरी ओर से लिए जाते हैं। रिश्तों की बातें हो जाती हैं। गांठ जुड़ जाती हैं। दूरदराज में रिश्तेदारियां निकाल ली जाती हैं। खेती, किसानी, पंचायत और देश-दुनिया सबकी बातें, गिले-शिकवे, दोस्ती-दुश्मनी- सब कुछ अलाव के इर्द-गिर्द ही पनपता, उफनता और बनता-बिगड़ता है। बच्चे घर-आंगन में उधम मचाते फिरते हैं, गलियों में दौड़-कूद में मगन रहते हैं। माएं कितना भी उनकी फिक्र करें, मगर बच्चों को ठंड की कुछ चिंता नहीं होती। जाड़े को लेकर बाबा अक्सर एक कहावत कहते थे- 'बच्चों को छूता नहीं, जवान हैं सगे भाई। बुड्ढों को छोड़ता नहीं, चाहे ओढ़े सौ-सौ रजाई।'

गरमी बेचैनी तो शीत इत्मीनान का मौसम होता है। जैसे बर्फीले पहाड़ों से होती हुई ठंडी हवाएं इत्मीनान से मैदानों में आती हैं। जैसे आसमान में छिपा सूरज हौले से धरती पर उतर कर आता है। वैसे ही इत्मीनान के रेशों से फंदे डाल कर घर की भाभियां, चाचियां आपस की बतकहियों के बीच परिवार के बच्चों, बड़ों के लिए गरमाहट का लिबास तैयार करती हैं। दूसरी ओर, दादियां, ताइयां गाजर, मूली, गोभी, आंवले के मसालेदार, चटपटे स्वाद को बरनियों में भर कर महीनों के लिए संजो कर रख देती हैं। मकर संक्रांति की कड़कड़ाती ठंड में तिल के लड्डुओं, गजक, रेवड़ियों की गर्म तासीर हो या गुनगुनी धूप में बैठ कर सबके साथ मूंगफली खाना..! यह सब जाड़ों का सामान्य अभ्यास है। दरअसल, जाड़ों की तो बात ही निराली है। सच कहें तो खाने का असली मजा जाड़ों में ही मिलता है। और अगर आप गांव में रहते हैं तो बात ही क्या है! सूखी पत्तियों में पकाया हो या धान की भूसी में पकाया शकरकंद। कड़ाहों में खौलते ईख के रस से बनते गुड़ की खुशबू इस मौसम में गांव की बहुत शिद्दत से याद दिला जाती है। भला यह सब शहरों-नगरों में मयस्सर कहां? अगर ग्रामीण इलाकों में जीवन गुजरा है तो शहरों में इन चीजों की याद जरूर सताती है!

बचपन के दिन याद आते हैं जब जाड़ों में हम सारे भाई-बहन अलाव के पास बैठे रहते थे और अम्मा हमें देसी घी डाल कर गरमा-गरम दाल-भात या खिचड़ी परोस देती थीं। क्या स्वाद से खाते थे हम..! महीने दो महीने में अम्मा परांठे सेंकती तो हम सब गोभी-मटर की सब्जी से खाते। शाम को पापा आल-दम बनवाते। कितना स्वाद था आलुओं में भी। अब तो हाई ब्रिड सब्जियों ने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया है। कहां मिलता है अब वे देसी स्वाद आज की सब्जियों में।

इन सबके बीच चुपके से पता नहीं कितना कुछ बदलता गया! गांव के वे तमाम अहसास भी धीरे-धीरे गुम होते गए। महानगरों ने हमें पैसा-कॅरियर जरूर दिया, मगर जीवन की बहुत सारी अनमोल चीजों से दूर भी कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा खटकने वाली चीज है एक दूसरे से मिलना-जुलना और आपस की बतकही खत्म होना। हालत तो यह है कि बड़े-बड़े अपार्टमेंटों या सोसाइटियों में हजारों लोग एक ही परिसर में रहते हैं और लोगों के घर के पते नंबरों में जानते हैं। सामने वाले घर का नंबर क्या है, यह तो पता होता है, लेकिन उसनें रहने वाले का नाम क्या है, यह पता नहीं!

इसके बावजूद कहीं गाहे-बगाहे अगर वे चीजें महानगरीय जीवन में कभी-कभार मिल जाती हैं तो मन आनंदित हो उठता है। देखिए न, कुछ दिन पहले ही पड़ोस वाली भाभी के घर किसी काम से जाना हुआ। वैसे तो फ्लैट संस्कृति ने चूल्हे में खाना बनाने की संस्कृति का गला घोंट दिया है, मगर भाभी ने छत पर मिट्टी के एक चूल्हे का जुगाड़ कर रखा है। मैं पहुंची तो मक्के, बाजरे की रोटियां सेंकी जा रही थीं। उन रोटियों को देख कर जी ललच उठा। हथबेली रोटियां काफी मोटी होती हैं, लेकिन चूल्हे में सेंके जाने के बाद एकदम करारे अवतार में निकलती हैं। भाभी ने खाने को पूछा भर था और मैं इनकार न कर सकी। कई बरस बाद हथबेली रोटियां खाईं। फिर तसले में जली आग के इर्द-गिर्द बैठ कर अपने-अपने पीहरों के अनुभव बांटे। कुछ देर के लिए गई थी और घंटा भर लगा के आई। कुछ भी हो रेस्टोरेंट, पार्टियों और समारोहों में होने वाली औपचारिक मुलाकातों में कितनी आत्मीयता, प्रगाढ़ता होती है, यह किसी से छिपा नहीं। लेकिन इन छोटी अनौपचारिक मुलाकातों से बने रिश्तों में आजीवन पहचान की गरमाहट कायम रहती है। बातों का अलाव सुलगता रहता है।

चौपाल

सुधार की दरकार

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी और कदमों की जरूरत है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकार को सहयोग के लिए उतरना पड़ेगा। मूल समस्या है मांग में आई कमी। मांग को बढ़ाने के हरसंभव उपाय सरकार को करने होंगे और निजी क्षेत्र को भी सरकार का सहयोग करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मिले-जुले प्रयास और समझदार कदमों से ही इसमें रफ्तार पैदा होगी।

पूंजी की कमी नहीं है। यदि पूंजी के अभाव के चलते हमारे उपक्रम बाजार में मांग की पूर्ति नहीं कर पाते तो इससे बाजार में वस्तुओं का अभाव हो जाता और महंगाई बढ़ने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गैर-खाद्य वस्तु और गैर-ईंधन मुद्रास्फीति वास्तव में पिछले एक वर्ष से कम हो रही है। सकल मुद्रास्फीति भी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन इस बढ़त के लिए शहरी खाद्य उत्पादों की महंगाई जिम्मेदार है, गिरावट के लिए सरकार की नीतियों को दोषी ठहराया जा सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति में जो भारी कमी आई है, उसने व्यापार को कृषि विरोधी बना दिया है। इसकी वजह से कृषि आय में बहुत कमी आई है।

इसका मतलब है कि या तो लोगों की आय घट रही है या वे बचत तोड़ कर खर्च करने को विवश होने लगे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अपनी नीतियों पर ध्यान देना होगा।

दरअसल उपभोग और निवेश सरकारी मांग और निर्यात की ही एक क्रिया है। ऋण में वृद्धि और व्यापार में मनोबल बढ़ाने के प्रयास से निवेश के स्तर पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। निजी उपभोग के साथ ही सरकारी उपभोग और निर्यात, इन तीनों ही स्तरों पर सरकार को कारगर कदम उठाने होंगे ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश को तार्किक ठहराया जा सके।

● *कविता, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

आशंका और उम्मीद

अमेरिका-ईरान की तनातनी जहां पूरे विश्व को दो गुटों में बांटने जा रही है, वहीं खाड़ी के देशों से तेल की आपूर्ति बाधित होने से समूचे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा कर रह जाने की आशंका बनती जा रही है। बड़ी जनसंख्या के कारण सबसे अधिक भारत के प्रभावित होने का खतरा है। बड़ी जनसंख्या के लिए आवश्यक दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं दूध, फल, सब्जी और अनाज की ढुलाई बढ़ते तेल खर्चे के कारण आसमान छूने के आसार हैं। इन दिनों भारत में भिन्न-भिन्न प्रदेशों में नागरिकता कानून के विरोध के कारण सरकारों को प्रदर्शनों का सामना पड़ रहा है, यदि बढ़ती महंगाई के कारण जनाक्रोश बढ़ा तो भारत की पहले से गिरती व्यवस्था और भी चरमरा सकती है। भारत के लिए आने वाला समय विषम परिस्थितियों वाला हो सकता है। केंद्र सरकार को इस सिलसिले में विपक्षी दलों और असंतुष्ट गुटों को विश्वास में लेकर चलने की आवश्यकता है।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, नई दिल्ली*

जेएनयू की छवि

आम तौर पर कहा जाता है कि पढ़ने-लिखने वालों को राजनीति से दूर रहना चाहिए लेकिन जब बात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की आती है तो यह गलत साबित हो जाता है। आज एक सर्वव्यापी सोच बन गई है कि जेनयू के विद्यार्थी होने का मतलब है- नेता या देशद्रोही या टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य या वामपंथी या दक्षिणपंथी! लेकिन इन सबसे इतर भी जेएनयू है जो वामपंथ को भी उतना ही जनता है जितना दक्षिणपंथ को। उसे राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं है, पर सही और गलत से है। जब देश में कुछ गलत होता है, तब वह बोलता है और एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। शायद इसका कारण उसकी बहुआयामी सोच है, जो देश के सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट संस्थान में बनती है। इसकी मदद से वह हर बार प्रश्न पूछता है, चर्चा करता है या बहस करता है।

हमेशा से अपनी एक अलग छवि रखने वाला जेएनयू का छात्र आज अपने ही परिसर में कुछ चिंतित है, डरा हुआ है। जहां एक तरफ वह अपने भारतीय होने पर गर्व करने का प्रमाण दोस्तों और रिश्तेदारों को दे रहा है वहीं घर वालों को अपने सुरक्षित होने का भरोसा भी दे रहा है। लेकिन विडंबना है कि जो विश्वविद्यालय परिसर अपने एक अलग माहौल और छवि के लिए जाना जाता था आज उसी का विद्यार्थी बाहर अपना परिचय देने से डर रहा है क्या कारण है इसका, आखिर कौन है इसके पीछे, आखिर ऐसा क्यों हो गया? आज पूरे देश के लिए यह चिंता का विषय है या चिंतन का हमको और आपको तय करना होगा।

● *अविनाश सोनी, जेएनयू, नई दिल्ली*

आखिर सजा

देश को विचलित कर देने वाले निर्भया कांड के चार दोषियों को दिल्ली की एक अदालत ने आखिरकार फांसी देने की तारीख तय कर दी। इस सजा से देशवासियों का कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अपराध करने वाले लोगों में निश्चित ही डर पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले के एक दोषी की पुनर्विचार याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अन्य मुजरिम की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को नाबालिग बताते हुए मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में करने की गुहार लगाई थी। हालांकि फांसी देने की तारीख तय कर दिए जाने के बावजूद दोषियों के पास उपचारात्मक याचिका दायर करने का विकल्प अब भी खुला है लेकिन सबको पता है कि इन विकल्पों के आड़ में किस तरह तारीख पर तारीख का खेल खेला जाता रहा है।

इस प्रकरण में निर्भया की मां के जीवट की भी दाद देनी होगी। उन्होंने कहां से इतनी हिम्मत जुटाई! कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी शख्स इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया को लेकर चिड़चिड़ा हो जाता। उन्हें अदालत में बार-बार अपनी बेटी के साथ हुई बर्बरता और उसकी व्यथा याद करनी पड़ी होगी। उन्होंने दोषियों को फांसी की तारीख तय करने वाली अदालत को धन्यवाद दिया है।

न्याय प्रक्रिया की कच्छप गति से ही दोषियों को सात साल लग गए सजा दिलाने में।

● *दीपिका गुप्ता, चितबड़ा गांव, बलिया*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

नई फिल्म

- छपाक
- तानाजी

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
गुड न्यूज	173.9 करोड़
दबंग 3	137.15 करोड़
मर्दानी 2	44 करोड़
पति पत्नी और वो	76.75 करोड़

9 जनवरी तक की कमाई

जन्मदिन

- ऋतिक रोशन 10 जनवरी
- कल्कि कोचलिन 10 जनवरी
- इमरान खान 13 जनवरी
- सिद्धार्थ मल्होत्रा 16 जनवरी

नृत्य के जरिए बात रखता हूं : वरुण

आरती सक्सेना

फिल्म 'एबीसीडी 2' की सफलता के बाद वरुण धवन एक बार फिर रेमो डीसूजा की फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3 डी' में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ प्रभुदेवा और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर भी होंगी। यह फिल्म इसी महीने की 24 तारीख को रिलीज होने वाली है।

सवाल : 'स्ट्रीट डांसर 3 डी' को साइन करते वक्त आपके दिमाग मे सिर्फ डांस का जुनून था या फिल्म में कोई और भी खासियत है जिसने आपको ये फिल्म करने के लिए प्रेरित किया?

● डांस तो मेरा पैशन है, लेकिन जब स्ट्रीट डांसर की स्क्रिप्ट लेकर रेमो सर मेरे पास आए तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाने से पहले मुझे एक डॉक्यूमेंटरी दिखाई जो खालसा एंड ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित थी। ये लोग कई सालों से सबकी मदद करते, खाना खिलाते और सेवा करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति-धर्म का हो। हमारी फिल्म की कहानी भी इसी पर आधारित है। फिल्म डांस के जरिए लोगों को शांति, अमन और प्रेम का संदेश देती है।

सवाल : फिल्म के निर्देशक रेमो डीसूजा के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं। बतौर निर्देशक आपको उनमें क्या सबसे खास बात लगती है?

● मेरा मानना है कि निर्देशन का काम जिम्मेदारी भरा है, जिसमें तनाव की वजह से निर्देशक परेशान भी हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन रेमो डीसूजा ऐसे निर्देशक ही जिन्हें मैंने कभी भी गुस्सा होते नहीं देखा। उनमें गजब का सब्र है।

सवाल : यह फिल्म गोविन्दा की फिल्म 'स्ट्रीट डांसर' से प्रेरित है। फिल्म में एक से बढ़कर एक डांसर भी हैं, ऐसे में अच्छा डांस करना आपके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही?

● बहुत बड़ी...। इस बारे में कहना चाहूंगा कि एक होता है डांस करना और एक होता है डांस के जरिए कुछ अच्छा प्रस्तुत करना। अगर आपके डांस में भावनाएं है तो आपका साधारण डांस भी प्रभावशाली लगेगा। मैंने रेमो सर से यही सीखा है, डांस के जरिए अपनी बात कहना।

सवाल : सुना है 'स्ट्रीट डांसर' में श्रद्धा कपूर से पहले कैटरीना कैफ थी और उनको बीच में ही फिल्म छोड़नी पड़ी?

● हां, इसके लिए मैं श्रद्धा कपूर का शुक्रगुजार हूं जो उसने आखिरी वक्त में आकर हमारी फिल्म संभाल ली। दरअसल पहले ये फिल्म कैटरीना ही कर रही थी, लेकिन 'भारत' फिल्म में काम करने की वजह से तारीख मिल नहीं रही थी। ऐसे में कैट को मजबूरन फिल्म छोड़नी पड़ी।

सवाल : श्रद्धा कपूर के साथ आपने पहले भी काम किया है और अब फिर साथ हैं। उनमें क्या फर्क महसूस किया?

● श्रद्धा और मैं बचपन के दोस्त हैं और मुझे आज भी याद है कि जब हम बचपन में किसी पार्टी में होते थे और मैं श्रद्धा से अच्छा डांस करता था तो वह चिढ़ जाती थी और रोने लगती थी। आज समय बदल गया है, आज वो रोती नहीं, फाइट करती है।

सवाल : नूरा फतेही भी 'स्ट्रीट डासंर' में हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे?

● नूरा बहुत अच्छी डांसर है उसके डांस में अजब सी लचक है। फिल्म में उनका बहुत अच्छा डांस है। उनके साथ डांस करने का अनुभव काफी अच्छा रहा।

सवाल : डांस के समय आपके हाव-भाव भी गोविंदा की तरह बहुत स्वाभाविक होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे ?

● मुझे गोविंदा सर बहुत पसंद हैं। मैं उनके डांस का कायल हूं। बस यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं उनकी तरह पचास फीसद भी कर सका तो मैं सफल हो जाऊंगा।

सवाल : क्या आप स्ट्रीट शॉपिंग, स्ट्रीट फूड और सड़कों पर नाचना गाना पंसद करते हैं?

● स्ट्रीट शॉपिंग तो कम करता हूं, लेकिन स्ट्रीट पर खाना-पीना मुझे बहुत पंसद है, खास तौर पर गोलगप्पे, पेटिस, चाइनीज। बचपन में मैं रास्ते पर क्रिकेट भी खेला करता था, बहुत मजा आता था। जहां तक स्ट्रीट डांस का सवाल है तो मैं और श्रद्धा दोनों ही गणपति विर्सजन पर नाचते आए हैं। रास्ते पर गणपति डांस करने में मुझे बहुत मजा आता है।

सवाल :किसी मुद्दे पर आप ट्वीट करने से दूर रहते हैं, आखिर क्यों?

● ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं ट्वीट नहीं करता तो इसका मतलब है कि मैं अपनी बात कहने से डरता हूं या सेफ गेम खेलता हूं। जब मैं किसी मुद्दे पर पूरी तरह से जानकारी नहीं रखता हूं तो मैं उस पर कमेंट करना ठीक नहीं समझता। जहां तक अपनी बात कहने की बात है तो मुझे लगता है कि मैं ट्विटर पर कुछ लिखने के बजाय प्रेस कांफ्रेंस में अपनी बात कहूं। ट्विटर पर हर कोई नहीं है और मीडिया के जरिए मैं अपनी बात लोगों तक ज्यादा अच्छे से पहुंचा सकता हूं।

सवाल :आपकी हर फिल्म में गणपति पर एक गाना जरूर होता है, तो क्या 'स्ट्रीट डांसर' में भी गणपति का गाना है?

● हां स्ट्रीट डांसर में भी गणपति बप्पा पर गाना है। वे बचपन से मेरे फेवरेट हैं। बचपन में गणपति विर्सजन पर में रास्ते पर डांस किया करता था। यही वजह है कि फिल्म में भी मेरा एक गाना गणपति पर जरूर होता है। मेरे इन गानों को दर्शकों ने खूब सराहा है।

खबर कोना

शाहिद ने 2 डिग्री तापमान में भी पूरी की शूटिंग

'कबीर सिंह' की सफलता के बाद बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर चाहते हैं कि उनकी फिल्मों की सफलता का यह सिलसिला चलता रहे। इसलिए वे अपनी अगली फिल्म के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खबर है कि शाहिद कपूर ने अपनी अगली फिल्म जर्सी की शूटिंग 2 डिग्री तापमान में की। पिछले दिनों शूटिंग चंडीगढ़ में होनी थी, वो भी 2 डिग्री तापमान में। शाहिद नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म का काम किसी भी वजह से अटके। इसलिए उन्होंने आउटडोर शूट बिना किसी शिकायत के पूरा किया। निर्देशक गौतम तिन्ननुरी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, 'शाहिद बेहद पेशेवर हैं। दिसंबर के दौरान अधिकांश शूटिंग आउटडोर या लाइव स्थानों पर होती थी, जहां हम सभी 3-4 कपड़ों में होते थे, लेकिन शाहिद ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और ठंडे तापमान के बावजूद उन्होंने सीन पूरा किया।' फिल्म के निर्माता अमन गिल ने कहा, 'सभी को इस बात का अहसास हो रहा था कि ठंड बढ़ रही है। फिर भी शाहिद पूरी तरह केंद्रित थे, उन्होंने पूरी यूनिट को सपोर्ट किया और ठंड से शूट को प्रभावित नहीं होने दिया।'

'गुड न्यूज' ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाए

अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ, और कियारा आडवाणी की फिल्म 'गुड न्यूज' ने दूसरे हफ्ते भी सिनेमाघरों में धमाल मचा रखा है। फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो गए हैं और फिल्म ने सौ करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। बीते दिनों निर्माताओं ने यह जानकारी दी। फिल्म 27 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। 'गुड न्यूज' के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसतन कमाई करेगी। लेकिन फिल्म ने छह दिनों में 110.10 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। धर्मा प्रोडक्शंस ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, 'साल की शुरुआत में इससे बेहतर कोई खबर है? यह #गुडन्यूज है! हम पर अपना प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद।' 'गुड न्यूज' की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी नहीं पड़ रही है। 2019 में अक्षय की चौथी हिट फिल्म है।

'83' में काम करना तरोताजा करने वाला है : दीपिका

डिपल गर्ल दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म छपाक को लेकर विवादों में हैं। इस समय दीपिका पादुकोण अपने सह-कलाकार और पति रणवीर सिंह के साथ '83' में काम कर रही है और उनका कहना है कि भारतीय क्रिकेटर कपिल देव से जुड़ी इस फिल्म में काम करना उन दोनों के लिए काफी 'तरोताजा' करने वाला रहा। इससे पहले दीपिका और रणवीर सिंह संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गोलियों की रासलीला : रामलीला', 'बाजीराव मस्तानी', और 'पद्मावत' में साथ नजर आ चुके हैं। अभिनेत्री ने कहा कि वास्तविक कहानी पर रणवीर सिंह के साथ काम करना थोड़ा तरोताजा करने वाला है, क्योंकि पिछली फिल्मों के मुकाबले इसमें भारी भरकम भावपूर्ण संवाद नहीं हैं और इसकी कहानी सच्चाई के करीब है। उन्होंने कहा, 'ये किरदार पूरी तरह से अलग है और ज्यादा वास्तविक वाले विन्यास में है। इसमें उस तरह के भावपूर्ण संवाद नहीं है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हमने पहले के तीन फिल्मों में किया था।'

नए सिरे से संघर्ष कर रहा हूं : विजय वर्मा

हर अभिनेता को अपने फिल्मी सफर में एक किरदार ऐसा निभाने का मौका जरूर मिलता है जो उसके अभिनय को नई दिशा देता है, और अभिनेता विजय वर्मा 'गली बॉय' को अपने करिअर की ऐसी ही फिल्म मानते हैं, जिसमें उनके अभिनय को खूब सराहा गया। विजय का कहना है कि यही सराहना उन्हें 2020 में चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए प्रेरित करेगी। विजय जोया अख्तर के निर्देशन में बनी 'गली बॉय' में मुंबई की झुग्गी में रहने वाले मोइन के किरदार में थे जिसने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। विजय ने कहा, 'मैं 2019 के प्रति आभारी हूं। इसी साल मुझे वह स्वीकृति और सराहना मिली जिसकी मुझे बेहद शिद्दत से तलाश थी।' अभिनेता का कहना है कि अब भावी चुनौतियों को स्वीकार कर उनपर खरा उतरने के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि अब मुझसे उम्मीदें जुड़ गई हैं।

छपाक

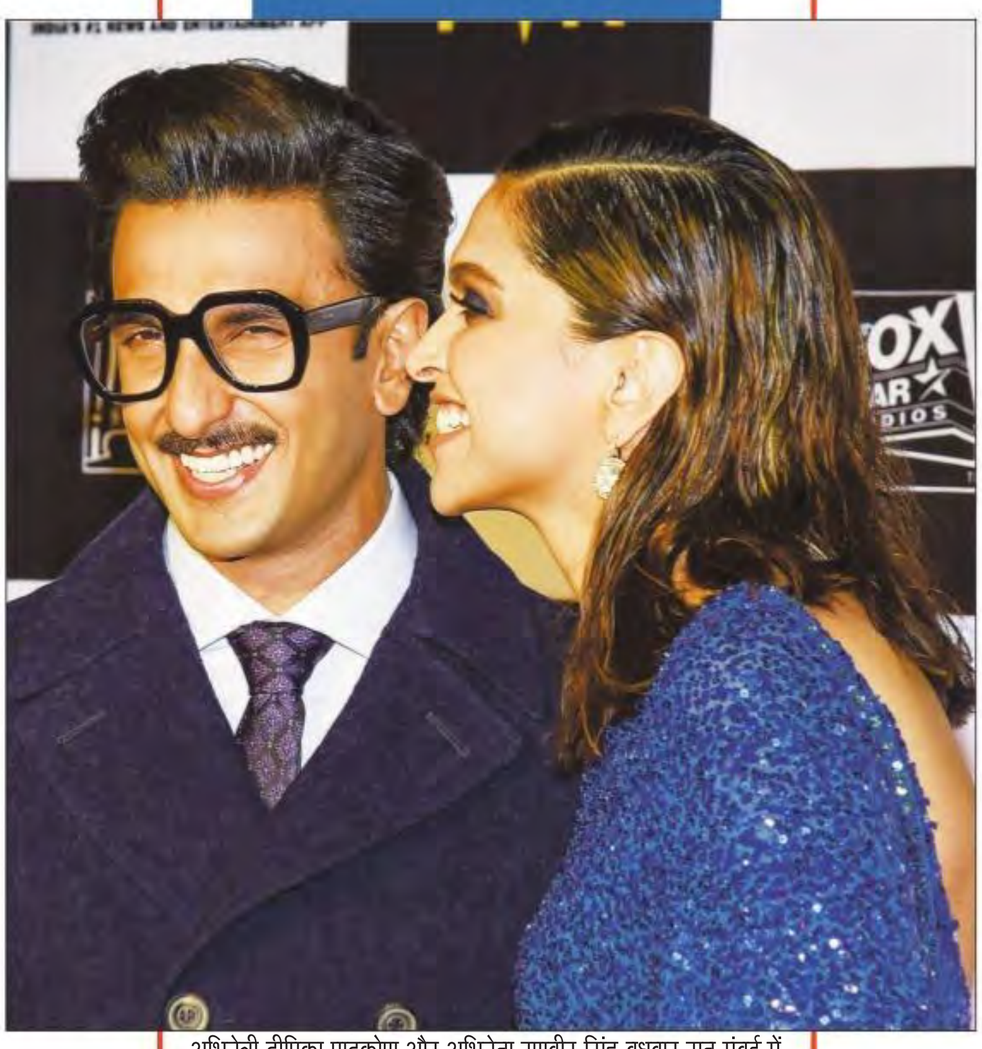

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता रणवीर सिंह बुधवार रात मुंबई में फिल्म छपाक की विशेष स्क्रीनिंग के मौके पर।

कृष्णमय नृत्यम

शशिप्रभा तिवारी

नृत्योत्सव

पुरुष कलाकारों का हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य जगत में अन्यतम स्थान है। यह सच है कि शास्त्रीय नृत्य को सिखाने वाले और इसको एक पराकाष्ठा तक पहुंचाने में गुरुओं का खास योगदान रहा है। बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। लेकिन, शास्त्रीय नृत्य को आत्मसात करते हैं और इसे ही अपना सर्वस्व मानकर, साधना में निमग्न हो जाते हैं तो समय के साथ पहचान मिल जाती है। पर इसके लिए कलाकारों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। युवा भरतनाट्यम नृत्क सोहैल भान ऐसे ही कलाकार हैं। पिछले दिनों एक समारोह में उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य पेश किया।

सोहैल भान ने भरतनाट्यम नृत्य को गुरु जस्टीन मैकार्थे के सान्निध्य में सीखा है। उनके सीखने का क्रम अभी भी जारी है। वह मानते हैं कि प्रदर्शन कला में रोज रियाज और सीखना जारी रहता है। नृत्य जीवंत कला है, इसलिए यह लगातार परिष्कार की मांग करती है। सोहैल ने अपने नृत्य का आरंभ नृत्य रचना ओम से किया। यह प्रस्तुति शास्त्रीय गायिका शुभा मुद्गल के संगीत पर आधारित थी। उनकी दूसरी पेशकश भजन 'अच्युतम केशवम राम नारायणम' थी। इस भजन पर कथक के कई कलाकारों ने भी नृत्य किया है। भरतनाट्यम में यह एक नया प्रयास था। उनकी अगली पेशकश दो तिल्लाना थी। एक राग काफी और आदिताल में निबद्ध थी। जबकि दूसरी राग सिंधु भैरवी और आदि ताल में निबद्ध थी। भरतनाट्यम नृत्क सोहैल भान ने मुत्थुस्वामी दिक्षितर की कृति पर आधारित नृत्य पेश किया। यह राग कुमुदप्रिया और चतुश्रम ताल में निबद्ध था। इसमें भृगु, अगस्त्य और वशिष्ठ के भक्ति को निरूपित किया गया। साथ ही, इसमें शिव और पार्वती के रूप का मनोरम वर्णन भी दर्शाया गया था। इस नृत्य में आंगिक चेष्टाएं और हस्तकों को बरतने का अंदाज काफी सधा हुआ, नजर आया। उनकी नृत्य की पराकाष्ठा के उस्ताद जाकिर हुसैन की एक रचना पर अभिनय पेश किया। इसमें उन्होंने बरसाना छोड़कर, मथुरा जाते कृष्ण के प्रसंग को चित्रित किया। इस अंश में उन्होंने राधा के आतुर भावों का विवेचन किया। उनका अभिनय काफी परिपक्व था।

भारतीय शास्त्रीय कलाओं में अध्यात्म घुला-मिला है। नृत्य की भंगिमाएं, खड़े होने का अंदाज, अंग संचालन सभी कहीं न कहीं योग से जुड़े हुए हैं। आप इसे अवचेतन मन से अपनाते हैं। इस संदर्भ में सुहैल कहते हैं कि नृत्य के जरिए हम भारतीय दर्शन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इससे हमारे अंदर आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मशांति के भाव आता है। हमें जीवन की सच्चाई को सहजता को स्वीकार करना आ जाता है। जीवन में रूकावटें तो आती रहेंगी, पर हमें अपनी कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, न सिर्फ नृत्य के क्षेत्र में बल्कि जीवन में भी। अकसर मुझे महसूस होता है कि जो हो रहा है, वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। हम थोड़ी देर परेशान तो जरूर होते हैं कि हमारा चाहा हुआ नहीं होता। उस समय हम यह भूल जाते हैं कि सृष्टिकर्ता की इच्छा के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। जब उसकी इच्छा होती है, तभी एक पत्ता हिलता है। हमें सकारात्मक रहकर आगे बढ़ना है। हां, उसमें समय जरूर लगता है।

महेंद्र कपूर (9 जनवरी 1934-27 सितंबर 2008

किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

'नीले गगन के तले...', 'न मुंह छुपा के जियो', 'मेरे देश की धरती' जैसे कई लोकप्रिय गानों के दम पर महेंद्र कपूर ने किशोर, रफी, मुकेश जैसे लोकप्रिय और मन्नाडे जैसे हरफनमौला गायकों के बीच अपनी पहचान बनाई। कल, गुरुवार को, महेंद्र कपूर की 86वीं जयंती थी। मोहम्मद रफी को महेंद्र कपूर अपना गुरु मानते थे। दोनों ने तय किया था कि वे एक दूसरे साथ कभी नहीं गाएंगे ताकि कोई उनकी बेमतलब तुलना न करे। मगर यह मुकद्दर की बात थी कि उन्हें एक फिल्म में साथ गाना ही पड़ा।

रफी और कपूर दोनों ने साथ में सिर्फ एक गाना गाया। 1968 की 'आदमी' में। इस गाने के बोल थे 'कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है एक मेरे साथ है...ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है...'

रफी महेंद्र कपूर को छोटा भाई मानते थे। रफी का बनाया गैरफिल्मी गाना (इलाही कोई तमन्ना नहीं...) गाकर कपूर ने मरफी रेडियो की संगीत प्रतियोगिता जीती थी और फिल्मों में आए थे। कपूर अक्सर रफी के कार्यक्रमों में तानपुरा बजाते थे। दोनों ने तय किया था कि वे साथ में कोई गाना नहीं गाएंगे ताकि दोनों के बीच बेवजह की तुलना न हो। महेंद्र कपूर भी नहीं चाहते थे कि जिस रफी को वह गुरु मानते हैं उनके साथ कोई द्वंद्व गीत कभी गाना पड़े।

इसका नुकसान उठाना पड़ा रफी को। रफी बीआर चोपड़ा की पहली फिल्म 'अफसाना' (1951) से ही उनके लिए गा रहे थे। चोपड़ा ने जब रफी-महेंद्र कपूर से साथ गवाना चाहा तो रफी ने इनकार कर दिया। चोपड़ा को बुरा लगा। उन्होंने रफी को हाशिये पर डालना शुरू कर दिया। यही नहीं उन्होंने रफी के चेले माने जाने वाले महेंद्र कपूर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया।

'वक्त' (1965) जैसी देश की पहली मल्टीस्टारर फिल्म में चोपड़ा ने रफी से एक ही गाना गवाया। चोपड़ा की 'हमराज' में महेंद्र कपूर 'नीले गगन के तले...', 'न मुंह छुपा के जियो...', 'तू हुस्न है मैं इश्क हूं...', 'तुम अगर साथ देने का वादा करो...' जैसे गाने गाकर बुलंदियों पर पहुंचे। उधर चोपड़ा रफी की लगातार उपेक्षा कर रहे थे। चोपड़ा ने 1975 की 'जमीर' से लेकर रफी के निधन (31 जुलाई, 1980) तक उनसे कोई गाना नहीं गवाया।

यह मुकद्दर की बात थी कि महेंद्र कपूर के साथ न गाने के नियम पर अमल करने के कारण बीआर कैम्प में मोहम्मद रफी की उपेक्षा हो रही थी और महेंद्र कपूर आगे बढ़ाए जा रहे थे। ए भीमसिंह निर्देशित दक्षिण के एक निर्माता की 1968 में बनी 'आदमी' में रफी-कपूर के पहली और आखिरी बार('कैसी हसीन आज बहारों की रात है...') गाने की वजह अलग थी।

फिल्म में यह गाना दिलीप कुमार-मनोज कुमार पर फिल्माया गया था और दिलीप कुमार के लिए रफी और मनोज कुमार के लिए तलत महमूद की आवाज में इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। मगर मनोज कुमार को लगा कि तलत महमूद की आवाज बहुत कमजोर है। उन्होंने संगीतकार नौशाद को अपनी राय बताई, जो उन्हें ठीक लगी। दरअसल तलत ने यह गाना गाया तब वह बीमार थे।

आखिर रफी के साथ महेंद्र कपूर को गाने के लिए कहा, क्योंकि उनकी आवाज दमदार थी। मगर महेंद्र कपूर ने मना कर दिया। जब तलत ने खुद आगे आकर महेंद्र कपूर को गाने के लिए कहा, तब जाकर कपूर तैयार हुए और यह गाना गाया।

हालांकि दोनों ने मन्नाडे के साथ मिलकर बीआर चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा की फिल्म 'काला पत्थर' में 'धूम मची धूम...' भी बाद में गाया। मगर उसमें दो से ज्यादा गायक थे।

चौबीस राज्यों में गठित होंगी एक हजार से ज्यादा त्वरित अदालतें

नई दिल्ली, 9 जनवरी (भाषा)।

● बलात्कार के 1.60 लाख से अधिक मामलों का किया जाएगा निपटारा

विधि मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि बच्चों और महिलाओं के बलात्कार से संबंधित 1.60 लाख से अधिक मामलों के निपटारे के लिए 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1,023 विशेष त्वरित अदालतें (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक योजना में शामिल हुए हैं। ये मामले देश भर की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।

मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि कुल 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से अब तक 24 राज्य इस योजना में शामिल हो चुके हैं। इन प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, दिल्ली, नगालैंड, ओड़ीशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। मिजोरम, सिक्किम, मेघालय व केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी इस योजना में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं।

मंत्रालय के एक दस्तावेज के अनुसार इन विशेष अदालतों में से प्रत्येक से प्रति वर्ष 165 ऐसे मामलों को निपटाने की उम्मीद की जाती है। ऐसी कुल 1,023 अदालतें स्थापित की जाएंगी जिनमें से 389 अदालतें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) कानून के मामलों की सुनवाई करेंगी।

विधि मंत्रालय के न्याय विभाग के दस्तावेज के अनुसार हर एक ऐसी अदालत से प्रत्येक तिमाही में 41-42 मामलों और वर्ष भर में कम से कम 165 मामलों का निपटारा करने की उम्मीद है।

दस्तावेज के अनुसार, देश भर की विभिन्न अदालतों में बलात्कार और पोक्सो कानून के कुल 1,66,882 मामले लंबित हैं। देश में 389 जिले हैं ऐसे हैं जहां पोक्सो कानून के तहत लंबित मामलों की संख्या 100 से अधिक है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन जिलों में प्रत्येक में एक विशेष पोक्सो अदालत स्थापित की जाएगी जहां अन्य मामलों की सुनवाई नहीं होगी।

न्यायाधीश लोया की मौत से जुड़े मामले की फिर से जांच का विकल्प खुला

मुंबई, 9 जनवरी (भाषा)।

● महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा, जरूरी हुआ, तो दोबारा जांच कराई जाएगी

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास 2014 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मौत की जांच दोबारा कराने का विकल्प खुला है।

गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति लोया की एक दिसंबर 2014 को नागपुर में उस समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, जब वह अपने एक सहयोगी की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे।

देशमुख ने पत्रकारों से कहा, 'हमारी सरकार ने लोया मौत मामले की दोबारा जांच कराने का विकल्प खुला रखा है। कुछ लोग मामले को दोबारा खोलने की मांग को लेकर आज मुझसे मिल रहे हैं। मैं उन्हें सुनूंगा और अगर जरूरी हुआ, तो दोबारा जांच कराई जाएगी।' जब देशमुख से पूछा गया कि क्या लोया का परिवार उनसे मिलने वाला है, तो उन्होंने कहा कि वह इसका खुलासा नहीं करना चाहते हैं।

इस बीच, देशमुख ने उन पुलिस अधिकारियों की प्रशंसा की जिन्होंने भगोड़े माफिया सरगना एजाज लकड़वाला को बुधवार की रात पटना से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि माफिया की बेटी शिफा शेख ने अपने पासपोर्ट पर पिता का नाम 'मनीष आडवाणी' दर्ज कराया था।

देशमुख ने कहा, 'वह फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार की गई थी और लकड़वाला की गिरफ्तारी उससे पूछताछ के आधार पर हुई। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मनीष आडवाणी कौन है।' यह पूछे जाने पर कि क्या लकड़वाला को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा? मंत्री ने कहा, 'उन्होंने अच्छा काम किया है और उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया जाएगा।' देशमुख ने बताया कि माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और छोटा राजन का सहयोगी रह चुका लकड़वाला 2008-2009 से ही स्वतंत्र गिरोह चला रहा था।

मंत्री ने बताया, 'लकड़वाला के खिलाफ 26 मामले रंगदारी मांगने के, चार मामले महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत और 80 अन्य शिकायतें दर्ज हैं।' मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों को पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव में वापस लेने के भाजपा के आरोपों पर देशमुख ने कहा कि पुलिस यह जांच कर रही है कि मुंबई निवासी महक प्रभु को वह तख्ती कहां से मिली जिस पर 'स्वतंत्र कश्मीर' का संदेश लिखा था और इसे प्रदर्शित करने का उद्देश्य क्या था।

उन्होंने कहा, 'प्रभु ने अपना पक्ष रख दिया है और जांच पूरी होने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने पर फैसला लिया जाएगा।' देशमुख ने कहा कि उन्होंने एक जनवरी 2018 को कोरेगांव भीमा में हुई हिंसा की जांच की स्थिति रिपोर्ट भी तलब की है।

गौतमबुद्धनगर एसएसपी वैभव कृष्ण निलंबित

पेज 1 का बाकी

कलानिधि नैथानी को गाजियाबाद का नया कप्तान बनाया गया है। गोपनीयता शिकायत को लीक कर सर्विस रूल (अधिकारी आचरण नियमावली) का उल्लंघन करने के आरोप में गौतमबुद्ध नगर एसएसपी को निलंबित किया गया है। गौतमबुद्ध नगर के एसएसपी के रूप में वैभव कृष्ण ने अग्निशमन-होमगार्ड विभाग के बड़े अफसरों, पुलिस और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की थी। आरोप है कि इसी के बाद एक लॉबी उनके विरोध में खड़ी हो गई थी।

गाजियाबाद के एसएसपी सुधीर सिंह को सेनानायक 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा बनाया गया है। पुलिस अधीत्रक पीटीएस उन्नाव शिवहरि मीणा को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर, पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर हिमांशु कुमार को सेनानायक 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा, एसएसपी इटावा संतोष कुमार मिश्रा को एसपी रामपुर, एसपी रामपुर अजय पाल शर्मा को एसपी पीटीएस उन्नाव, एसपी बाराबंकी आकाश तोमर को एसएसपी इटावा, एसपी गाजीपुर अरविंद चतुर्वेदी को एसपी बाराबंकी, एसपी झांसी ओम प्रकाश सिंह को एसपी गाजीपुर, सेनानायक 24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद मुनिराज को एसएसपी झांसी, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर गौरव भंसवाल को एसपी हाथरस, एसपी हाथरस सिद्धार्थ शंकर मीणा को एसपी बांदा, एसपी बांदा गणेश प्रसाद साहा को एसपी मानवाधिकार लखनऊ तैनात किया गया है।

मुठभेड़ के बाद आइएस के तीन संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार सुबह वजीराबाद इलाके में मुठभेड़ के बाद इस्लामिक स्टेट (आइएस) के तीन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी दिल्ली-एनसीआर या फिर उत्तर प्रदेश में आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों की पहचान तमिलनाडु निवासी पहचान ख्वाजा मोइद्दीन (52), सैयद अली नवाज (32) और अब्दुल समद उर्फ नूर (28) के तौर पर हुई है। इन तीनों के तार तमिलनाडु के आइएस मॉड्यूल से जुड़े हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस तीनों से पूछताछ कर आइएस के उस विदेशी आका के बारे में सुराग जुटा रही है, जिसके निर्देश पर ये भारत में बड़े आतंकी हमला को अंजाम देने के फिराक में थे।

स्पेशल सेल के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि ये तीनों बीते साल 12-13 दिसंबर को तमिलनाडु से नेपाल गए थे। वहां 20 दिन रुकने के बाद वे भारत लौट आए और फिर दिल्ली आकर अपना ठिकाना बना लिया था। इसी बीच, इसकी भनक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लग गई, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने वजीराबाद इलाके में इन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। ये आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए हथियार और विस्फोटक जमा कर रहे थे। आतंकियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नेपाल के रास्ते पाकिस्तान फरार होने के फिराक में थे।

उपायुक्त ने बताया कि गुरुवार सुबह टीम को सूचना मिली कि फरार चल रहे ख्वाजा मोइद्दीन, सैयद नवाज और अब्दुल समद नेपाल से दिल्ली आ चुके हैं और एक कमरा भी किराए पर ले लिया है। टीम ने सूचना के आधार पर वजीराबाद इलाके में तीनों संदिग्धों को घेर लिया, जब वे किसी से मिलने के लिए पैदल जा रहे थे। इस दौरान आतंकियों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। टीम ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उपायुक्त ने बताया कि दोनों पक्षों में 14 राउंड गोलियां चली। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर हथियार और कारतूस भी जब्त किए हैं।

ख्वाजा मोइद्दीन से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसके तार तमिलनाडु के आइएस मॉड्यूल से जुड़े हैं। ख्वाजा इन दिनों हत्या के एक मामले में जमानत पर चल रहा है। इस पर एक राष्ट्रीय दल के नेता की हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज है। उसने बताया कि विदेश में बैठे आतंकी संगठन से मिल रहे निर्देशों के अनुसार वह देश में कई स्थानों पर बैठकें कर चुका था और आतंकी हमले को अंजाम देने के फिराक में था।

पत्रकार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पुलिस के अधिकारियों को कथित रूप से ब्लैकमेल करने और उनसे वसूली करने के आरोपों में उप्र गुंडा और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तार पत्रकार की जमानत याचिका पर गुरुवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह उसके पास लंबित पत्रकार की जमानत से संबंधित इसी तरह की याचिका पर आगे कार्यवाही करे और यथाशीघ्र इसका फैसला करे।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने उप्र सरकार को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते के भीतर इस पर जवाब मांगा है। पत्रकार नीतीश पांडे की ओर से वकील प्रशांत भूषण और गोविंद जी ने कहा कि उनके मुवक्किल को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था लेकिन हाई कोर्ट उसकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं कर रहा है।

भूषण ने दावा किया कि इस पत्रकार के खिलाफ लगाए गए निराधार और अविवादित तथ्यों के अवलोकन के बगैर ही हाई कोर्ट बार-बार इस मामले की सुनवाई स्थगित करके राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर दे रहा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता नीतीश पांडे पत्रकार हैं। वे गैंगस्टर नहीं हैं, जिसे कठोर कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस पत्रकार ने पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए अपने न्यूज पोर्टल पर अनेक खबरें चलाईं थीं। पांडे का दावा है कि वे 2009 से पत्रकार हैं और पहले कई प्रतिष्ठित समाचार चैनलों से संबद्ध रहे हैं। याचिका के अनुसार पुलिस विभाग में कामकाज के बारे में खबरें अक्सर इस न्यूज पोर्टल पर चलाई जाती हैं। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्रतिष्ठित है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। पुलिस ने पांडे को पिछले साल 23 अगस्त को उप्र गुंडा और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम कानून के कई प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

वृद्धि दर 2019-20 में पांच फीसद रहने का अनुमान : विश्व बैंक

पेज 1 का बाकी

मंगलवार को जारी आंकड़ों में 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर के पांच फीसद रहने का अनुमान जताया है। सरकार ने विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन को इसका कारण माना है। यह 11 साल की सबसे धीमी वृद्धि दर होगी। रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया कि 2019 में आर्थिक गतिविधियों में खासी गिरावट आयी। विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में गिरावट अधिक रही जबकि सरकारी खर्च से सरकार संबंधी सेवाओं के उप क्षेत्रों को ठीक-ठाक समर्थन मिला। उसने कहा कि 2019 की जून तिमाही और सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्रम से पांच फीसद और 4.5 फीसद रही, जो 2013 के बाद सबसे निम्न स्तर है।

विश्व बैंक के अनुसार, लोगों के उपभोग तथा निवेश में नरमी ने सरकारी खर्च के प्रभाव को नगण्य बना दिया। आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष के शेष समय में भी गतिविधियों के कमजोर बने रहने की आशंका है। हालांकि, विश्व बैंक ने रसोई गैस पर सबसिडी को क्रमिक तौर पर समाप्त करने के भारत के प्रयासों की सराहना की है। उसने कहा कि एलपीजी पर सबसिडी से काला बाजार तैयार हो रहा था और घरेलू इस्तेमाल का एलपीजी व्यावसायिक क्षेत्रों में पहुंच रहा था। सबसिडी हटाने के कार्यक्रम से इसकी कालाबाजारी समाप्त हुई।

विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2020 में 2.5 फीसद की दर से वृद्धि करने का अनुमान व्यक्त किया। उसने कहा कि 2020 में शुल्क वृद्धि तथा अनिश्चितता बढ़ने से अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर कम होकर 1.8 फीसद पर आ सकती है। इस दौरान यूरोप की वृद्धि दर उद्योग जगत की नरम गतिविधियों के कारण कम होकर एक फीसद पर आ सकती है।' विश्व बैंक के अनुसार, 2019-20 में पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर 2.4 फीसद तथा बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि दर सात फीसद से कुछ ऊपर रह सकती है।

विश्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय वृद्धि दर में क्रमिक सुधार होने का अनुमान है और घरेलू मांग में धीमे सुधार से यह 2022 में छह फीसद पर पहुंच सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत : मोदी

पेज 1 का बाकी

पिछली दो तिमाहियों के दौरान लगातार कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि के बाद सरकार काफी सक्रिय हो गई लगती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग पक्षों के साथ पिछले कुछ दिनों में ही 12 बैठकें की हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है और आगामी बजट में यथोचित नीतिगत दखल देने की तैयारी है।

प्रधानमंत्री ने गुरुवार को यहां नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों, निजी इक्विटी एवं उद्यम पूंजी कोषों, कारोबारियों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया और भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मिलकर प्रयास करने को कहा।

बैठक के बाद मोदी ने ट्वीट किया, 'भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर दृढ़! आज अर्थशास्त्रियों, कारोबारियों और विभिन्न क्षेत्रों के नीतिगत विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विषयों पर चर्चा हुई। ऐसा मेलजोल राष्ट्रीय प्रगति के लिए अच्छा है।' इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवरॉय भी बैठक में मौजूद थे।

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में उपस्थित नहीं थी। वे भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बजट-पूर्व बैठकें कर रही थीं। वित्त मंत्री एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार मोदी ने बैठक में कहा, 'हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और एक राष्ट्र की तरह सोचने की शुरुआत करनी होगी।' मोदी भारतीय अर्थव्यस्था को तेजी से पटरी पर लाने को लेकर नीतिगत उपायों को व्यक्तिगत स्तर पर देख रहे हैं और इस पर काफी समय खर्च कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर पांच फीसद रही जो कि दूसरी तिमाही में घटकर 4.5 फीसद रह गई।

सरकार के अग्रिम अनुमान के मुताबिक अर्थव्यवस्था के 2019-20 में पांच फीसद की दर से वृद्धि हासिल करने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष की वृद्धि दर 6.8 फीसद से काफी कम है। यह वैश्विक आर्थिक संकट के समय 2008-09 के बाद की सबसे धीमी वृद्धि दर होगी।

विशेषज्ञों के सुझावों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह नीति निर्माताओं और विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह बैठक ढाई घंटे तक चली। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का विचार अचानक से नहीं आया है।

इस साल दो सूर्यग्रहण व चार चंद्रग्रहण के नजारे दिखेंगे

पेज 1 का बाकी

शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात लगने वाले उपच्छाया चंद्रग्रहण से शुरू होगा।

उन्होंने बताया कि नववर्ष का यह पहला ग्रहण भारत में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार इसकी शुरूआत शुक्रवार रात 10:36 बजे होगी और यह रात 02:44:04 बजे खत्म होगा। उपच्छाया चंद्रग्रहण उस समय लगता है, जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा चंद्रमा 'पेनुम्ब्रा' (धरती की परछाई का हल्का भाग) से होकर गुजरता है। इस समय चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी आंशिक तौर पर कटी प्रतीत होती है और ग्रहण को चंद्रमा पर पड़ने वाली धुंधली परछाई के रूप में देखा जा सकता है। गुप्त ने भारतीय संदर्भ में की गई कालगणना के हवाले से बताया कि इस साल पांच और छह जून की दरम्यानी रात दूसरा उपच्छाया चंद्रग्रहण लगेगा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई देगा। तकरीबन दो सदी पुरानी वेधशाला के अधीक्षक ने बताया कि 21 जून को लगने वाले वलयाकार सूर्यग्रहण को भी भारत में देखा जा सकेगा। इसके बाद पांच जुलाई और 30 नवंबर को सिलसिलेवार तौर पर दो उपच्छाया चंद्रग्रहण लगेंगे।

राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते विद्यार्थियों पर हल्का बल प्रयोग

पेज 1 का बाकी

के लिए सरकार के प्रस्ताव को लागू नहीं करने पर अड़े हैं। केंद्र सरकार ने कुलपति को हटाने की संभावना खारिज कर दी। इस बीच जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष समेत प्रदर्शनकारी छात्रों का नेतृत्व कर रहे विद्यार्थियों ने कहा कि वे अपनी मांग पर समझौता नहीं करेंगे, चाहे उनकी सुरक्षा को लेकर जो भी आश्वासन मिलते रहें। जगदीश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय ने परिसर में पांच जनवरी को हुई हिंसा की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई है तथा छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम सुझाए हैं।

आज का मार्च मंडी हाउस से शुरू हुआ। पहले यह शास्त्री भवन पर आकर रुका जहां एचआरडी मंत्रालय है। मार्च में माकपा नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश करात और बृंदा करात तथा भाकपा नेता डी राजा भी शामिल हुए। हालांकि पुलिस ने जेएनयू के छात्रों और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की मुलाकात मंत्रालय के अधिकारियों से कराई।

एक घंटे से अधिक चली मुलाकात के बाद आईशी घोष ने उपस्थित छात्रों से कहा कि उन्होंने अधिकारियों को बताया कि छात्रों तथा शिक्षकों पर दर्दनाक हमला हुआ था जो उन्हें आखिरी सांस तक याद रहेगा। घोष ने कहा कि छात्र कुलपति को हटाने की मांग से कम किसी बात पर तैयार नहीं होंगे। उन्होंने कहा, 'एचआरडी मंत्रालय अब भी सोच रहा है कि उन्हें हटाया जाए या नहीं। हमने मंत्रालय से कुलपति को हटाने की अपील की है। उन्होंने हमें बताया कि वे शुक्रवार को हमसे बात करेंगे।' मंत्रालय कुमार को हटाने की मांग पर नरम पड़ता नहीं दिखाई दिया। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि जिस बुनियादी मुद्दे पर समस्या सामने आई, उस पर पहले ध्यान देना होगा।

उन्होंने कहा, 'कुलपति को हटाना कोई समस्या का हल नहीं है। किसी को बदलना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना परिसर में सामने आए मुद्दों का समाधान करना।' कुमार पर छात्रों के हमले के बाद उचित कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात के बाद घोष ने अचानक ऐलान किया कि वे अब राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति हैं। बाद में प्रदर्शनकारी छात्रों ने राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया लेकिन उन्हें रोका गया और इस दौरान आधे घंटे तक नाटकीय स्थिति रही। पुलिस ने कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात तक प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि बाद में प्रतिनिधिमंडल बैठक से बाहर आया और एक छात्र नेता ने भीड़ को राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने के लिए उकसाया।

पीडीपी ने आठ नेताओं को पार्टी से निकाला

पेज 1 का बाकी

इसमें कहा गया है, 'पीडीपी ने लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने वाले नेताओं को निष्कासित कर दिया है।' निष्कासित किए गए नेताओं में दिलावर मीर, रफी अहमद मीर, जफर इकबाल, अब्दुल मजीद पदरू, राजा मंजूर खान, जावेद हुसैन बैग, कमर हुसैन और अब्दुल रहीम राथेर शामिल हैं। ये सभी पूर्व विधायक हैं।

बहुत अधिक हिंसा, देश कठिन दौर में

पेज 1 का बाकी

प्रावधान है। शीर्ष अदालत ने इस कानून को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और इसे जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था। शीर्ष अदालत में नागरिकता संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वालों में कांग्रेस के जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, राजद नेता मनोज झा, एआइएमआइएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, इंडियन यूनियन मुसलिम लीग, पीस पार्टी, गैर सरकारी संगठन 'रिहाई मंच' और 'सिटीजंस अगेंस्ट हेट', वकील मनोहर लाल शर्मा और कानून के छात्र शामिल हैं।

पाकिस्तान के दुष्प्रचार की खुली पोल

पेज 1 का बाकी

की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जम्मू-कश्मीर में जुल्म और मानवाधिकार हनन के पाकिस्तान के दुष्प्रचार को सिरे से खारिज किया। विदेशी राजनयिकों से बातचीत में स्थानीय लोगों ने पांच अगस्त के बाद बिना किसी खूनखराबे के हालात को संभालने के लिए सरकार की खुलकर तारीफ की।

अमेरिकी राजदूत केनेथ आइ जस्टर के अलावा राजनयिकों के इस समूह में दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, मालदीव, मोरक्को, फिजी, नॉर्वे, फिलिपींस, अर्जेंटीना, पेरू, नाइजर, नाइजीरिया, टोगो और गयाना के राजदूत/उच्चायुक्त शामिल हैं। उन लोगों का दौरा शुक्रवार को भी जारी रहेगा। उनसे बातचीत में स्थानीय लोगों ने इतना जरूर माना कि कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। स्थानीय लोगों ने विदेशी राजनयिकों से साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग पाकिस्तान को एक इंच भी धरती नहीं देंगे। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने और लोगों की जान लेने का आरोप लगाया। उन्होंने विदेशी राजनयिकों से गुजारिश की कि वे पाकिस्तान पर दबाव बनाएं कि वह जम्मू-कश्मीर में दखल न दे। विदेशी राजनयिक पाकिस्तान दुष्प्रचार के उलट घाटी में सामान्य हालात के गवाह बने। श्रीनगर में दुकाने खुली हुई थीं, सड़कों पर गाड़ियां सामान्य रूप से आ जा रही थीं और बाजार लोगों से गुलजार थे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक, दिल्ली से इन राजनयिकों को विशेष विमान से श्रीनगर के तकनीकी हवाई-अड्डा ले जाया गया, जहां से उन्हें 15वीं कोर के मुख्यालय ले जाया गया। वहां 15वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन व अन्य सैन्य कमांडर, अर्द्धसैनिक बलों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने हालात की जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) विकास स्वरूप भी प्रतिनिधिमंडल के साथ हैं। अधिकारियों ने कहा कि राजनयिकों को पाकिस्तान की तरफ से खड़ी की जाने वाली परेशानियों और कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति को अस्थिर करने के उनके प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। राजनयिकों ने घाटी की नागरिक संस्थाओं के सदस्यों से मुलाकात की और इस दौरान अमेरिकी राजदूत को रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के मालिक संदीप चट्टू के साथ लंबी चर्चा करते हुए देखा गया।

इन राजनयिकों ने बाद में पूर्व मंत्री अलताफ बुखारी के नेतृत्व में आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समेत राजनेताओं से भी मुलाकात की।

सोनिया गांधी की बैठक का बहिष्कार करेंगी ममता बनर्जी

पेज 1 का बाकी

नहीं होंगी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का हवाला देते हुए विपक्षी खेमेबंदी से परे रहने की बात कही है।

ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां गंदी राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वाममोर्चा के रवैए के चलते वह नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ेंगी। ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस और वाममोर्चा पश्चिम बंगाल में हिंसक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बताया कि बुधवार को मजदूर संगठनों के बंद के दौरान बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसा की। इसके विरोध में ही उनकी पार्टी प्रमुख ने बैठक के बहिष्कार का निर्णय किया है।

मजदूर संगठनों के 24 घंटे के राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं हैं। प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क यातायात बाधित करने करने का भी प्रयास किया।

निर्भया कांड में एक दोषी ने सुधारात्मक याचिका दायर की

पेज 1 का बाकी

याचिका में विनय ने अपनी युवावस्था का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत ने इस पहलू को त्रुटिवश अस्वीकार कर दिया है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, उसके बीमार माता-पिता सहित परिवार के आश्रितों और जेल में उसके अच्छे आचरण व उसमें सुधार की संभावना के बिंदुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है। जिसकी वजह से उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। उसे व अन्य को सजा देने के बारे में अदालत ने अपने फैसले में समाज के सामूहिक अंतःकरण और जनता की राय को आधार बनाया है। याचिका में इस फैसले को कानून की नजर में गलत बताते हुए कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने अपने बाद के फैसलों में निश्चित ही कानून में बदलाव करके उसके जैसी स्थिति के अनेक दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले में शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के बाद इसके तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बलात्कार और हत्या से संबंधित 17 मामलों में दोषियों की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील की है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ही इस मामले के चारों दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को 22 जनवरी की सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में मौत होने तक फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए आवश्यक वारंट जारी किए थे। दक्षिण दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में छह लोगों ने निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी करके मरने के लिए बाहर फेंक दिया था।

बांग्लादेशी समूह का भारतीय सीमा चौकियों पर हमला

पेज 1 का बाकी

इस वारदात में घायल हो गए। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, पश्चिम जयंतिया हिल्स के अमदोह और रोंगतिला में सीमा चौकियों पर हमले की वारदात हुई है। ये चौकियां भारत-बांग्लादेश सीमा से पांच किलोमीटर दूर है। 10-15 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह ने कथित तौर पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो कर्मियों को रोंगतिला सीमा चौकी (बीओपी) के निकट घेर लिया, उनके हथियार छीन लिए और उनमें से एक को घायल कर दिया।

www.readwhere.com

भोंसले का लोकपाल के सदस्य पद से इस्तीफा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

न्यायमूर्ति डीबी भोंसले ने निजी कारणों का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार-रोधी इकाई लोकपाल के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें नौ महीने पहले इस संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया था। भोंसले ने विस्तृत जानकारी दिए बिना ट्वीट किया-लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से निजी कारणों के चलते छह जनवरी को इस्तीफा दे दिया। यह 12 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भोंसले को लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने 27 मार्च 2019 को पद की शपथ दिलाई थी। लोकपाल सदस्य को पांच साल के कार्यकाल या फिर उसके 70 साल की उम्र का होने तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से संबंध रखने वाले 63 वर्षीय भोंसले बंबई हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए हैदराबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी उन्होंने 15 महीने (2015-2016) तक अपनी सेवाएं दीं। नियमों के अनुसार लोकपाल पैनल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होने का प्रावधान है। इनमें से चार का न्याय तंत्र से होना जरूरी है।

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement.)

GIAN

GIAN LIFE CARE LIMITED

(CIN - U85100UP2018PLC110119)

Our Company was incorporated as a public limited company under the Companies Act, 2013 and registered with the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur, pursuant to a certificate of incorporation dated November 06, 2018. Subsequently, our Company has acquired the entire business of M/s Gian Pathology & X- Ray w.e.f. March 01, 2019 vide the Business Transfer Agreement executed on March 01st, 2019. For further details please refer to chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 94 of the Prospectus.

Registered Office: 7/216 (6) Swaroop Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh- 208002 India
Tel: + 91-0512-2531860; **Email:** info@gianpathlabs.com; **Website:** www.gianpathlabs.com
Contact Person: Ms. Astha Chaturvedi, (Company Secretary & Compliance Officer)

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC ISSUE OF UPTO 14,16,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00/- EACH ("EQUITY SHARES") OF GIAN LIFE CARE LIMITED ("THE COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 22.00/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A PREMUIM OF ₹ 12.00/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING ₹ 311.52 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00/- FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 22.00/- EACH AGGREGATING ₹ 15.84 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 13,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 22.00/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 295.68 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.12% AND 28.59%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE 172 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE PROGRAMME
ISSUE OPENED ON: TUESDAY, DECEMBER 31, 2019
ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, JANUARY 03, 2020

PROPOSED LISTING: JANUARY 13, 2020*

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated September 16, 2019 from BSE Limited ("BSE") for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of BSE beginning on page 159 of the Prospectus. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited. The trading is proposed to be commenced on or about January 13, 2020.

**Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE SME Platform.*

All Applicants were allowed to participate in the Issue either through **APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA")** process by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs") or through UPI Mechanism.

SUBSCRIPTION DETAILS

The issue has received 103 applications for 15,24,000 equity shares resulting in 1.07 times subscription (including reserved portion of Market maker):

The details of applications received in the issue (before technical rejections) are as follows:

Category	No. of applicants	%	No. of Equity shares	%	Subscription (times)*
Market Maker	1	0.97	72,000	4.72	1
Retail Individual Investors	86	83.49	5,16,000	33.86	0.77
Other than retail individual Investors	16	15.54	9,36,000	61.42	1.39
Total	**103**	**100.00**	**15,24,000**	**100.00**	**1.07**

* Subscription times have been computed based on the issue size as per the Prospectus.

The details of applications rejected by the Registrar on technical grounds (including withdrawal) are detailed below:

Category	No. of applicants	No. of Equity shares
Market Maker	Nil	Nil
Retail Individual Investors	4	24,000
Other than retail individual Investors	Nil	Nil
Total	**4**	**24,000**

After eliminating technically rejected applications, the following table gives us category wise net valid applications:

Category	No. of applicants	%	Issue Size	No. of valid shares applied	% of Total Applied	Subscription (times)
Market Maker	1	1.01	72,000	72,000	4.80	1
Retail Individual Investors	82	82.83	6,72,000	4,92,000	32.80	0.73
Other than retail individual Investors	16	16.16	6,72,000	9,36,000	62.40	1.39
Total	**99**	**100.00**	**14,16,000**	**15,00,000**	**100.00**	**1.06**

Allocation: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange - BSE Limited on January 7, 2020.

A. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 22/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1 time. The total number of shares allotted in this category is 72,000 Equity Shares.

The Category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of shares applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to total	Total No. of shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant (before rounding off)	Allocation per Applicant (after rounding off)	Ratio of allottees to applicants: RATIO 1	Ratio of allottees to applicants: RATIO 2	Number of successful applicant (after rounding off)	Total no. of Shares Allocated/ allotted	No. of Shares Surplus/ Deficit
72,000	72,000	100	72,000	100	72,000	72,000	72,000	1:1		1	72,000	0
Grand Total	**72,000**	**100**	**72,000**	**100**	**72,000**	72,000	**72,000**			**1**	**72,000**	**0**

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 22/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 0.73 times. The total number of shares allotted in this category is 4,92,000 Equity Shares to 82 successful applicants.

The Category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of shares applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to total	Total No. of shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant (before rounding off)	Allocation per Applicant (after rounding off)	Ratio of allottees to applicants: RATIO 1	Ratio of allottees to applicants: RATIO 2	Number of successful applicant (after rounding off)	Total no. of Shares Allocated/ allotted	No. of Shares Surplus/ Deficit
6000	82	100	4,92,000	100	6,72,000	8195.12	6000	1	1	82	4,92,000	-180000
Grand Total	**82**	**100**	**4,92,000**	**100**	**6,72,000**					**82**	**4,92,000**	**-180000**

C. Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to the Non Institutional Investors, at the issue price of ₹ 22/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.39 times. The total number of shares allotted in this category is 8,52,000 Equity Shares to 16 successful applicants (after spillover from Retails Category).

The Category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of shares applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to total	Total No. of shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant (before rounding off)	Allocation per Applicant (after rounding off)	Ratio of allottees to applicants: RATIO 1	Ratio of allottees to applicants: RATIO 2	Number of successful applicant (after rounding off)	Total no. of Shares Allocated/ allotted	No. of Shares Surplus/ Deficit
12000	5	31.25	60000	6.41	54615.38	10923.08	6000	1	1	5	30000	-24615.38
12000							6000	4	5	4	24000	24000.00
24000	1	6.25	24000	2.56	21846.15	21846.15	24000	1	1	1	24000	2153.85
30000	1	6.25	30000	3.21	27307.69	27307.69	30000	1	1	1	30000	2692.31
36000	1	6.25	36000	3.85	32769.23	32769.23	30000	1	1	1	30000	-2769.23
42000	1	6.25	42000	4.49	38230.77	38230.77	36000	1	1	1	36000	-2230.77
72000	2	12.50	144000	15.38	131076.92	65538.46	66000	1	1	2	132000	923.08
78000	1	6.25	78000	8.33	71000.00	71000.00	72000	1	1	1	72000	1000.00
90000	2	12.50	180000	19.23	163846.15	81923.08	78000	1	1	2	156000	-7846.15
90000							6000	1	2	1	6000	6000.00
156000	1	6.25	156000	16.67	142000.00	142000.00	144000	1	1	1	144000	2000.00
186000	1	6.25	186000	19.87	169307.69	169307.69	168000	1	1	1	168000	-1307.69
Grand Total	**16**	**100.00**	**936000**	**100.00**	**852000**					**16**	**852000**	**0.00**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on January 08, 2020 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE Limited and has authorized the corporate action for allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The Refund/allotment intimation will be dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories on or about January 10, 2020. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will be processed on or prior to January 09, 2020. In case the same is not received within ten days, investors may contact Registrar at the address given below.

The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on SME Platform of BSE Limited within six working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated December 18, 2019 ("Prospectus").

In terms of Prospectus dated December 18, 2019 and as per Regulation 253 of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to Public shall initially be made available for allotment to a) Retail Individual Investors as the case may be. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to b) individual applicants other than retail investors and other investors including corporate bodies / institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net issue to any one of the categories specified in (a) or (b) shall/may be made available for allocation in any other category, if so required. Explanation: Chapter IX, part VIII (253) of SEBI (ICDR) Regulation, 2018, if the retail individual investor is entitled to more than fifty percent, on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue **Cameo Corporate Services Ltd** at www.cameoindia.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged, UPI details and payment details at the address of the Registrar given below:

CAMEO

CAMEO CORPORATE SERVICES LTD
Subramaniam Building, 1 Club House Road, Chennai 600 002 | **Tel No.:** +91-44-40020700; **Fax No.:** +91-44-2846 0129
E-mail : cameo@cameoindia.com; investor@cameoindia.com | **Website:** www.cameoindia.com;
Contact Person: Mr. R. D. Ramasamy | **SEBI Registration No:** INR000003753

FOR GIAN LIFE CARE LIMITED
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Arun Kumar Gupta
Chairman & Managing Director
DIN: 01331593

Date : January 09, 2020
Place : Kanpur, Uttar Pradesh

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE GIAN LIFE CARE LIMITED.

Raks

(This is only an advertisement for information purpose and not a Prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India)

Vaxtex

VAXTEX COTFAB LIMITED

CIN: U51109GJ2005PLC076930

Our Company was incorporated as "**Foolproof Vyapaar Private Limited**" at Kolkata, West Bengal as a Private company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated December 26, 2005 bearing Corporate Identification Number U51109WB2005PTC106869 issued by Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. Consequent the name of the company was changed from "**Foolproof Vyapaar Private Limited**" to "**VaxtexCotfab Private Limited**" as approved by shareholders of our company pursuant to a special resolution dated December 18, 2015 and Certificate of Incorporation was issued by Registrar of Companies Ahmedabad, Gujarat dated December 30, 2015. Consequent upon the conversion of our Company to public limited company and as approved by the shareholders of our company pursuant to a special resolution dated March 05, 2018, the name of our Company was changed to "**VaxtexCotfab Limited**" and fresh certificate of incorporation dated March 21, 2018 was issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat. The Corporate Identification Number of our Company is U51109GJ2005PLC076930. For details of change in name and address of our Registered Office, see "History and Certain Corporate Matters" on page 129 of this Prospectus.

Registered Office : Survey No. 230, Opp. Mariya Park, B/h. Ranipur Village, Saijpur - Gopal, Narol, Ahmedabad-382405, Gujarat, India.
Contact Person: Mr. Tej Bharatbhai Hanj, Company Secretary and Compliance Officer
Tel No.: 9724496973/9727123004; **Email:** vaxtexcotfab@gmail.com; **Website:** www.vaxtexcotfab.com

PROMOTERS OF THE COMPANY **MR. KHUSHANT GUPTA, MR. MITHLESHKUMAR M AGRAWAL, M/S QMIN PHARMA PRIVATE LIMITED AND M/S MIRACLE STORES PRIVATE LIMITED**

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 15,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH OF VAXTEX COTFAB LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 24/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 14/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS.383.04 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 84,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 24/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 14/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 20.16 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF UPTO 15,12,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 10 EACH AT A PRICE OF RS. 24/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 362.88 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.10% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 229 OF THIS PROSPECTUS.

This issue is being made in terms of chapter IX of the Securities And Exchange Board Of India (Issue Of Capital And Disclosure Requirements) regulations, 2018 (the "SEBI ICDR regulations"), as amended. In terms of rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR"), this issue is being made for at least 25% of the post-issue paid-up equity share capital of our company. This issue is a fixed price issue and allocation in the net issue to the public will be made in terms of regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) regulations, 2018, as amended. In terms of SEBI Circular No. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015, all the potential investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) process for application providing details of the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (SCSBs) for the same. Further, pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 01, 2018, Retail Individual Investors applying in public issue may use either Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making application or also can use UPI (Unified Payment Interface) as a payment mechanism with Application Supported by Blocked Amount for making application. For details in this regards, specific attention are invited to the chapter titled "Issue Procedure" beginning on page 237 of this Prospectus. A copy of Prospectus will be delivered for registration to the Registrar of Companies as required under Section 26 of the Companies Act, 2013.

Risks to Investors:

I. This being the first Public Issue of our Company, there has been no formal market for the securities of our Company. The face value of the shares is Rs.10.00 per Equity Shares and the Issue price is 2.4 times of the face value. The Issue Price (as determined by our Company in consultation with the Lead Manager to Issue) as stated in the chapter titled on "Basis for Issue Price" beginning on page 80 of the Prospectus should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the equity shares of our Company or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

II. As on date of the Prospectus, the average cost of acquisition per Equity Share by our Promoters viz. Mr. Khushant Gupta is ₹0.91, Mr. Mithleshkumar Gupta is ₹ 0.91, M/s Qmin Pharma Private Limited is ₹ 0.09, and M/s Miracle Stores Private Limited is ₹ 0.09

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS RS 10 AND THE ISSUE PRICE IS 2.4 TIMES OF THE FACE VALUE.

ISSUE OPENED ON: FRIDAY, DECEMBER 27, 2019 AND CLOSED ON: FRIDAY, JANUARY 03, 2020

The Equity Shares of our Company issued through the Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited ('NSE EMERGE'), in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval letter dated September 13, 2019 from National Stock Exchange of India Limited for using its name in the Offer document for listing of our shares on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited. For the purpose of this Issue, National Stock Exchange of India Limited shall be the Designated Stock Exchange.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue has received 584 applications for 45,66,000 Equity shares (before rejections, before bids not banked but after Invalid Multiple/Duplicate bids) including Market Maker Application of 84,000 Equity Shares. The issue was subscribed to the extent of 2.86 times as per the application data (before rejections, before bids not banked but after Invalid Multiple/Duplicate bids). After considering the technical rejections cases, the issue was subscribed 2.73 times.

The details of application received (Before Technical Rejection but after bids not banked and application banked but bid not registered)

Sr.No.	Category	Number of Applications Received	Number of Shares applied	Amount (Rs.)
1	Retail Individual Investors	521	31,26,000	7,50,24,000
2	Other Than Retail Individual Applicants	55	13,14,000	3,15,36,000
3	Market Maker	1	84,000	20,16,000
	TOTAL	**577**	**45,24,000**	**10,85,76,000**

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange-National Stock Exchange of India Limited on January 08, 2019.

A. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections) : The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of Rs. 24.00/- per Equity Share, was finalized in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 84,000 Equity shares in full out of reserved portion of 84,000 Equity Shares.

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections) : The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of Rs.24.00/- per Equity Share, was finalized in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The category was subscribed by 2.82 times. Total number of shares allotted in this category is 10,68,000 Equity Shares. The category wise basis of allotment is as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant before Rounding Off	Allocation per Applicant After Rounding Off	Ratio of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	6000	502	100.00	3012000	100.00	1068000	2127.49	6000	89	251	178	100.00	1068000	100.00	

C. Allocation to Non Institutional Investor (After Technical Rejection): The Basis of Allotment to other than Retail Individual Investors, at the issue price of Rs.24.00/- per Equity Share, was finalized in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The category was subscribed by 2.85 times. Total number of shares allotted in this category is 444000 Equity Shares. The category wise basis of allotment is as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant before Rounding Off	Allocation per Applicant After Rounding Off	Ratio of allottees to applicants		Serial Number of Qualifying applicants	Number of successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	12000	9	16.67	108000	8.53	37877	4208.56	6000	2	3		6	11.76	36000	8.11	(1877)
2	18000	14	25.93	252000	19.91	88379	6312.79	6000	1	1		14	27.45	84000	18.92	(4379)
	18000	6000 additional share is allocated for Serial no 2 in the ratio of 1:14							1	14			0.00	6000	1.35	6000
3	24000	15	27.78	360000	28.44	126256	8417.07	6000	1	1		15	29.41	90000	20.27	(36256)
	6000	6000 additional share is allocated for Serial no 3 in the ratio of 2:5							2	5			0.00	36000	8.11	36000
4	30000	12	22.22	360000	28.44	126256	10521.33	6000	1	1		12	23.53	72000	16.22	(54256)
	6000	6000 additional share is allocated for Serial no 4 in the ratio of 3:4							3	4			0.00	54000	12.16	54000
5	36000	1	1.85	36000	2.84	12626	12626	12000	1	1		1	1.96	12000	2.70	(626)
6	42000	1	1.85	42000	3.32	14730	14730	12000	1	1		1	1.96	12000	2.70	(2730)
7	48000	1	1.85	48000	3.79	16834	16834	18000	1	1		1	1.96	18000	4.05	1166
8	60000	1	1.85	60000	4.74	21042	21043	24000	1	1		1	1.96	24000	5.41	2958
GRAND TOTAL		**54**	**100.00**	**1266000**	**100.00**	**444000**						**51**	**100.00**	**444000**	**100.00**	**0**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on January 09, 2020 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange viz. National Stock Exchange of India Limited and authorized corporate action for allotment of shares in dematerialized form to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and/or notices shall be dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories/as filled in the application form on or before January 10, 2020. Further, the instructions to SCSBs have been issued on January 09, 2020 for unblocking of funds. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, Investors may contact the registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited within six working days from the date of the closure of the Issue. The trading is proposed to commence on or before Monday, January 13, 2020 subject to receipt of listing and trading approvals from National Stock Exchange of India Limited.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made will be hosted on the website of the Registrar to the Issue at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar quoting full name of the First/ Sole applicant, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

REGISTRAR OF THE ISSUE
BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1st Floor, Bharat Tin works Building, Opp Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri East (E), Mumbai-400059. **Tel :** 022-62638200, **Fax :** 022-62638299, **Website:** www.bigshareonline.com
E-Mail: ipo@bigshareonline.com, **SEBI Reg. No.:** INR000001385, **Contact Person :** Mr. Swapnil Kale

Place : Ahmedabad
Date : January 09, 2020

For **VAXTEX COTFAB LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Khushant Gupta
Managing Director

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF VAXTEX COTFAB LIMITED.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings as signed to them in the Prospectus.

Garima Advt

www.readwhere.com

सोने में 766 और चांदी में 1,148 रुपए की गिरावट

नई दिल्ली, 9 जनवरी (भाषा)।

रुपया मजबूत होने और कमजोर वैश्विक रुख के बीच गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 766 रुपए गिरकर 40,634 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। सोने की कीमतों में कमजोरी को देखते हुए चांदी की कीमत भी 1,148 रुपए की हानि के साथ 47,932 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। बुधवार को यह भाव 49,080 रुपए रहा था। सोना बुधवार को 41,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज परामर्श प्रमुख (पीसीजी) देवर्ष वकील ने कहा कि अमेरिका और ईरान के गंभीर सैन्य टकराव की स्थिति से एक कदम पीछे हटने के बाद सोने में गिरावट रही और निवेशकों ने वैश्विक शेयर जैसे जोखिम वाली आस्तियों में निवेश किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में कमजोरी का रुख रहा और कारोबार के दौरान इनके भाव 1,546 डॉलर प्रति औंस और 17.93 डॉलर प्रति औंस पर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में कमजोरी और रुपए के मजबूत होने से घरेलू सोने की कीमतें प्रभावित हुईं।

PUBLIC NOTICE

Beas Farms Private Limited

Regd. Office: Khasra No. 310, Village Rajokari, 23, Maulsari Avenue, Westend Greens, New Delhi-38

Notice is hereby given that the certificate(s) for the under mentioned securities of the company have been lost and the holder(s) of the said securities have applied to the Company for issue of Duplicate certificates.

Name of Holders	Kind and Securities and Face Value	Share Certificate No(s)	No. of Securities	Distinctive Nos.
Vidur Bharatram	Equity Shares-Rs 100/-	1-5, 7	999	1-999
Sukanya Bharatram	Equity Shares-Rs 100/-	8	1	1000-1000

Any person having any objection/claim for the aforementioned issue of duplicate share certificate shall lodge the same with the company within 7 days from the issue of this public notice; else the company will proceed to issue duplicate share certificates without further intimation.

For Beas Farms Private Limited
Sd/-
Director

Date: 10/01/2020
Place: New Delhi

इंडियन बैंक Indian Bank

क्षेत्रीय कार्यालय : अपर ग्राउण्ड फ्लोर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली-110001

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार मैसर्स पण्डित कंस्ट्रक्शन (प्रोप. धमेश शर्मा), बंधककर्ता/जमानती श्रीमती रामा शर्मा पत्नी अशोक शर्मा, जमानती श्री अशोक शर्मा पुत्र कृष्ण लाल शर्मा जिसका खाता आईएनडी एमएसएमई शाखा, नई दिल्ली के साथ है, को सूचना में उल्लिखित राशि रु. 40,58,063/- (रुपये चालीस लाख अट्ठावन हजार तिरेसठ मात्र) तथा उस पर 18.07.2019 से पुनर्भुगतान की तिथि तक ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 18.07.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार, बंधककर्ता, जमानती को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में 08 जनवरी, 2020 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 05.01.2020 तक राशि रु. 35,42,360/- तथा इस पर भावी ब्याज, लागतों, प्रभारों एवं व्ययों के लिए इण्डियन बैंक के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति एमपीएल सं. डब्ल्यूजेड-247/3-बी प्लॉट सं. 21, रेक्ट/मुस्तातिल सं. 74 किला सं. 19, 20, 21 का भाग, हस्तसाल, सामने मेट्रो पिलर सं. 655, बी-ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, 05.03.2014 के विक्रय विलेख सं. 4067 के अनुसार तथा सीमाएँ : उत्तर : सर्विस लेन/गली, दक्षिण : नजफगढ़ रोड, पूर्व : प्लॉट सं. 25, पश्चिम : प्लॉट सं. 21-बी।

श्री शंकर सावन्त
अधिकृत प्राधिकारी
(इण्डियन बैंक)

दिनांक : 08.01.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुसूची II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]

एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	16.04.2004
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	सीआईएन: U74999DL2004PLC125846
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	**पंजीकृत कार्यालय** 31 / 3203 बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 **मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी** : डी 2 / ई 18, वेडरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, वेडरा, भरूच–392130 गुजरात
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	07.01.2020
7.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	07.01.2020 (माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच–II द्वारा आदेश सी.पी. 63 / सी–II / एनसी / 2020, सीपी न. (आईबी)–1650 (एनडी) / 2018 से)
8.	परिसमापक का नाम, पता ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण नंबर	**श्री आकाश सिंघल** **पता** : खण्डेलवाल लेन एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जी 6 एवं 9, हल भवन, बीएसजेड लॉर्ड, नई दिल्ली- 110002 **ईमेल** : exclusivefibers.cirp@gmail.com **टेलीफोन** :+91 9868145878, 011- 29370091 **पंजीकृत सं.** : IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
9.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	06.02.2020

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, दिल्ली पीठ, नई दिल्ली–II ने इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 33 के अधीन **07 जनवरी, 2020** को **एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड** के परिसमापन का आदेश दिया है।

एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड के हितधारकों को इसके द्वारा **06 फरवरी 2020** को या उससे पहले सबूतों के साथ अपने दावे परिसमापक के पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसे भी मद संख्या 8 में समुल्लेख किया गया है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए करेंगे। अन्य सभी हितधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

असत्य या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

हस्ता/–
परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर : **आकाश सिंघल**
पंजीकृत सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279

दिनांक : 10.01.2020
स्थान : नई दिल्ली

स्वर्ण ईटीएफ में छह साल बाद बढ़ा निवेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी (भाषा)।

वैश्विक बाजारों में नरमी और शेयर व ऋणपत्र बाजारों में उथल-पुथल की आशंका के बीच 2019 में छह वर्ष बाद निवेशकों ने स्वर्ण ईटीएफ में पैसा लगाया है। निवेशकों ने पिछले साल स्वर्ण ईटीएफ में 16 करोड़ रुपए का निवेश किया।

मॉर्निंगस्टार इंवेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया के वरिष्ठ विश्लेषण प्रबंधक (शोध) हिंमाशु श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले समय में स्वर्ण इटीएफ में निवेश में और तेजी देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पनपे हालिया तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हो सकने वाले जोखिम को देखते हुए निवेशक स्वर्ण ईटीएफ का रुख कर सकते हैं।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2019 में स्वर्ण कोषों द्वारा प्रबंधित संपत्ति साल भर पहले के 4,571 करोड़ रुपए की तुलना में 26 फीसद बढ़ कर 5,768 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। खुदरा निवेशक इक्विटी से बेहतर आय होने के कारण पिछले कुछ साल से स्वर्ण ईटीएफ की तुलना में इक्विटी में अधिक निवेश कर रहे थे।

आंकड़ों के अनुसार, 2019 में निवेशकों ने 14 स्वर्ण ईटीएफ में 16 करोड़ रुपए निवेश किए। इससे पहले उन्होंने 2018 में 571 करोड़ रुपए, 2017 में 730 करोड़ रुपए, 2016 में 942 करोड़ रुपए, 2015 में 891 करोड़ रुपए, 2014 में 1651 करोड़ रुपए और 2013 में 1815 करोड़ रुपए निकाले थे। जबकि इससे पहले 2012 में निवेशकों ने स्वर्ण ईटीएफ में 1826 करोड़ रुपए लगाए थे।

श्रीवास्तव ने कहा कि वैश्विक बाजारों में नरमी की आशंका के चलते हालिया समय में सुरक्षित निवेश के रूप में स्वर्ण ईटीएफ की चमक वापस लौटी है।

Arcil

एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि. (अर्सिल)

मै. बीपीएल डिस्प्ले डिवायसेस लिमिटेड (परिसमापन में) से संबंधित वित्तीय परिसम्पत्तियों के में स्थापित अर्सिल बीपीएल डस्प्ले डिवायसेस लि.-अर्सिल-बीपीएल डिस्प्ले डिवायसेस लि./ट्रस्ट, अर्सिल-एसबीपीएस-021-111-ट्रस्ट, अर्सिल-एसबीपीएस-025-1-ट्रस्ट, अर्सिल एसबीपीएस-027-1-ट्रस्ट, अर्सिल-एसबीपीएस-034-II ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत अर्सिल कार्यालय: द रूबी, 10वाँ तल, 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम) मुम्बई-400 028, वेबसाईट: www.arcil.co.in

शुद्धपत्र

"फाइनांसियल एक्स्प्रैस" एवं "जनसत्ता" एनसीआर संस्करण में 19 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित ई-नीलामी-बीपीएल डिस्प्ले डिवायसेस लिमिटेड (परिसमापन में) के लिये सार्वजनिक सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बीपीएल डिस्प्ले डिवायसेस लिमिटेड (परिसमापन में) की परिसम्पत्तियों की नीलामी जो 10 जनवरी, 2020 को अनुसूचित थी, को अब 20 जनवरी, 2020 को 3 बजे अप. में पुनर्निर्धारित किया गया है एवं तदनुसार बोली जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी, 2020 निर्धारित की गई है।

स्थान : मुम्बई
तिथि : 10 जनवरी, 2020

प्राधिकारी अधिकृत
एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि.

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स नेसा इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स नेसा इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	04-01-2018
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–एनसीएलटी ऑफ दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U01100DL2018PTC327986
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** हाउस नं. 103 खसरा नं. 47 / 22, आकाश विहार नागलोई, काली माता मंदिर के पास, नई दिल्ली–110041
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	25 नवंबर, 2019 (माननीय एनसीएलटी के आदेश दिनांक 25 नवंबर, 2019 की प्रमाणित प्रति, 8 जनवरी, 2020 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	05-07-2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**सुधांशु गुप्ता** **पंजीकरण सं:** IBBI/IPA-002/IP-N00216/2017-18/10668
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	**कार्यालय** :311, अग्रवाल चैंबर –2, प्लॉट नंबर 30, 31, वीर सावरकर ब्लॉक, मेट्रो पिलर नंबर 58 के सामने, शकरपुर, दिल्ली –110092 **ईमेल:** sg_1973@rediffmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	**कार्यालय:** 311, अग्रवाल चैंबर –2, प्लॉट नंबर 30, 31, वीर सावरकर ब्लॉक, मेट्रो पिलर नंबर 58 के सामने, शकरपुर, दिल्ली –110092 **ईमेल:** claims.nesa@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	21-01-2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के प्रतिकूल प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) प्रतिकूल प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है	वेबसाईट: https://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता : 311, अग्रवाल चैंबर –2, प्लॉट नंबर 30, 31, वीर सावरकर ब्लॉक, मेट्रो पिलर नंबर 58 के सामने, शकरपुर, पूर्वी दिल्ली –110092 लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली ने दिनांक **29 नवंबर 2020** को **मैसर्स नेसा इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (माननीय एनसीएलटी के आदेश दिनांक 25 नवंबर, 2019 की प्रमाणित प्रति 8 जनवरी, 2020 को प्राप्त हुई)

मैसर्स नेसा इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **21 जनवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष फार्म आईटर 10 के समक्ष वर्णित फार्म पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारों अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, संबंधित प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि का प्रपत्र सीए (श्रेणी का हलफनामा) में निर्दिष्ट करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
ऋण शोध समाधान प्रोफेशनल का नाम व हस्ताक्षर **सुधांशु गुप्ता**
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00216/2017-18/10668

दिनांक : 08 जनवरी 2020
स्थान : दिल्ली

पश्चिम एशिया में तनाव घटने से सूचकांक में 635 अंकों की तेजी

मुंबई, 9 जनवरी (भाषा)।

सूचकांक 1.55 फीसद उछलकर 41,452.35 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 190.55 अंक या 1.58 फीसद के लाभ के साथ 12,215.90 अंक पर पहुंच गया।

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेतों के बीच बंबई शेयर बाजार में गुरुवार को घटे शेयर मूल्यों पर निवेशकों की लिवाली बढ़ने से सूचकांक में 635 अंक का उछाल दर्ज किया गया। वहीं व्यापक आधार वाला निफ्टी सूचकांक 12,000 अंक से ऊपर निकल गया।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 634.61 अंक या 1.55 फीसद उछलकर 41,452.35 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 190.55 अंक या 1.58 फीसद के लाभ के साथ 12,215.90 अंक पर पहुंच गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति की पेशकश की है। ट्रंप के इस बयान के बाद वैश्विक निवेशकों के साथ ही घरेलू निवेशकों ने भी राहत की सांस ली और घटे भावों पर लिवाली शुरू कर दी। उधर, चीन ने कहा है कि उसके उपप्रधानमंत्री लियू ही अगले सप्ताह वाशिंगटन जाएंगे और अमेरिका-चीन के बीच पहले चरण के अंतरिम व्यापार समझौते पर दस्तखत करेंगे। इस घोषणा से भी बाजार धारणा को बल मिला। सूचकांक की कंपनियों में आईसीआईसीआइ बैंक का शेयर सबसे अधिक 3.80 फीसद चढ़ गया। एसबीआइ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर टीसीएस, एचसीएल टेक, एनटीपीसी और सनफार्मा के शेयर 1.73 फीसद तक नीचे आ गए।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अर्थशास्त्रियों, क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्यमियों के साथ नीति आयोग में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विचार-विमर्श किया और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए लघु और दीर्घावधि दोनों तरह के उपाय करने का वादा किया।

पूंजी 2.25 लाख करोड़ बढ़ी

निवेशकों की पूंजी 2.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,25,554.62 करोड़ बढ़कर 1,57,06,155.38 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि आगामी बजट में वृद्धि को प्रोत्साहन के उपायों व पश्चिम एशिया में तनाव घटने के बाद निवेशकों में उत्साह है। सरकार आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए नीतिगत उपाय करने को तैयार है, जिससे दीर्घावधि में शेयरों को लाभ होगा। नायर ने कहा कि लघु अवधि में बाजार का रुख तीसरी तिमाही के नतीजों से तय होगा। पिछले साल के कमजोर आधार प्रभाव की वजह से कंपनियों के तिमाही नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में 1.55 फीसद तक का लाभ रहा। चीन का शंघाई, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्की और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी भी 2.31 फीसद तक की बढ़त में रहे।

संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म से रिटर्न दाखिल करने की अनुमति

नई दिल्ली, 9 जनवरी (भाषा)।

आयकर विभाग ने अपने एक सप्ताह पुराने आदेश को वापस लेते हुए किसी एक आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-एक (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है।

आयकर विभाग ने तीन जनवरी को संयुक्त स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के व्यक्तिगत करदाताओं और एक साल में एक लाख रुपए का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान दो लाख रुपए खर्च करने वालों पर सरल फार्म के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा कि इस अधिसूचना के बाद यह चिंता जताई जा रही थी कि इन बदलावों से व्यक्तिगत करदाताओं को परेशानी होगी। विभाग ने कहा कि इस मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया कि कोई भी व्यक्ति, जिसके पास किसी आवासीय संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, उन्हें आईटीआर-1 या आईटीआर-4 के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाए।

चंद्रपाल यादव फिर बने कृभको अध्यक्ष

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

राज्यसभा सदस्य व वरिष्ठ सहकारी नेता डाक्टर चंद्रपाल सिंह यादव को कृषक भारती को- आपरेटिव लिमिटेड (कृभको) का गुरुवार को फिर अध्यक्ष चुन लिया गया। कृभको की गुरुवार को हुई विशेष आम बैठक में नौ निदेशकों का निर्वाचन हुआ। इसके बाद पुनर्गठित निदेशक मंडल ने यादव को सर्वसम्मति से अगले पांच साल के लिए कृभको का अध्यक्ष निर्वाचित किया।

यादव जुलाई, 1999 से मई, 2010 और फरवरी, 2015 से लेकर अभी तक कृभको के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही निदेशक मंडल ने सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ नेता वी सुधाकर चौधरी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। एनसीयूआइ परिसर में आयोजित विशेष आम सभा की बैठक में कृभको के निदेशकों में डाक्टर चंद्रपाल सिंह के अलावा डाक्टर सुनील कुमार सिंह, डाक्टर बिजेंदर सिंह, आर राजेंद्रा, परेश भाई पटेल, भंवर सिंह शेखावत और डाक्टर सुधाकर चौधरी का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ। एक निदेशक पद के लिए वाघजीभाई रघुनाथभाई बोड़ा व मगनलाल धनजीभाई वाडविया के बीच मतदान हुआ जिसमें मगनलाल धनजीभाई वाडविया निर्वाचित हुए।

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
विस्की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U72900HR2016FTC072039)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **फ्लैट नं. 311, तीसरी मंजिल, कुतुब प्लाजा, डीएलएफ सिटी, फेस-1, गुड़गांव-122002** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"हरियाणा राज्य"** से **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** में बदलने हेतु बुधवार, **25 सितम्बर, 2019** को पारित किया गया।

जो किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निदेशक विशेषतया प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विघ्न के आधार हो, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **फ्लैट नं. 311, तीसरी मंजिल, कुतुब प्लाजा, डीएलएफ सिटी, फेस-1, गुड़गांव-122002** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **विस्की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
सतीश कुमार खोसला
(निदेशक)
डीआईएन: 01146327

दिनांक: 10 जनवरी 2020
स्थान: गुड़गांव

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
प्लानट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74991DL2006FTC148822)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **105-ए, इंद्रप्रकाश बिल्डिंग 21, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"महाराष्ट्र राज्य"** में बदलने हेतु **20 दिसम्बर, 2019** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निदेशक विशेषतया प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विघ्न के आधार हो, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **105-ए, इंद्रप्रकाश बिल्डिंग 21, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **प्लानट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
भावेश नागिनभाई देसाई
(निदेशक)
डीआईएन: 00017192

दिनांक: 10 जनवरी 2020
स्थान: नई दिल्ली

ईडी ने हरियाणा के एसआरएस समूह की 25 सौ करोड़ की संपत्तियां कुर्क कीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन और धोखाधड़ी के मामले में हरियाणा के एसआरएस समूह की 25 सौ करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी अधिकारियों के मुताबिक एसआरएस समूह, उसके प्रवर्तकों, परिवार के सदस्यों और सहायक कंपनियों की चल और अचल संपत्तियां, मसलन जमीन, रियल एस्टेट परियोजनाएं, वाणिज्यिक परियोजनाएं, आवासीय इकाइयां, सिनेमा हॉल और बैंक में मियादी जमा को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 2,510.82 करोड़ रुपए है। धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत इन संपत्तियों की कुर्की का अस्थायी आदेश जारी किया गया है। समूह और उसके प्रवर्तकों पर आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट इकाइयां मसलन दुकानों, प्लॉट, फ्लैट और अपार्टमेंट में निवेश पर ऊंचे रिटर्न का वादा कर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। हरियाणा (फरीदाबाद) और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में समूह के खिलाफ अलग-अलग आपराधिक मामला दायर किया था।

महावत की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नामंजूर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने हथिनी लक्ष्मी को कथित गैरकानूनी हिरासत से रिहा करने संबंधी उसके महावत की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका गुरुवार को स्वीकार नहीं की। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने अचरज जताया कि एक हथिनी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सनुवाई कैसे की जा सकती है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी पीठ का हिस्सा हैं। पीठ ने पूछा- हथिनी क्या भारत की नागरिक है। याचिका 47 वर्षीय हथिनी के महावत सद्दाम ने दायर की और हथिनी की रिहाई की मांग की। पिछले साल जुलाई में हथिनी लक्ष्मी लापता हो गई थी और उसका पता लगाने के लिए देशभर में अलर्ट जारी किया गया था। दो महीने बाद दिल्ली वन विभाग को हथिनी मिली थी। पिछले साल सितंबर में पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के यमुना पुश्ता क्षेत्र से लक्ष्मी और उसके महावत को हिरासत में लिया था।

एक किमी दायरे में सभी पक्षियों को उतारा मौत के घाट

रायपुर, 9 जनवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक सरकारी मुर्गी फार्म में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद 15 हजार से अधिक पक्षियों को मार दिया गया है। वहीं क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में निगरानी की जा रही है और इस बीमारी से अभी तक किसी भी मनुष्य के प

भारत की रक्षा क्षमताओं को कम नहीं करना चाहता है ट्रंप प्रशासन

वाशिंगटन, 9 जनवरी (भाषा)।

भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को लेकर ट्रंप के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन नहीं चाहता है कि वह कोई ऐसा निर्णय ले जिससे 'उसके बड़े रक्षा सहयोगी' भारत की रक्षा क्षमताओं में गिरावट आए।

दरअसल अधिकारी 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट' (सीएएटीएसए) का हवाला दे रहे थे जिसके तहत रूस से महत्त्वपूर्ण रक्षा खरीदारी प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर संबंधित देश पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

अमेरिका ने इससे पहले कहा था कि वह भारत समेत कई देशों को सीएएटीएसए के तहत संभावित प्रतिबंधात्मक गतिविधियों से बचने और उसकी पहचान करने में मदद कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कई वार्ताओं के बाद भारत और रूस ने अक्तूबर, 2018 में पांच अरब डॉलर के एस-400 वायु रक्षा प्रणाली सौदे पर हस्ताक्षर किया था।

एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की रूस से खरीदारी के निहितार्थ को लेकर पूछे गए सवाल पर अधिकारी ने कहा, 'मैं जानता हूं कि भारत ने वाजिब चिंताएं जाहिर की हैं... वे इसे पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहते हैं...और वे हमारे प्रमुख साझेदार हैं और हम नहीं चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा हो। हम उनकी रक्षा क्षमताओं को कम नहीं करना चाहते हैं।'

अमेरिका ने कहा कि इस तरह की बड़ी खरीददारी सीएएटीएसए प्रतिबंधों के दायरे में आती है और इसके तहत ही तुर्की के खिलाफ कदम उठाया गया था। एस-400 रूस की सबसे आधुनिक लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। सबसे पहले चीन ने 2014 में इस प्रणाली की खरीदारी की थी।

अमेरिका ने सीएएटीएसए पर कहा

एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की रूस से खरीदारी के निहितार्थ को लेकर पूछे गए सवाल पर अधिकारी ने कहा, 'मैं जानता हूं कि भारत ने वाजिब चिंताएं जाहिर की हैं... वे इसे पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहते हैं...और वे हमारे प्रमुख साझेदार हैं और हम नहीं चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा हो। हम उनकी रक्षा क्षमताओं को कम नहीं करना चाहते हैं।'

हैरी-मेगन ने राजपरिवार की भूमिका से खुद को अलग किया

लंदन, 9 जनवरी (एएफपी)।

प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन ने बुधवार को ब्रिटिश राजशाही को चौंकाते हुए खुद को राज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की भूमिका से अलग कर लिया। हैरी ने इस बारे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से कोई कथित रूप से चर्चा नहीं की।

इस चौंकाने वाली घोषणा में दंपति ने कहा कि वह अब अपना समय उत्तर अमेरिका में व्यतीत करेंगे और प्रेस के साथ लंबे समय से स्थापित संबंधों को भी वे समाप्त कर रहे हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स ने अपनी दादी महारानी एलिजाबेथ और पिता प्रिंस चार्ल्स को बताए बिना यह बयान जारी किया ।

बकिंघम पैलेस की ओर से जारी बयान के अनुसार उन्होंने कहा, 'हम शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की भूमिका से हट कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इस दौरान महारानी को हमारा पूरा सहयोग मिलता रहेगा।'

कैन फिन होम्स लिमिटेड
प्रथम तल, डीडीए बिल्डिंग, निकट पारस सिनेमा, नेहरू प्लेस
नई दिल्ली-110019 सीआईएन : L85110KA1987PLC008699
दूरभाष : 7625079108, 011-26435815, 26430236 ई-मेल : delhi@canfinhomes.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना।

एतद्वारा जन सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास निम्नलिखित बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्तियों, जिसका कब्जा कैन फिन होम्स लि., नेहरू प्लेस, नई दिल्ली शाखा के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, की बिक्री से कैन फिन होम्स लि. के श्रीमती आशा सिंह पत्नी सतबीर सिंह एवं श्री सतबीर सिंह पुत्र समय सिंह से 01.12.2017 तक बकाया रु. 19,71,694/- (रुपये उन्नीस लाख इकहत्तर हजार छः सौ चौरानबे मात्र) तथा इस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों की वसूली हेतु 30.01.2020 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 17,85,000/- (रुपये सत्रह लाख पिचासी हजार मात्र) होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 1,78,500 (रुपये एक लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) होगी।

सम्पत्ति का अनुसूची

फ्लैट नं. एस-2, दूसरा मंजिल (फ्रंट साईड, एमआईजी, छत के अधिकार सहित) प्लॉट नं. ए-6/4, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-201102 पर स्थित फ्लैट का 600 वर्ग फीट (55.74 वर्ग मीटर) का विस्तार। पूर्व : प्लॉट नं. ए-6/4-ए, पश्चिम : प्लॉट नं. ए-6/3, उत्तर : 09 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण : स्वास्थ्य केन्द्र

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तें कैन फिन होम्स लि. की आधिकारिक वेबसाइट (www.canfinhomes.com) में उपलब्ध है। कृपया लिंक https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx देखें।

तिथि : 09.01.2020 ह./- अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली कैन फिन होम्स लिमिटेड

सांगल पेपर्स लिमिटेड (CIN: L21015UP1980PLC005138)
पंजी. कार्यालयः ग्राम भैंसा, 22 कि.मी., मेरठ-मवाना रोड, मवाना, मेरठ, उ.प्र.-250401
Phone: 01233-271515, 271137, E-mail: sangalinvestors1980@gmail.com, Website:www.sangalpapers.com

सूचना

कम्पनी द्वारा जारी की गई अधोलिखित शेयर प्रमाणपत्रों के गुम/स्थानच्युत होने की सूचना दी गई है तथा उनके सांविधिक उत्तराधिकारियों/पंजीकृत धारकों ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कम्पनी के पास आवेदन किया है:

फोलियो नं.	शेयरधारक का नाम	शेयर प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट संख्या से	विशिष्ट संख्या तक	शेयरों की सं.
13235	Jai Kishore	8181	1026871	1027030	160
13235	Jai Kishore	10709	629911	630550	640

एतद्द्वारा आम जनता को सतर्क किया जाता है कि उक्त शेयर प्रमाणपत्र का क्रय अथवा किसी भी रूप में व्यवसाय न करें। यदि उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संदर्भ में किसी व्यक्ति का कोई दावा (दावे) हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं की जायेगी तथा कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की कार्रवाई की जायेगी।

सांगल पेपर्स लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
स्थानः मवाना हिमांशु सांगल
तिथिः 09.01.2020 (प्रबंध निदेशक)
(DIN- 00091324)

अमेरिका, ईरान युद्ध की कगार पर पहुंचने से पहले ठिठके

वाशिंगटन, 9 जनवरी (एपी)।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को संकेत दिया कि वह इराक में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब सैन्य तरीके से नहीं देंगे, जिसके बाद दोनों देश युद्ध की स्थिति में पहुंचने से पहले अपने कदम थामते दिखे। ईरान के हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्र में अमेरिकी बल सतर्कता बरत रहे हैं।

वाइट हाउस से अपने संदेश में ट्रंप संकट को कमतर करने के प्रयास करते नजर आए। इससे पहले उन्होंने ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी को मारे जाने की मंजूरी दी थी और विवाद बढ़ने लगा था।

ईरान ने भी रातों रात जवाब देने का प्रयास किया जो 1979 के बाद अमेरिका पर पहला सीधा हमला था। ईरान ने इराक में दो ठिकानों पर एक दर्जन से अधिक मिसाइल दागे। पेंटागन ने बुधवार को कहा कि उसे लगता है कि ईरान ने लोगों को मारने के इरादे से मिसाइल दागे थे।

जनरल सुलेमानी को क्रूर आतंकवादी बताते हुए ट्रंप ने कहा, ईरानी सरकार की ओर से कल रात किए गए हमले में एक भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा है।' उन्होंने कहा, सुलेमानी को हटा कर हमने आतंकवादियों को एक सख्त संदेश दिया है। अगर आप अपने जीवन को महत्व देते हैं तो आप हमारे लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डालेंगे।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के लिए ईरान से 'साथ काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि आइएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को मार गिराना ईरान के लिए 'अच्छा' है।

ईरानी नेताओं और लोगों को सीधा संदेश देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन सभी के साथ शांति के लिए तैयार है, जो शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'ईरान के नेताओं और लोगों के लिए, हम चाहते हैं कि आपका शानदार भविष्य हो जिसके आप हकदार हैं।'

अनुसूची-I
प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]
राधा माधव एक्जिम लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	राधा माधव एक्जिम लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	15.01.2009
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	आरओसी-कानपुर
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51501UP2009 PLC125348
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	सी-30, सेक्टर-63, गौतम बुध नगर, नोएडा, गौतम बुध नगर, उ.प्र.-201301 आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में परिसमापन आरंभ होने की तिथि	6.01.2020
7.	परिसमापक का विवरण	
	नाम	श्री अशोक कुमार वर्मा
	पता	13-बी, 2रा तल, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
	ई मेल	ashokvermafcs@yahoo.com
	टेलीफोन नम्बर	9811127616
	पंजीकरण संख्या	IBBI/IPA-002/IP-N00591/2018-19/11847
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	5.2.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है मै. राधा माधव एक्जिम लिमिटेड ने 06.01.2020 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।
एतद्द्वारा मै. राधा माधव एक्जिम लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 05.02.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।
परिसमापक का नाम तथा हस्ताक्षरः अशोक कुमार वर्मा
तिथिः 08.01.2020
स्थानः नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के समक्ष
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ.ए. नं. 633/19 तिथिः 23.11.2019
केनरा बैंक आवेदक
बनाम
नीतू कुमार एवं अन्य प्रतिवादीगण

सेवा में, प्रतिवादी
2. गायत्री इन्फ्रा प्लानर, प्रा. लि., बी-121, 1ला तल, सेक-02, नोएडा, उ.प्र.-201301, साथ हीः प्लॉट नं. 1 एफ, सेक-16, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम उ.प्र.-203207
3. अनुशा इंजीनियरिंग कन्सल्टैन्ट एंड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
7042, घास मंडी, पहारी धीरज, दिल्ली-06

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 26,24,827/- (रुपए छब्बीस लाख चौबीस हजार आठ सौ सत्ताईस मात्र) की वसूली के लिए आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि **5.2.2020 को 10.30 पूर्वा.** में अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।

अधिकरण के आदेश से,
सेक्शन ऑफीसर, डीआरटी-II, दिल्ली

खाड़ी तनाव पर मुख्य ताकतों के संपर्क में भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

ईरानी सैन्य कमांडर की हवाई हमले में हत्या के बाद अमेरिका-ईरान में तनाव के बीच भारत ने गुरुवार को कहा कि वह चाहेगा कि जितना जल्दी संभव हो खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम हो और इस संबंध में वह खाड़ी क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण शक्तियों के संपर्क में है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'भारत खाड़ी क्षेत्र में स्थिति पर बहुत करीबी नजर रखे हुए हैं।' भारत के विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अपने सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हवाई हमले में मारे जाने के बाद ईरान ने इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया था। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा था कि तनाव कम करने के भारत के किसी प्रयास का वे स्वागत करेंगे। अमेरिका-ईरान तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'भारत चाहेगा कि जितना जल्दी संभव हो खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम हो। हम महत्त्वपूर्ण शक्तियों के संपर्क में हैं।'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'भारत चाहेगा कि जितना जल्दी संभव हो खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम हो।

TENNECO POWERTRAIN फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : [illegible]
E-mail investor.grievance@tenneco.com, Website: www.federalmogulgoetzeindia.net

अंश प्रमाण-पत्र खोने एवं उनके एवज में दूसरे प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में

[illegible]

अंशधारक का नाम	प्रमाण पत्र सं.	विशिष्ट सं. से - तक	अंशों की सं.
श्री मनिक आर शाह	GO1095S21149	6060559-6060608	50
श्री धरम कुमार	0400341	27170124	1

[illegible]

कृते फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
स्थान : नई दिल्ली (डॉ. खालिद इकबाल खान)
तिथि : 09 जनवरी, 2020 पूर्ण-कालिक निदेशक-विधिक एवं कम्पनी सचिव

अंकुर मार्केटिंग लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः डी-9, जंगपुरा एक्स्टेंशन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110014
संयुक्त कार्यालयः 210, रूबी पार्क, कस्बा रथटाला, कोलकाता-700078
CIN: L52110DL1985PLC020054
टेली नं.: 033 7130 0203; ईमेल आइडीः ankurmarketing85@gmail.com
वेबसाइटः www.ankurmarketing.com

फार्म नं. आइएनसी-26
[कंपनीज़ (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुवर्ती]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) के विषय में।

तथा

के विषय में: अंकुर मार्केटिंग लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय **डी-9, जंगपुरा एक्स्टेंशन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली**-110014

याचिकाकर्ता/आवेदक

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा पंजीकृत कार्यालय "केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली" से "पश्चिम बंगाल राज्य" में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 16 **दिसंबर**, 2019 को डाकीय मतपत्र द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली**-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को डिलीवर करें या निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है:

"डी-9, जंगपुरा एक्स्टेंशन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110014"

हिते एवं कृते आवेदक
अंकुर मार्केटिंग लिमिटेड
हस्ता./- दिव्या सिंह
दिनांकः 09.01.2020 कंपनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली सदस्यता सं. 43826

ईरान के जांचकर्ताओं ने कहा, यूक्रेन के विमान ने कभी मदद नहीं मांगी

तेहरान, 9 जनवरी (एपी)।

ईरान की ओर से गुरुवार को जारी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान दुर्घटनाग्रस्त हुए यूक्रेनी विमान ने मदद के लिए कभी रेडियो संदेश नहीं भेजा और जब वह हवाईअड्डा की ओर लौटने की कोशिश कर रहा था तभी विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर गया। विमान दुर्घटना में 176 लोगों की मौत हो गई थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन इंटरनेशन एअरलाइंस द्वारा संचालित बोइंग 737 तेहरान में इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद नीचे गिर गया। ईरान के नागर विमानन संगठन ने हालांकि इस दुर्घटना के बारे में तत्काल कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि की गई कि दोनों 'ब्लैक बॉक्स' जिनमें विमान के आंकड़े और कॉकपिट की जानकारी होती है, बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि वे क्षतिग्रस्त हैं और उनकी कुछ जानकारी नष्ट हो गई है। इसमें बताया गया है कि शुरुआती जांच के अनुसार दुर्घटना का कारण लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव नहीं है।

इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि जांच में सहयोग के लिए उनके देश से जांचकर्ता ईरान पहुंच गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्घटना और जांच को लेकर उनकी ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी से बातचीत करने की योजना है।

जेलेंस्की ने कहा, 'निश्चित रूप से यूक्रेन के लिए प्राथमिकता विमान दुर्घटना के कारण का पता लगाना है। हमलोग निश्चित रूप से सच का पता लगाएंगे।' अधिकारियों ने बताया कि विमान में विभिन्न देशों के 167 यात्री और चालक दल के नौ सदस्य थे जिनमें से 82 ईरानी नागरिक, 63 कनाडाई और 11 यूक्रेन के नागरिक थे।

कनाडा के प्रधानमंडी जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि 138 यात्री कनाडा जाने वाले थे। विमान में एक ही परिवार के चार लोग और नवविवाहित जोड़े भी थे। यात्रियों में कई बच्चे भी और कुछ की उम्र एक या दो साल से भी कम थी।

कनाडा और अमेरिका दोनों ने विमान हादसे की पूर्ण जांच की मांग की है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
पंजाबी बाग शाखा
1/52, नॉर्थ एवेन्यू रोड, पंजाबी, नई दिल्ली-110026
दूरभाष : 011-25223019, 25223958 ई-मेल : iob0687@iob.in

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन ओवरसीज बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों श्री आदित्य शंकर एवं श्रीमती शालिनी (इसके बाद 'कर्जदार' कहा जायेगा), सभी निवासी 168, द्वितीय तल, ब्लॉक-बी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को 07.09.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 39,07,981/- (रुपये उनतालीस लाख सात हजार नौ सौ इक्यासी मात्र) तथा वसूली की तिथि तक अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं बकाये, प्रभारों आदि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 07.09.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

(1) कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में 9 जनवरी, 2020 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

(2) विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 07.09.2019 तक राशि रु. 39,07,981/- (रुपये उनतालीस लाख सात हजार नौ सौ इक्यासी मात्र) तथा माँग सूचना में उल्लिखित उपर्युक्त तिथि से माँग सूचना के निर्गमन के पश्चात पुनर्भुगतान की राशि, यदि कोई हो, घटाकर उसके भुगतान की तिथि तक के सहमत अनुबन्ध दरों पर ब्याज तथा बकायों, प्रभारों आदि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभार का विषय होगा। कब्जा करने की तिथि तक बकाया देय रु. 39,99,794/- (रुपये उनतालीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ चौरानबे मात्र) है जो भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा बकायों, प्रभारों आदि सहित देय है।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय सम्पत्ति सं. 168, द्वितीय तल, ब्लॉक-बी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110075 की सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, प्लिंथ एरिया 52 वर्ग मीटर श्रीमती शालिनी शंकर तथा श्री आदित्य शंकर के स्वामित्व में। सीमाएँ (15.10.2018 के मूल्यांकन के अनुसार) उत्तर : प्रवेश/गली, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति, पूर्व : सम्पत्ति सं. बी-167, पश्चिम : सड़क।

दिनांक : 09.01.2020 (अधिकृत प्राधिकारी)
स्थान : नई दिल्ली इण्डियन ओवरसीज बैंक

DELISTING PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF
IMC FINANCE LIMITED
CIN: L65990MH1982PLC028169
Registered Office: 10, Sarvodaya Ind. Premises Co-Op. Soc. Ltd. Off Mahakali Caves Road, Near Paper Box Andheri (East) Mumbai- 400093, Maharashtra, India.
Tel.: +91 22 – 4075 6565 | **Email:** eswar@imc.net.in
Contact Person: K Degaleeswaran, Company Secretary and Compliance Officer

1. Background

a) This delisting public announcement (**"Delisting Public Announcement"**) is being issued by IMC Finance Limited (the **"Company"**) in respect of the voluntary delisting of the fully paid up equity shares of the Company with a face value of Rs. 10 each (**"Equity Shares"**) from the BSE Limited (**"BSE"**), (referred to as the **"Stock Exchange"**), pursuant to Regulation 21 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (**Delisting of Equity Shares**) Regulations, 2009 (as amended)(**"SEBI Delisting Regulations"**) (**"Delisting Offer"**) made by Dynamic Exports Private Limited (**"Acquirer"**).

b) This Delisting Public Announcement is issued in relation to the following document issued by the Acquirer: (i) the letter of offer dated October 17, 2019 (**"Letter of Offer"**). The Delisting Public Announcement should be read in conjunction with the Letter of Offer.

c) Capitalised terms used but not defined in this Delisting Public Announcement shall have the same meaning assigned to them as in the Letter of Offer.

2. Intimation of Date of Delisting

a) Following the successful closure of the Delisting Offer and in accordance with the SEBI Delisting Regulations, the Company had applied to BSE on December 11, 2019 seeking the final approval for delisting of its Equity Shares from the Stock Exchange.

b) BSE vide its notice number 20200108 -16 dated January 08, 2020 (**"BSE Final Delisting Approval"**), has communicated that Equity Shares of the Company (Scrip Code: 505539) shall be suspended from trading w.e.f. January 15, 2020 (**"BSE Date of Discontinuance of Trading"**) and the above referred security symbol will be delisted from BSE with effect from January 22, 2020 (**"BSE Date of Delisting"**).

OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING

In accordance with Regulation 21 of the Delisting Regulations, the Acquirer hereby provide an exit opportunity to the remaining public shareholders of the Company who did not or were not able to participate in the Delisting offer or who unsuccessfully tendered their Equity Shares in the Delisting Offer and are currently holding Equity Shares in the Company (**"Residual Public Shareholders"**), to tender their Equity Shares for a period of one year from the Date of Delisting. Residual Public Shareholders can tender their Equity Shares to the Acquirer at the Exit Price of ₹ 41/- per Equity Shares at any time from **January 23, 2020 till January 22, 2021** (both days inclusive) (the **"Exit Window"**). The exit letter of offer along with application forms (**"Exit Letter of Offer"**) in this regard shall be dispatched by the Acquirer to the Residual Public Shareholders whose name appears in the register of members of the Company as on January 21, 2020. In the event of the Residual Public Shareholders not receiving or misplacing the Exit Letter of Offer, they may obtain a copy of the Exit Letter by writing to the Registrar to the Delisting Offer, Universal Capital Securities Private Limited, at 21/25 Shakil Niwas, Opp Satya Saibaba Temple, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India, clearly marking the envelope **"IMC FINANCE LIMITED DELISTING- EXIT LETTER OF OFFER"**.

For and on behalf of the Board of Directors
IMC Finance Limited
Sd/-
Place: Mumbai K Degaleeswaran
Date: January 09, 2020 Company Secretary and Compliance Officer

पाक ने जनरल बाजवा का कार्यकाल पर विधेयक बिना चर्चा के पारित किया

वाशिंगटन, 9 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख के रूप में जनरल कमर बाजवा को तीन साल का विस्तार देने वाले विधेयकों को संसद से बिना किसी चर्चा के जल्दबाजी में पारित करवाया गया। असंतुष्ट पाकिस्तानियों के एक समूह ने इसकी जानकारी दी है ।

जियो न्यूज के मुताबिक सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा कर 64 वर्ष करने संबंधी विधेयकों को छोटे दलों के विरोध के बावजूद उच्च सदन अथवा सीनेट से पारित करवा लिया गया।

पूर्व पत्रकारों एवं राजनयिकों के समूह 'साथ' ने एक वक्तव्य में कहा, 'इस चर्चा के बिना कि इस तरह के कानून की जरूरत है भी या नहीं, विधेयकों को पारित करवा लिया गया। इसमें पाकिस्तान में लोकतंत्र के भविष्य पर इस तरह के कदम से पड़ने वाले असर के बारे में भी विचार नहीं किया गया।' डॉन के मुताबिक सीनेट के अध्यक्ष सादिक सांजरानी ने विधेयक पारित होते ही सत्र स्थगित कर दिया। सीनेट का सत्र महज 20 मिनट चला।

वक्तव्य में कहा गया, 'इतिहास में दर्ज है कि अपनी शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुखों ने पाकिस्तान में बार-बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित है।'

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank
संजय कॉलोनी, सेक्टर-22, फरीदाबाद, दुकान नं. 236, जीवन नगर पार्ट-I, सामने प्राचीन हनुमान मन्दिर सोहना पाली रोड, सेक्टर-22, फरीदाबाद, हरियाणा-121005
ई-मेल : br.9260@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [अधिनियम के तहत परिशिष्ट-IV, नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार(रों) से निम्नलिखित तिथियों पर सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/सम्पत्ति के स्वामी द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के सा

एसएसपी वैभव कृष्ण गौतम मामले में अहम सवाल

वीडियो चैट करने वाली युवती कौन?

- वैभव कृष्ण की एक साल की तैनाती के दौरान आम लोगों को दिखा बदलाव
- भ्रष्टाचारियों पर सख्ती और अपराधियों पर नकेल कसने से विरोधी खेमे में थी बेचैनी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 जनवरी।

सात जनवरी 2019 को वैभव कृष्ण गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी बने थे। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और अपराधियों पर गैंगस्टर आदि लगाने समेत कुशल पुलिस प्रशासक के रूप में लोगों के बीच उनकी छवि है। वहीं, जिस युवती के साथ चैट का वीडियो वायरल होने के चलते उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस महकमा घिर गया है, उस युवती के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि वीडियो वायरल करने की जांच कर रहे हापुड़ एसपी इसकी तह तक जाएंगे। जिसके बाद वीडियो वायरल करने वालों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जा सकेगा।

एक जनवरी को एससपी वैभव कृष्ण के तीन वीडियो वायरल हुए। जिसे देखते ही एसएसपी ने उसे फर्जी और छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए पत्रकार वार्ता कर थाना सेक्टर- 20 में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच आईजी मेरठ आलोक सिंह ने हापुड़ एसपी को सौंपी है। हालांकि वीडियो को जांच के लिए गुजरात की फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया। जहां उसे छेड़छाड़ रहित सही पाया गया। उसके बाद के घटनाक्रम में शासन स्तर पर उप्र के 14 एसएसपी के तबादले और गौतम बुद्ध नगर एसएसपी को निलंबित कर दिया गया। लेकिन अहम सवाल कि वीडियो चैट में वह युवती कौन है? जिससे एसएसपी वैभव कृष्ण बातचीत करते हुए अमर्यादित हरकत करते दिख रहे हैं।

गौतम बुद्ध नगर एसएसपी के रूप में तैनाती के बाद पहला शिकार पुलिस लाइन में तैनात शास्त्र मोहरर्र बना। जो पैसे लेकर शस्त्र लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग करा रहा था। उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद थाना सेक्टर-20 प्रभारी मनोज पंत पर पिछले वर्ष जनवरी माह में गाज गिराई। इसके बाद जिले में सक्रिय गैंगस्टर सुंदर भाटी, रणदीप भाटी और अनिल दुजाना गिरोह के अलावा बिल्डरों पर उनकी नजर टिकी। एक-एक कर उन्होंने गिरफ्तार कर जेल भेजना शुरू किया। होमगार्ड हाजिरी घोटाला में पांच बड़े अधिकारियों और फायर में एनओसी के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में एफएसओ की गिरफ्तारी के बाद उनका तबादला कराने की कोशिशे हुई लेकिन अच्छी छवि के चलते उन्हें यहीं तैनात रखा गया। अगस्त 2019 में कथित मीडिया कर्मी चंदन राय व तीन अन्य पत्रकारों पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर विरोधियों को एक जुट करने का रास्ता दिखा दिया। वहीं, दिसंबर के आखिरी दिनों में जिले में सक्रिय तीनों अपराध सरगना समेत उनके 127 सदस्यों पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी। इससे इन गिरोह के संरक्षणदाता अधिकारी व राजनेता बैचेन हो उठे। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ही सब विरोधी एक हो गए और विडियो वायरल कर चरित्र हनन का दांव चल दिया।

आंदोलन जयपुर के नींदड़ गांव में अपनी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ गुरुवार को जमीन समाधि सत्याग्रह करता एक किसान।

पूर्व न्यायाधीश भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की अदालत में पेश

सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे मामले के फैसले को प्रभावित करने का आरोप

नई दिल्ली, 9 जनवरी (भाषा)।

ओड़ीशा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (अवकाशप्राप्त) आइएम कुदुसी गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई किए जा रहे एक मामले में फैसले को प्रभावित करने का आरोप है। कुदुसी और अन्य सह-अभियुक्त विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिसोदिया के समक्ष पेश हुए। वे अदालत द्वारा पहले जारी किए गए समन का पालन करते हुए उपस्थित हुए।

संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों को आरोपपत्र के साथ अन्य दस्तावेज सौंपे। आरोपियों को ये दस्तावेज हार्ड कॉपी के साथ-साथ सीडी में भी दिए गए। सीबीआई ने आगे कहा कि मामले में कोई और जांच लंबित नहीं है और तदनुसार सुनवाई हो सकती है।मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। कुदुसी के अलावा अन्य आरोपी बीपी यादव, पलाश यादव, विश्वनाथ अग्रवाल, रामदेव सारस्वत, भावना पांडे और सुधीर गिरि अदालत में पेश हुए।कुदुसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि आरोपपत्र निराधार है और अदालत में टिक नहीं पाएगा क्योंकि इसमें कोई लोक सेवक शामिल नहीं है। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद 26 नवंबर को आरोपी को तलब किया था। सीबीआइ ने सभी सात लोगों पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश हो सकते हैं केंद्रीय गृह सचिव व दिल्ली पुलिस आयुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक 13 जनवरी को गृह मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित होकर दिल्ली में बढ़ते अपराध विषय पर प्रस्तुति दे सकते हैं। राज्यसभा सचिवालय की बैठक के एजंडा संबंधी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर गृह सचिव के साथ दिल्ली पुलिस एवं अन्य पक्षकार/ संगठन प्रस्तुति देंगे। स्थायी समिति की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा कर रहे हैं। प्रस्तुति के दौरान भल्ला व पटनायक से जेएनयू प्रकरण व संपत्ति को नुकसान के बारे में भी पूछा जा सकता है। जेएनयू में हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे।

किसानों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी

जयपुर, 9 जनवरी (भाषा)।

जयपुर के पास नींदड़ गांव में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का 'जमीन समाधि सत्याग्रह' आंदोलन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा।

राजधानी जयपुर शहर के बाहरी क्षेत्र स्थित नींदड़ गांव के किसान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के एवज में संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजा देने की मांग को लेकर 'जमीन समाधि सत्याग्रह' आंदोलन कर रहे हैं। 'नींदड़ बचाओ' किसान संघर्ष समिति के नेता नागेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि उनके जमीन समाधि सत्याग्रह का गुरुवार को तीसरा दिन है और तीसरे दिन उनके पांच साथी जमीन समाधि सत्याग्रह में हैं। इस समाधि के दौरान एक साथी की तबीयत भी खराब हो गई। उन्होंने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त मनीष फौजदार ने गुरुवार को उनसे बातचीत की और उन्हें समस्त मांगों से अवगत करा दिया गया। उन्होंने मांगों का जवाब देने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है। उनके जवाब का इंतजार है, लेकिन इस दौरान आंदोलन इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा।

सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर अधिकारी निलंबित

बालोद, 9 जनवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जिला प्रशासन ने नगर पंचायत के अधिकारी को निलंबित कर दिया है। बालोद जिले के अधिकारियों ने बताया कि जिले के डौंडी लोहारा नगर पंचायत के उप अभियंता कृपाराम बर्मन को कलेक्टर रानू साहू ने निलंबित कर दिया है। बर्मन पर आरोप है कि उन्होंने एक वाट्सएप ग्रुप में गांधी से संबंधित समाचार की पेपर कटिंग साझा की और उस पर अपना कमेंट भी किया।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि कृपाराम बर्मन ने अपने वाट्सअप एकाउंट से नेताओं के खिलाफ विपरीत टिप्पणी की है जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियमों के विपरीत है।

नागरिकता पाने योग्य शरणार्थियों की सही संख्या पता नहीं : रेड्डी

हैदराबाद, 9 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नागरिकता पाने योग्य शरणार्थियों की सटीक संख्या ज्ञात करने लायक डेटा अभी तैयार होना बाकी है। उन्होंने कहा कि डेटा अभी तक तैयार नहीं हो पाया है और केंद्र सरकार पूर्वोत्तर समेत विभिन्न राज्य सरकारों से इस संबंध में बातचीत करेगी। उन्होंने कहा, 'नागरिकता के लिए योग्य व्यक्तियों की पूरी संख्या अभी नहीं मिल पाई है। कानून के तहत नियम बनाने के बाद डेटा और आवेदन की संख्या तैयार की जाएगी। योग्यता रखने वालों की संख्या कोलकाता, पश्चिम बंगाल और असम में अधिक है।' सीएए के तहत योग्य व्यक्तियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर 'प्रेस से मुलाकात' कार्यक्रम में रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि अभी तक मेरे पास सटीक संख्या नहीं है। वह पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो राज्य सरकारें सीएए का विरोध कर रही हैं वे कानून के तथ्यों को स्वीकार करेंगी। रेड्डी ने कहा, 'हम राज्यों में प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे और उन्हें समझाएंगे। कानून को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है।' उन्होंने कहा कि सीएए किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और कोई भारतीय नागरिक इससे प्रभावित नहीं होगा।

सीएए पर संगोष्ठियां करेगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

पहली संगोष्ठी लखनऊ में 10 जनवरी को होगी। दूसरी 12 जनवरी को कानपुर में, तीसरी 12 जनवरी को जौनपुर में, चौथी 13 जनवरी को गोरखपुर में, पांचवीं 14 जनवरी को मेरठ में और छठी 15 जनवरी को मथुरा में होगी।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में मुसलिम समुदाय की 'गलतफहमी और डर' दूर करने के लिए शुक्रवार से उत्तर प्रदेश व देश के कई अन्य हिस्सों में संगोष्ठियां आयोजित करने का निर्णय लिया है।

आयोग के अध्यक्ष सैयद गयूरुल हसन रिजवी के अनुसार उत्तर प्रदेश के छह शहरों और पश्चिम बंगाल, हैदराबाद व मंगलुरु में प्रस्तावित इन संगोष्ठियों में इमामों, उलेमा व मुसलिम समाज के बुद्धिजीवियों को मुख्य रूप से न्योता दिया जाएगा। इस दौरान सभी के साथ सीएए पर संवाद होगा।

दूसरी तरफ देश के कुछ प्रमुख मुसलिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने आयोग की इस पहल पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ का कहना है कि अगर संवाद सकारात्मक होता है तो वह बिल्कुल सही है जबकि आल इंडिया मुसलिम मजलिस-ए-मुशावरत ने इसे निरर्थक पहल करार दिया है। रिजवी ने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश में छह जगहों पर सीएए के समर्थन में संगोष्ठियों का आयोजन करने जा रहा है। पहली संगोष्ठी लखनऊ में 10 जनवरी को होगी। दूसरी 12 जनवरी को कानपुर में, तीसरी 12 जनवरी को जौनपुर में, चौथी 13 जनवरी को गोरखपुर में, पांचवीं 14 जनवरी को मेरठ में और छठी 15 जनवरी को मथुरा में होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को छह क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में एक-एक संगोष्ठी करेंगे।

हमारी कोशिश होगी इनमें राज्य के सभी जिलों से लोग शामिल हों। पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, मंगलुरु में भी इसी महीने कार्यक्रम होना है। लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। हमारी कोशिश है कि संगोष्ठी वहां करें जहां मुसलमान आबादी अधिक है। मुसलमानों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि सीएए किसी की नागरिकता लेता नहीं, बल्कि नागरिकता देता है।

मुसलमानों में नागरिकता जाने का भ्रम फैल गया है और कुछ लोगों ने डर भी पैदा किया है। हमारी कोशिश है कि गलतफहमी और डर दूर हो। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। वहां गलतफहमी के कारण ज्यादा हिंसा हो गई। एक कारण यह भी है कि हम वहां ज्यादा संगोष्ठियां कर रहे हैं। इन संगोष्ठियों में सिर्फ सीएए पर बात होगी। एनआरसी और एनपीआर पर कोई बात नहीं होगी।

आयोग की इस पहल के बारे में पूछे जाने पर आल इंडिया मुसलिम पर्सनल ला बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा कि अगर कोई सकारात्मक संवाद होता है तो सही है। संवाद होना चाहिए। अगर वे हमें बुलाते हैं तो हम जाएंगे और अपनी बात मजबूती से रखेंगे। दूसरी तरफ मुशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद ने कहा कि मुझे यह निरर्थक लगता है। सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की जानें गईं। उस पर आयोग की खामोशी से मुझे सख्त ऐतराज है। अगर हमें आमंत्रित किया जाता है तो हम बैठक के एजंडे के मुताबिक उसमें जाने या नहीं जाने का निर्णय करेंगे। सीएए और एनआरसी को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है।

अरुणाचल में बंद पड़े हैं 311 स्कूल : मंत्री

ईटानगर, 9 जनवरी (भाषा)। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि किसी बच्चे का दाखिला नहीं होने के कारण राज्य के 311 स्कूल बंद पड़े हैं। तेदिर ने वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य नबाम तुकी के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि इन स्कूलों में से अधिकतर सूदूर इलाकों में स्थित हैं और वहां सुविधाओं की कमी और लोगों के नगरों की ओर पलायन के कारण कोई नामांकन नहीं हुआ है। मंत्री ने स्कूल शिक्षा संबंधी एकीकृत जिला सूचना के आधार पर कहा कि प्रदेश में कुल 1300 प्राथमिक, करीब 300 माध्यमिक और 68 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।राज्य सरकार अपनी योजना के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। पिछले साल तेदिर ने कहा था कि उनका विभाग खराब स्कूलों को बंद कर सुचारु रुप से चल रहे स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपों का सामना कर रहे डीआइजी निलंबित

मुंबई, 9 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी भगोड़े पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआइजी) निशिकांत मोरे को गुरुवार को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया। यह जानकारी गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी। उप महानिरीक्षक (मोटर वाहन) के तौर पर तैनात मोरे के खिलाफ कार्रवाई उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज होने के दो हफ्ते बाद आया है। निकटवर्ती नवी मुंबई के तालोजा पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था।

देशमुख ने कहा कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। डीजीपी ने वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। डीआइजी अभी फरार चल रहे हैं। नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ की कथित घटना तालोजा में जून 2019 को 17 वर्षीय लड़की के घर पर उसके जन्मदिन की पार्टी में हुई।

आइपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला हालांकि 26 दिसंबर को दर्ज किया गया। लड़की के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पुलिस अधिकारी और पीड़िता के पिता दोस्त थे।

चुनाव के बैनर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जनवरी।

चुनाव के दौरान बैनर और होर्डिंग आदि में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ डब्लू एडविन की अपील पर ये नोटिस जारी किए। पीठ ने पर्यावरण व वन मंत्रालय और निर्वाचन आयोग को चार हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस याचिका में कहा गया है कि हरित अधिकरण ने चुनावों में पीवीसी बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी आदेश नहीं दिया है जबकि यह बड़ी समस्या है। अधिकरण ने निर्वाचन आयोग और सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को आदेश दिया था कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ जारी परामर्श पर प्रभावी तरीके से अमल सुनिश्चित किया जाए।

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
दिलशाद गार्डन शाखा, एफ-9, न्यू सीमा पुरी रोड, दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली -110095

कब्जा सूचना
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नं. 3) बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार मैसर्स प्रताप इलेक्ट्रिकल्स, प्रोपराइटर – श्री शिव बहादुर सिंह को मांग सूचना दिनांकित 06.07.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 21,16,062.78 (रुपये इक्कीस लाख सोलह लाख बासठ और पैसे अडहत्तर मात्र) दिनांक 06.07.2019 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर (श्री सुशील दोब्रियाल) राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2020 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, दिलशाद गार्डन शाखा, दिल्ली के प्रभार वास्ते रु. 21,16,062.78 (रुपये इक्कीस लाख सोलह लाख बासठ और पैसे अडहत्तर मात्र) दिनांक 06.07.2019 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. IND-411 चौथा तल, ग्रुप हाउसिंग स्कीम 'पर्श्वनाथ गार्डनिया', प्लॉट नं. ई-8-बी, सैक्टर-61, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. में पंजीकृत, विस्तारित 1429 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री बहादुर सिंह के नाम पर है। सरफासी अधिनियम 2002 के तहत, चौहद्दी : उत्तर में – टेरेस एरिया, दक्षिण में – फ्लैट नं. 410, पूरब में – फ्लैट नं. 102, पश्चिम में – नीचे पार्किंग स्पेस

दिनांक : 07-01-2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

आगरा विकास प्राधिकरण
जयपुर हाऊस, आगरा

निविदा सूचना संख्या:-22/2019-20 — दिनांक: 09/01/2020

ई-निविदा सूचना

Request for Proposal (RFP) for
Revenue sharing arrangement in outsourcing of operation & maintenance and running of Battery Bus & Low Floor Shuttles (Golf Carts) at Taj Mahal for tourist commutation.

Cost of Tender	Earnest Money	Security Money
Rs. 1120.00 with GST	Rs. 2.00 Lac	Rs. 50.00 Lakh

Date of Pre-Bid Meeting : 22.01.2020
Date of opening of Technical Bid : 05.02.2020
Date of Downloading/uploading of bid document : 14.01.2020 to 04.02.2020
Date of Financial Bid : To be intimated later.

- R.F.P. is invited through E-portal **www.etender.up.nic.in**
- The detailed terms & condition will be available on ADA website www.adaagra.in

मुख्य अभियंता

Government of Jharkhand
Urban Development And Housing Department
Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad

e-Procurement Tender Notice No. DMC/73/2019-20
Reference No. : DMC/73/2019-20 — Date : 09.01.2020

क्रम सं0	Tender Reference Number	वार्ड सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति का अवधि
1	DMC/73/01/ 2019-20	47	वार्ड सं0 47 में पथ एवं नाली निर्माण।	400.00	2 % of BOQ	10000.00	छः माह
2	DMC/73/02 /2019-20	41	वार्ड सं0 41 में पथ एवं नाली निर्माण।	300.00	2 % of BOQ	10000.00	छः माह
3	DMC/73/03/ 2019-20	50	वार्ड सं0 50 में पथ एवं नाली निर्माण।	300.00	2 % of BOQ	10000.00	छः माह
4	DMC/73/04/ 2019-20	20	वार्ड सं0 20 में पथ एवं नाली निर्माण।	200.00	2 % of BOQ	10000.00	छः माह
5	DMC/73/05/ 2019-20	46	वार्ड सं0 46 में पथ एवं नाली निर्माण।	300.00	2 % of BOQ	10000.00	छः माह
6	DMC/73/06/ 2019-20		कतरास शहर में पथ निर्माण।	300.00	2 % of BOQ	10000.00	छः माह
7	DMC/73/07/ 2019-20	29	वार्ड सं0 29 में पथ एवं नाली निर्माण।	400.00	2 % of BOQ	10000.00	छः माह
8	DMC/73/08/ 2019-20		लिलोरी स्थान पहुँच पथ का निर्माण।	400.00	2 % of BOQ	10000.00	छः माह
9	DMC/73/09/ 2019-20	52	वार्ड सं0 52 में पथ एवं नाली निर्माण।	300.00	2 % of BOQ	10000.00	छः माह
10	DMC/73/10/ 2019-20	03	वार्ड सं0 03 में कतरास में पथ का नवीकरण कार्य।	52.50	2 % of BOQ	10000.00	छः माह
11	DMC/73/11/ 2019-20		झरिया अंचल वार्ड सं0 44, 43, 36 एवं 45 में पथ का मजबुती करण कार्य।	900.00	2 % of BOQ	25000.00	बरह माह

Date of Publication of Tender on website :- **16.01.2020 At 03.00 PM**
Online Last Date / Time for receiving of bids :- **03.02.2020 (Online) till 03:00 PM**
Date of Receiving Hard Copy of Earnest Money & Cost of Tender Upto **03.02.2020, 03:00 PM** Dhanbad Municipal Corporation, LUBY Circular Road, MADA Building, Dhanbad
Date of Bid Opening :- **04.02.2020 at 03:00 PM** (Online)

NOTE:- (i) Only e-Tenders will be accepted. Further details can be seen on website http://www.jharkhandtenders.gov.in.
Further details can be seen on website
(ii) Contractor should be registered in appropriate class as per NIT
(iii) Estimated Cost / Quantity May Vary

S/d-
Executive Engineer,
Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad

P.R.223601 Urban Development(19-20):D

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
बैंक ऑफ इंडिया I-1801, चितरंजन पार्क नई दिल्ली-110019, फोन नं. 26273727

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) **बैंक ऑफ इंडिया**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत **कर्जदार मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कम्पनी (प्रोप. श्री रविन्द्र यादव)** एफ -190, डेल्टा-1, ग्रेटर नोएडा (यूपी) – 201308 और गारंटर श्री सोम पाल सिंह, जे-9-73, बुद्ध विहार, नई दिल्ली – 110041 को एक मांग सूचना दिनांकित **01-10-2019** को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **5,06,904.00 (रुपये पाँच लाख छः हजार नौ सौ चार मात्र)** दिनांक 01.10.2019 तक भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **06.01.2020** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, चितरंजन पार्क शाखा, I-1801, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019** के प्रभार वास्ते रु. **5,06,904.00 (रुपये पाँच लाख छः हजार नौ सौ चार मात्र)** दिनांक 01.10.2019 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित **के अधीन होगा।**

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सायिम्क बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. एफ-190, सैक्टर डेल्टा-1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (यू.पी) – 201308 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रविन्द्र नाथ यादव (कर्जदार) के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर – पश्चिम में – पश्चिम में – प्लॉट नं. 209, दक्षिण-पूरब में – 12मी. चौडा रोड, उत्तर – पूरब में – प्लॉट नं. 191, दक्षिण-पश्चिम में –प्लॉट नं. 189

दिनांक : 06.01.2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप

क्वार्टर फाइनल में सिंधू और साइना

कुआलालंपुर, 9 जनवरी (भाषा)।

विश्व चैंपियन पीवी सिंधू और साइना नेहवाल ने गुरुवार को मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। छठी वरीयता प्राप्त सिंधू ने जापान की अया ओहोरी पर महज 34 मिनट तक चले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-10, 21-15 से जीत हासिल की। यह ओहोरी पर सिंधू की लगातार नौंवी जीत है।

पिछले साल बासेल में विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली 24 वर्षीय सिंधू अब क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर एक चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताई जु यिंग से भिड़ेंगी जिन्होंने सातवीं वरीय दक्षिण कोरियाई सुंग जी हुन को 21-18, 16-21, 21-10 से हराया।

पीवी सिंधू

साइना नेहवाल

लंदन ओलंपिक कांस्य पदकधारी और गैर वरीय साइना ने दक्षिण कोरिया की आन से यंग को 39 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 25-23, 21-12 से शिकस्त देकर अंतिम आठ में जगह बनाई। यह दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी पर साइना की पहली जीत है जिन्होंने पिछले साल फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में इस भारतीय खिलाड़ी को मात दी थी। दो बार की राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन का सामना क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन से होगा।

पिछले साल इंडोनेशिया मास्टर्स जीतने वाली साइना ने बुधवार को शुरुआती दौर में बेल्जियम की लियाने टान को 21-15, 21-17 से पराजित किया था। पुरुष एकल में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई क्योंकि समीर वर्मा और एचएस प्रणय दोनों को दूसरे दौर के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। समीर वर्मा को मलेशिया के ली जि जिया ने 21-19, 22-20 से शिकस्त दी जबकि प्रणय को जापान के शीर्ष वरीय केंटो मोमोटा ने 21-14, 21-16 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

अंचल कार्यालयः विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अंतर्गत 'ई-नीलामी' द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना

EMD प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24-01-2020 सांय 5 बजें तक

नीलामी की तिथि व समय : 27-01-2020 पूर्वाह्न 11-30 से अपराह्न 12-30 बजे तक

ऋणी व जमानतकर्ता को विशेष रूप से व सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित सुरक्षित ऋण प्रदाता बैंक द्वारा बंधक /प्रभारित अचल सम्पत्ति का केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रलक्षित (Constructive)/भौतिक कब्जा लिया गया है। बंधक सम्पत्ति की बिक्री (जो है,जहाँ है,जैसी है एवं जैसी भी स्थिति में है) के आधार पर दिनांक 27-01-2020 को की जायेगी।

लॉट स. (1)	ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का नाम एवं पता (2)	सम्पत्ति का विवरण (3)	कुल देनदारियां / धरोहर राशि का खाता विवरण (4)	आरक्षित मूल्य (रू.) (5) / धरोहर राशि जमा (EMD)	व्यक्ति से सम्पर्क के लिए मोबाईल नं0
(1)	श्रीमती प्रज्ञा प्रवीण पाटिल पत्नी स्वर्गीय श्री प्रवीण पाटिल (नाबालिग बेटे मास्टर कृष्ण और नाबालिग बेटी तनीषा की ओर से) (स्वर्गीय श्री प्रवीण पाटिल के सभी कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी मकान नंबर- ई-29, मौडल्यूडी कॉलोनी, डॉ संतोष सिंह के सामने, सिविल लाइंस, बदायूं	आवासीय मकान स्थित ग्राम नाऊ बुजुर्ग, परगना और जिला बदायूं, श्री प्रवीण पाटिल पुत्र श्री किशन राव पाटिल के नाम पर क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर। सीमाएं- पूर्व: रोड 12' चौडी, पश्चिम: खेत आफताब, उत्तर: जमुना देवी का प्लाट, दक्षिण: नाथू और अन्य के प्लॉट	रू 1204061.75 + ब्याज एवं अन्य खर्च 23.07.2017 से A/c No.48822960000001 IFSC : CNRB0004882	रू 800000.00 रू 80000.00	प्रबंधक केनरा बैंक, बदायूं, शाखा (फोन: 05832-220297 मो0 संख्या 9634963734)
(2)	1. मैसर्स रजा ट्रेडर्स (प्रो. श्री मौ. गुलफाम) ग्राम मेवाजात सहसपुर जिला बिजनौर 2. श्री मौ. गुलफाम पुत्र श्री दिलजान, मकान नं.-39 ग्राम मेवाजात सहसपुर जिला बिजनौर	वाणिज्यिक संपत्ति (दुकान) ग्राम मेवाजात, सहसपुर जिला बिजनौर श्री गुलफाम पुत्र श्री दिलजान के नाम पर, क्षेत्रफल 126.80 वर्गमीटर। सीमाएं:-पूर्व रास्ता 13 फिट चौडा, पश्चिम: आराजी राम कुमार धोबी, उत्तर: रास्ता (खड़ंजा), दक्षिण:मेवाजात रोड	रू 1128291.50 + ब्याज एवं अन्य खर्च 01.01.2019 से A/c No. 2930296000001 IFSC Code: CNRB0002930	रू 1120000.00 रू 112000.00	प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा फोन: 01344-278078 मो0 संख्या 9058455945
(3)	1. मैसर्स इंशा गारमेंट्स (प्रो. श्री फिरोज अहमद) नई बस्ती कांठ, तहसील-कांठ जिला मुरादाबाद 2. श्रीमती चंचल रानी पत्नी श्री फिरोज अहमद ग्राम कासमपुर कांठ (किधवाला) के पास तहसील-कांठ जिला मुरादाबाद 3. श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री हबीबुर रहमान ग्राम कासमपुर कांठ (किधवाला) के पास तहसील- कांठ जिला मुरादाबाद इसके अलावा: गांव और पोस्ट- मिलक मुफीमपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर	आवासीय मकान स्थित ग्राम कासमपुर, कांठ (किधवाला) के पास, तहसील कांठ जिला मुरादाबाद श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री हबीबुर रहमान के नाम, क्षेत्रफल 87.348 वर्गमीटर। सीमाएं:- पूर्व: मौलवी नौमान का प्लाट, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: मौ. अरशद का प्लॉट, दक्षिण: आलमगीर का मकान	रू 2733284.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च 22.04.2019 से A/c No. 2930296000001 IFSC Code: CNRB0002930	रू 2160000.00 रू 216000.00	प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा फोन: 01344-278078 मो0 संख्या 9058455945

बिक्री के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी कैनरा बैंक की वैबसाईट (www.canara bank.com) पर उपलब्ध है अथवा उपर्युक्त शाखा के द्वारा शाखा प्रबंधक से किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय मे सम्पर्क करें।

दिनांक :- 07.01.2020 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

पंजाब एंड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
राजपुर चुंगी शाखा, आगरा (उ.प्र.)

कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम-8 (1) के अंतर्गत

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने मांग सूचना यहां नीचे तालिका में वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता तथा राशि के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक, राजपुर चुंगी शाखा, आगरा (उ.प्र.) के चार्ज के अधीन होगा। सांकेतिक कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

खाता/ऋणधारक/मार्टगेजर/ गारन्टर का नाम	सम्पत्ति (चल/अचल) का विवरण	बकाया राशि (धारा 13 (12) के अंतर्गत सूचना में यथा वर्णित	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि
(ऋणधारक/मार्टगैजर श्री संतोष गोयल, पुत्र श्री मुंशी लाल गोयल 18, एम एमआईजी, शास्त्री पुरम, देहतोरा, आगरा (उ.प्र.) श्रीमती सीता गोयल, पत्नी श्री संतोष गोयल (गारन्टर), 18, एम एमआईजी, शास्त्री पुरम, देहतोरा, आगरा (उ.प्र.) श्री भूरा सिंह, पुत्र श्री गुलाब सिंह (गारन्टर), ग्राम एवं पोस्ट-लखनपुर, शास्त्री पुरम, आगरा-282007 (उ.प्र.)	उप-रजिस्ट्रार-II, सदर, आगरा के कार्यालय में एमएपी के साथ ए-20, एमएमआईजी, शास्त्रीपुरम, फेज-1, लोहा मंडी वार्ड, आगरा (उ.प्र.) एरिया 25.30 वर्ग मी. में स्थित सम्पत्ति (श्री संतोष गोयल, पुत्र श्री मुंशी लाल गोयल के नाम में) बही नं. 1, जिल्द नं. 11332, पेज: 279-308, क्रम सं. 2070, तिथि 26.02.2015 चौहद्दी: उत्तर: रास्ता 9 मीटर चौड़ा एवं निकास, दक्षिण: मकान एलआईजी, पूर्व: सम्पत्ति का शेष भाग, पश्चिम: सम्पत्ति सं. ए-21, एमएमआईजी	01.09.2019 से आगे ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज के साथ 31.08.2019 को रु. 687034.59	09.09.2019	06.01.2020
(ऋणधारक): श्री रविकान्त गुप्ता, पुत्र स्व. श्री राकेश कुमार गुप्ता एस.एस. नं.- 138, 139, शहीद नगर गृह स्थान योजना शम्साबाद रोड, आगरा (उ.प्र.) एवं श्रीमती आभा रानी, पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार गुप्ता (ऋणधारक/ मार्टगैजर) एस.एस. नं.- 138, 139, शहीद नगर गृह स्थान योजना शम्साबाद रोड, आगरा (उ.प्र.)	आवासीय सम्पत्ति, मकान नं. एस.एस. नं. 138, शहीद नगर, गृह स्थान योजना, शम्साबाद रोड, आगरा (उ.प्र.) जिसका क्षेत्रफल 28.00 वर्ग मी. है बही नं. 1, जिल्द नं. 3741, पेज 103/120 में क्रम सं. 3676 तिथि 26.04.2011 में तथा साथ में उप-रजिस्ट्रार, आगरा सदर-II आगरा के कार्यालय के मैप में तथा एस.एस. नं. 139, शहीद नगर, गृह स्थान योजना, शम्साबाद रोड, आगरा (उ.प्र.) जिसका एरिया 28 वर्ग मी. है बही नं. 1, जिल्द नं. 3741, पेज 85/102 में क्रम सं. 3675 तिथि 26.4.2011 में तथा साथ में उप-रजिस्ट्रार, आगरा सदर-III आगरा के कार्यालय में मैप में (श्रीमती आभा रानी, पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार गुप्ता के नाम में) मकान सं. 138 का चौहद्दी: उत्तर: साइट एवं सर्विस प्लॉट, दक्षिण: रास्ता, पूर्व- प्लॉट नं. 139, पश्चिम: प्लॉट नं. 137 मकान सं. 139 की चौहद्दी: उत्तर: साईट एवं सर्विस प्लॉट, दक्षिण: रास्ता, पूर्व: प्लॉट नं. 140, पश्चिम: प्लॉट नं. 138	1.3.2019 से अनुषांगिक चार्जेज एवं आगे के ब्याज के साथ 28.2.2019 को रु. 1371653.92	12.3.2019	8.1.2020
ऋणधारक (कों) एवं गारन्टर (रों) 1) श्रीमती निर्मला जैसवाल, पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र मोहन जैसवाल, 2) नितिन कुमार पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र जैसवाल 3) श्रीमती लक्ष्मी देवी, पत्नी श्री सुरेश चन्द	श्रीमती निर्मला जैसवाल, पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र मोहन जैसवाल के नाम में अचल गिरवी सम्पत्तिः मकान सं. 35ए (पार्ट), खसरा नं. 398/3 मिनजुमला, आइकॉन ग्रीन, मौजा-मघतई, आगरा, एरिया 95.84 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा। बिक्री प्रलेखः उप रजिस्ट्रार, आगरा सदर-II, जिला आगरा के कार्यालय में मैप के साथ क्रम सं. 3664 तिथि 16.04.2016 में बही नं.1, जिल्द नं. 12221, पेज 345/376 में मकान सं. 35ए (पार्ट), खसरा नं. 398/3 मिनजुमला, आइकॉन ग्रीन, मौजा-मघतई, आगरा, जिसका क्षेत्रफल 95.84 वर्ग मीटर है। सम्पत्ति की चौहद्दी: पूर्व: प्लॉट नं. 44, पश्चिम: प्लॉट का भाग, उत्तर: प्लॉट नं. 36, दक्षिण: निकास एवं रास्ता 7.5 मी. चौड़ा	1.10.2019 से आगे की लागत, ब्याज तथा खर्चे के साथ 30.9.2019 को रु. 559335.36	4.10.2019	6.1.2020

तिथि: 6.1.2020 एवं 8.1.2020 — स्थान: आगरा — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोनः 011-23238964, 9891392661

निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा आम जनता और विशेषकर कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के नियम 7, 8 एवं 9 के अंतर्गत **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.** शाखा के पास बंधक निम्नलिखित सम्पत्तियों का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिये गये अनुसार नीचे वर्णित अनुसार बकाया एवं आगे ब्याज, प्रभार एवं लागत आदि की वसूली के लिए इन सम्पत्तियों को निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा।

नीलामी **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., बैक आफिसः** लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में **11 फरवरी, 2020 को अप. 3:30 बजे** आयोजित की जाएगी। सम्पत्तियों को **"जैसा है जहा है" और "जो है जैसा है"** आधार पर बेचा जाएगा। यह उपरोक्त कथित ऋण के कर्जदारों के लिए यदि बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो उपरोक्त वर्णित तिथि पर नीलामी बिक्री के आयोजन के लिए बारे में सूचना भी है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम एवं लोन खाता सं.	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	कब्जे की तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय एवं मुहरबंद निविदाएं (बोलियां) प्राप्त करने की अंतिम तिथि	बोली/नीलामी खुलने की तिथि	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	धरोहर जमा राशि (ईएमडी)
1.	हेमन्त कुमार नेलवाल एवं सोनिया नेलवाल निवासी मकान नं.706, सेक्टर-15, वसुन्धरा गाजियाबाद-201010 लोन खाता सं. 310700000828	फ्लैट नं.एम.एफ-2 (एमआईजी), पहला तल, (बिना छत अधिकार के) (तीन मंजिला ईमारत, फ्री होल्ड प्लॉट नं.7/11 ब्लॉक नं.7 सेक्टर-2, टी एच.ए. राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद पिन-201005 पर निर्मित (क्षेत्र 840 वर्ग फीट)	10.09.2014 को रु.25,99,516.69 प्लस उस पर आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार	10.08.2019	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 10.02.2020	11.02.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.25.50 लाख	रू.2.55 लाख
2.	हरविन्दर सिंह एवं हरजीत कौर निवासी मकान नं. डब्ल्यू.जेड-3-बी/147 पहला तल, विष्णु गार्डेन, दिल्ली-110018 लोन खाता सं. 310400004453	मकान नं.डब्ल्यूजेड-3-बी/147, दूसरा तल, (बिना छत अधिकार के) विष्णु गार्डेन, गाँव-ख्याला, दिल्ली-110018 (क्षेत्र 526 वर्ग फीट)	14.10.2018 को रु. 29,17,303.66 प्लस उस पर आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार	22.03.2019	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 10.02.2020	11.02.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.30.00 लाख	रू.3.00 लाख
3.	पूजा गुजराल एवं अनमोल गुजराल निवासी फ्लैट नं. एमएस-52, तीसरा तल, हरि नगर, नई दिल्ली लोन खाता सं. 310100003033 & 310100004369	एमएस-52, तीसरा तल, (छत अधिकार के साथ) हरि नगर, दिल्ली (क्षेत्र 540 वर्ग फीट)	08.06.2016 को दोनों ऋण खातों के लिए रु.28,39,618.28 प्लस उस पर आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार	07.01.2017	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 10.02.2020	11.02.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.32.00 लाख	रू.3.20 लाख

नियम व शर्तें: (1) इच्छुक बोलीदाताओं को एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. के पक्ष में दिल्ली में देय डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से ईएमडी के साथ बंद लिफाफे में अपनी बोलियां **10 फरवरी, 2020 को अप. 1:00 बजे** तक भेजनी होगी। नीलामी की तिथि को असफल बोलीदाताओं को यह राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। बिना ईएमडी के प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री के नियम व शर्तों, समय या प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहता है तो उसकी ईएमडी की जब्त कर सम्पत्ति को दोबारा बेचा जाएगा। किसी भी कारण से देरी से प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। (2) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपलब्ध/उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थिति में मुहरबंद निविदाएं खोली जाएंगी। (3) निविदाएं खुलने के बाद इच्छुक बोलीदाताओं का ऑफर मूल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक बोली के लिए अवसर देने का अधिकार केवल प्राधिकृत अधिकारी के पास होगा। (4) सफल बोलीदाता को उपरोक्त अनुसार डीडी के रूप में उसी दिन नीलामी के तुरंत बाद बोली राशि का 25 प्रतिशत (ईएमडी समायोजन सहित) जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री का भुगतान की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में बढ़ाई गई अवधि के भीतर करना होगा। चूक के मामले में बोलीदाता द्वारा जमा की गई सभी राशि को जब्त करके सम्पत्ति की दोबारा बिक्री की जाएगी। **सफल बोलीदाता को बिक्री के सभी नियम व शर्तों को पूरा करने पर नियमों के अनुसार बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति पर कोई भी प्रभार, अधिभार, सम्पत्ति कर या कोई भी सरकार या निकाय के बकायें के लिए जिम्मेदार नहीं होंगें। सम्पत्ति की सीमा/विवरण एलआईसी एचएफएल के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार बिक्री की उद्घोषणा में वर्णित किये गये हैं और प्राधिकृत अधिकारी इसके होने वाली किसी भी विभिन्नता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित शाखा के प्रबंधक से पूर्व अनुमति लेकर सम्पत्ति का निरीक्षक कर लें।** (5) सफल बोलीदाता को सभी सांविधिक बकायों/करों/प्रभारों/बदलाव के लिए देय शुल्कों जैसे स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि को लागू नियमों एवं आयकर नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। (6) प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताएं किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने और नीलामी को स्थगित करने/आगे बढ़ाने/निरस्त करने का अधिकार होगा और वे बिना कोई पूर्व सूचना दिये इस बिक्री के किसी भी नियम व संशोधित करने का भी अधिकार रखते हैं। (7) बिक्री एलआईसी एचएफएल की पुष्टि के अधीन होगी।

बिक्री के अन्य शर्तों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता प्रबंधक बैक आफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 के पास व्यक्तिगत रूप से या फोन नं. 011-23238964, 9891392661 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांकः 10.01.2020 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली — **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.**

एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि. (अर्सिल)
अर्सिल कार्यालयः द रूबी, 10वाँ तल, 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर (वेस्ट), मुम्बई-400028,
वेबसाईटः www.arcil.co.in. CIN:U65999MH2002PLC134884

[देख नियम8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के आर्ड. 3) के अंतर्गत एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी इंडिया लि. (अर्सिल), इंडियन ओवरसीज बैंक जो मूल लेण्डर था, के साथ एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 17 अप्रैल, 2015 के अनुसार ऋणों के एसाईनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 19 जनवरी, 2013, अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी कर ऋणधारकों श्रीमती अमरजीत कौर कोहली; श्रीमती सतिन्दर कौर सॉहनी तथा श्रीमती परविन्दर कौर सॉहनी एवं गारन्टरों श्री देविन्दर पाल सिंह कोहली, श्री भूपिन्दर सिंह सॉहनी तथा श्री गुरमीत सिंह सॉहनी को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 2,10,51,315.00 (रुपए दो करोड़ दस लाख इक्यावन हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) के साथ 17 जनवरी, 2013 से आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टरों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मूल डेब्टर ने 18 अप्रैल, 2013 को उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है एवं बाद में कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर यह कब्जा राजकीय परिसमापक को सौंप दिया। अब, आदेश तिथि 18 दिसम्बर, 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 6 जनवरी, 2020 को उसका कब्जा अधोहस्ताक्षरी को सौंपा गया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 17 जनवरी, 2013 से आगे के ब्याज के साथ रु. 2,10,51,315.00 (रुपए दो करोड़ दस लाख इक्यावन हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) के लिए एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी इंडिया लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

औद्योगिक सम्पत्ति सं. 27, सेक्टर 5, इंडस्ट्रियल टाउनशिप मानेसर, गुड़गाँव, हरियाणा जिसमें प्लॉट का क्षेत्रफल 4050 वर्ग मी. (4843.80 वर्ग यार्ड्स) है, में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर: सम्पत्ति सं. 28, दक्षिण: सम्पत्ति सं. 26, पूर्व: 30 मी. चौड़ा रोड, पश्चिम: प्लॉट न. 32
तथा उसके साथ उस पर विद्यमान एवं भविष्य के सभी तथा एकल संरचना तथा ईरैक्शन के साथ

तिथि: 10.1.2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गुरुग्राम (हरियाणा) — एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी इंडिया लि. (अर्सिल)

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
हेक्टर रिएल्टी वेन्सर्च प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ		
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	हेक्टर रिएल्टी वेन्सर्च प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	17.08.2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली (कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कम्पनी)
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70102DL2010PTC207147
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : 60 एलजीएफ, नेशनल पार्क लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024 परियोजना कार्यालय : मारवेला सिटी, एनएच-58, निकट पतंजलि योग पीठ, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	सीआईआरपी प्रारम्भ होने की तिथि : 09.12.2019 ((आईबी) 1051/(एनडी)/2019) में माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ के आदेश द्वारा) (आदेश की प्रति 07.01.2019 को प्राप्त की गयी)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	06.06.2020 (ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : श्री पीयूष गर्ग पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01133/2018-19/11883
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पता : एम.पी.आर. एण्ड कम्पनी, ई-62, एलजीएफ, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024 ई-मेल आईडी : ip.piyushgarg33@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	पता : एम.पी.आर. एण्ड कम्पनी, ई-62, एलजीएफ, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024 ई-मेल आईडी : irp.hectorrealty@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	21.01.2020
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	कॉर्पोरेट देनदार के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (वित्तीय लेनदार) के तहत आवासीय/वाणिज्यिक स्थान के आवंटिती
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. श्री संजीत कुमार शर्मा, ऋणशोधन प्रोफेशनल पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P01132/2018-19/11827 1. श्री सुनील कुमार, ऋणशोधन प्रोफेशनल पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00628/2018-2019/11884 3. श्री शशि शर्मा, ऋणशोधन प्रोफेशनल पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P01261/2018-19/12093
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेब लिंक : https:// ibbi.gov.in/ downloadform.html भौतिक पता : भारतीय ऋण शोध अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) 7वीं मंजिल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांक 09.12.2019 को हेक्टर रिएल्टी वेन्सर्च प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

हेक्टर रिएल्टी वेन्सर्च प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 21.01.2020 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के सम

तीसरा टी-20 : मेजबान के सामने टीम चयन की दुविधा

भारत-श्रीलंका मुकाबला आज

गुरुवार को अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह।

दुबे को भी मौके का फायदा उठाना होगा

पंड्या के एक्शन में वापसी के बाद अगर दुबे टीम में अपना स्थान कायम रखना चाहते हैं तो बल्लेबाजी का मौका मिलने पर उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा।

टीमें

भारत : विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, संजू सैमसन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी और वाशिंगटन सुंदर।

श्रीलंका : लसिथ मलिंगा (कप्तान), धनुष्का गुणतिलक, अविष्का फर्नांडो, एंजेलो मैथ्यूज, दासुन शनाका, कुसल परेरा, निरोशन डिकवेला, धनंजय डि सिल्वा, इसुरु उडाना, भानुका राजपक्षे, ओशदा फर्नांडो, वानिंदु हसरंगा, लाहिरु कुमारा, कुसल मेंडिस, लक्षण संदाकन और कसुन राजिता।

पुणे, 9 जनवरी (भाषा)।

श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी-20 से पहले भारतीय टीम के सामने छोटे प्रारूप के विश्व कप से पूर्व कुछ खिलाड़ियों को पर्याप्त समय मुहैया कराने की दुविधा है। इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली को यह तय करना होगा कि वह जीत हासिल करने वाले संयोजन के साथ बरकरार रहें या फिर संजू सैमसन और मनीष पांडे को क्रीज पर जरूरी समय मुहैया कराएं।

इंदौर में अनुभवहीन श्रीलंकाई टीम कहीं भी भारत को टक्कर देती नहीं दिखी और इसे देखते हुए पांडे और सैमसन को टीम में शामिल किया जा सकता है। पांडे ने मौजूदा श्रृंखला सहित पिछली तीन सीरीज में महज एक मैच खेला है। वहीं नवंबर में बांग्लादेश श्रृंखला में वापसी करने वाले सैमसन को अभी तक एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है।

कुछ खिलाड़ियों का इम्तिहान बाकी : अक्तूबर-नवंबर में होने वाले टी-20 विश्व कप को देखते हुए भारत टीम संयोजन में प्रयोग करता आ रहा है लेकिन इन खिलाड़ियों का इम्तिहान लेना बाकी है। वहीं दूसरी ओर सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ने शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी के लिए प्रभाव छोड़ने का मौका बना हुआ है। वाशिंगटन सुंदर और चोटिल हार्दिक पंड्या की जगह उतारे गए शिवम दुबे को अपनी काबिलियत दिखाने के काफी मौके मिले। इंदौर में जीत हासिल करने के बाद कप्तान विराट कोहली ने बताया कि टीम हर मैच के साथ बेहतर होती जा रही है। उन्होंने ऐसा भी संकेत दिया कि प्रसिद्ध कृष्णा आस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप के लिए 'सरप्राइज पैकेज' हो सकते हैं। सैमसन व पांडे बेंच पर रहने से थोड़े निराश होंगे लेकिन शुक्रवार को उन्हें मौका दिया जा सकता है।

शिखर पर होंगी निगाहें : ध्यान शिखर धवन पर भी लगा होगा जो लोकेश राहुल के साथ दूसरे सलामी बल्लेबाज के स्थान की दौड़ में हैं। हालांकि इस समय राहुल आस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के जोड़ीदार की दौड़ में उनसे आगे दिखते हैं। जसप्रीत बुमराह मंगलवार को वापसी मैच में अच्छा नहीं कर सके लेकिन वह अंतिम मैच में शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे।

बल्लेबाजों को दिलानी होगी अच्छी शुरुआत : श्रीलंकाई टीम को अगर घरेलू टीम को परेशानी में डालना है तो उन्हें काफी काम करना होगा। बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत हासिल करने के बाद लंबी पारी खेलनी होगी जो दूसरे टी-20 में ऐसा नहीं कर सके। हरफनमौला इसुरू उडाना का चोटिल होना भी टीम के लिए करारा झटका है जो इंदौर में अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए थे। इससे उनके मुख्य गेंदबाज ने इंदौर में गेंदबाजी नहीं की। श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी विभाग में अनुभव का फायदा उठा सकती है।

भारत के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार : फिंच

सिडनी, 9 जनवरी (भाषा)।

आस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच का मानना है कि उप महाद्वीप की परिस्थितियों पर दौरा करने वाली टीम के खिलाड़ी अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। हालांकि भारत में आगामी तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में उनका इरादा विराट कोहली की टीम को उसकी ही सरजमीं पर पस्त करने का है। आस्ट्रेलिया ने भारत में 12 महीने पहले पांच मैचों की वनडे श्रृंखला में वापसी करते हुए 3-2 से जीत दर्ज की थी। आगामी श्रृंखला मुंबई में 14 जनवरी से शुरू होगी।

फिंच ने टीम की रवानगी से पहले पिछले साल भारत में मिली जीत के बारे में बात करते हुए कहा कि इससे आपको भरोसा मिलता है कि उन परिस्थितियों में हमारी रणनीति काफी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि जब आप उप महाद्वीप में खेलते हो तो आप अपनी रणनीति पर भी शक करना शुरू कर देते हो क्योंकि घरेलू टीम इतना दबदबा बना लेती है और आप पर हावी हो जाती है।

ओलंपिक में पहली बार खिलाड़ियों के लिए 'कार्डबोर्ड' के बेड

तोक्यो, 9 जनवरी (एपी)।

इस साल होने वाले तोक्यो ओलंपिक के लिए एथलीट गांव में खिलाड़ियों के बेड का निर्माण मजबूत 'कार्डबोर्ड' से किया जाएगा। एथलीट गांव के महाप्रबंधक ताकाशी किटाजिमा ने दुभाषिये के जरिये जानकारी दी, 'ये बेड 200 किलो तक का बोझ उठा सकते हैं।' उन्होंने कहा कि ये लकड़ी के बेड की तुलना में काफी मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ओलंपिक में भाग लेने वाला कोई भी एथलीट 440 पाउंड (लगभग 200 किलो) वजन का नहीं होगा।

MARUTI SUZUKI ARENA

कीमतें बढ़ने से पहले
खरीदने का आखिरी मौका.

मूल्य वृद्धि से पहले आकर्षक ऑफ़र्स का लाभ लेने का सीमित समय.

सीमित स्टॉक पर अतिरिक्त ऑफ़र्स भी उपलब्ध^

ALTO ₹43 000* तक की बचत WAGONR ₹32 500* तक की बचत CELERIO ₹47 000* तक की बचत

ALTO WAGONR CELERIO

E-book today at www.marutisuzuki.com or visit your nearest Maruti Suzuki dealership | For bulk orders, mail at: anindya.sarkar@maruti.co.in (NCR); abhinav.verma2@maruti.co.in (Delhi)

NORTH DELHI: T.R. Sawhney (Saraswati Vihar) 9582263509; D.D. Motors (Peeragarhi) 25963535; T.R. Sawhney (Badli) 9999324333; Rana Motors (Prashant Vihar) 9711507777; D.D. Motors (Wazirpur) 27153999; Krish (Pitampura) 9999159577; Rana Motors (Tis Hazari) 9873477744; Krish (GT Karnal Road) 9999149577; Fairdeal (Budh Vihar) 7290009371; Saya (Azadpur) 47088888; DD Motors (Narela) 9873563171

SOUTH DELHI: Competent (Lajpat Nagar) 8377007979; AAA Vehicleades (Malviya Nagar) 9971500011; Prem Motors (Mahipalpur) 8745887458; Rohan (Chhatarpur Metro Station) 011-66764444; D.D. Motors (Okhla Ph-1) 40523000; Bagga Link (Kotla) 8826892666; Rana Motors (Safdarjung) 26712222; Rohan (Mathura Road) 9560036262

CENTRAL DELHI: T.R. Sawhney (Amar Colony) 9999563333; T.R. Sawhney (I.P Station) 9999399157; Magic Auto (Karol Bagh) 9650699556; Competent (C.P) 9582797749

WEST DELHI: Competent (Najafgarh) 9582797763; Magic Auto (Dwarka Sec-13) 9818444481; AAA Vehicleades (Mundka) 9650445555; Competent (Dwarka) 9582797879; Magic Auto (Palam Dabri Road) 47777777; TR Sawhney (Naraina) 9999137164; Competent (Shivaji Marg) 9582797748; Rana Motors (Janakpuri) 011-47911111; D.D. Motors (Mayapuri) 41845000; Magic Auto (Sec-20, Dwarka) 9560677777; T.R. Sawhney (Rajouri Garden) 9873781333

EAST DELHI: Competent (Gazipur) 8377007977; Bagga Link (Patparganj) 9818199370; T.R. Sawhney (Gokulpuri) 9999399150

NOIDA: Magic Auto (Preet Vihar) 011-49077777; Fairdeal (Bhajanpura) 7290009372; Fair Deal Cars (Shahdara) 9910894050; Rohan (Sec-1) 9873501288; Vipul (Sec-18) 8800091555; Vipul (Sec-63) 0120-4824000

GREATER NOIDA: Fairdeal Cars (Sec-10) 9999700944; Rohan (Udyog Vihar) 9971910523

GURGAON: Rohan (Sec-54) 4845400; Prem Motors (JMD Sikanderpur) 8750987509; Vipul (UdyogVihar) 4395700; Pasco (Sec-18) 4012000; Competent (Islampur Sohna Road) 9582797739; Rana Motors (SCO Plot No-322 Sec-29) 4260000; Pasco (Silverton Sec-50) 7835003300; Competent (Sec-12) 9582797711; Prem Motors (32nd Milestone) 8750487504

FARIDABAD: Auto Nation (Mathura Road) 9899596002; Vipul (Ballabgarh) 9717073300; Rohan (Palwal) 01275-304100; Fairdeal Cars (Piyali Chowk) 9582139824; Vipul (Mathura Road) 9999994707; TCS Autoworld (Neelam Chowk) 0129-4252525

MANESAR: Platinum Motocorp (Pataudi) 9953345311; Platinum Motocorp (Narnaul) 9053088437; Platinum Motocorp (IMT Chowk) 9953345312; Platinum Motocorp (Farrukhnagar) 9205192634

GHAZIABAD: T.R. Sawhney (Mohan Nagar) 9582263544; Regent Auto (Meerut Road) 7065191234; Rohan (Hapur) 0122-2313204; Motorcraft (Modi Nagar) 8057692222; Rohan (Mukund Nagar) 9650100045; Motorcraft (Sahibabad) 9650972222

SONIPAT: Pasco (Alipur) 8683000956

REWARI: Auto Vibes 7082010000; Auto Vibes (Kosli) 01259-275300; Auto Vibes (Bawal) 7082100280

BHIWADI: Rohan (Delhi Road) 05732-281900

*Terms & Conditions apply. Terms & conditions are subject to change without any prior notice. All Offers are brought to you by Maruti Suzuki dealers only. Total savings include cash discount(on selected models & variants), exchange bonus(on selected models & variants), ISL offer(for select Govt. & Corporate employees on select model & variants). Savings shown above are applicable on New Alto, Celerio (CNG), WagonR. Offers/Savings shown above may change without any prior notice. ^Additional offers on limited stock applicable only on 2019 make vehicles only. Accessories/colors/features shown may not be part of standard equipment and are for indicative purpose only. Car model and accessories shown may vary from actual product. Black gloss on vehicle is due to lighting effect. Images used are for illustration purpose only. Color shown may vary from actual body color due to printing on paper. All offers are valid till stock last. All Offers are valid till 10th January 2020 only.